खण्ड-06 सत्र -06 (भाग-01) / अंक-62

बुधवार

11 अक्तूबर 2017 / 19 अश्विन, 1939 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

छठा सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-06 (भाग-01) में अंक 59 से अंक 62 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

विषय सूची

सत्र–6 भाग (1)	बुधवार, 11 अक्तूबर, 2017 / 19 अश्विन, 1939 (शक)	अंक–62
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	माननीय उपराज्यपाल से प्राप्त संदेश	3–4
3.	माननीय उपराज्यपाल से प्राप्त संदेश पर चर्चा	5–116
4.	विशेष समिति के गठन हेतु प्रस्ताव	117–122

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–6 भाग (1) बुधवार, 11 अक्तूबर, 2017 / 19 अश्विन, 1939 (शक) अंक–62

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री सुखबीर सिंह दलाल
8. श्री ऋतुराज गोविन्द
9. श्री संदीप कुमार
10. श्री रघुविन्द्र शौकीन
11. श्रीमती बंदना कुमारी
12. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
13. श्री राजेश गुप्ता
14. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
15. श्री सोमदत्त
16. सुश्री अलका लाम्बा
17. श्री आसिम अहमद खान
18. श्री विशेष रवि

19. श्री हजारी लाल चौहान
20. श्री शिव चरण गोयल
21. श्री गिरीश सोनी
22. श्री जरनैल सिंह
23. श्री राजेश ऋषि
24. श्री नरेश बाल्यान
25. श्री आदर्श शास्त्री
26. श्री गुलाब सिंह
27. सुश्री भावना गौड़
28. श्री सुरेन्द्र सिंह
29. श्री विजेन्द्र गर्ग
30. श्री प्रवीण कुमार
31. श्री मदन लाल
32. श्री सोमनाथ भारती
33. श्रीमती प्रमिला टोकस
34. श्री नरेश यादव
35. श्री करतार सिंह तंवर
36. श्री अजय दत्त
37. श्री दिनेश मोहनिया
38. श्री सौरभ भारद्वाज
39. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
40. श्री सही राम
41. श्री नारायण दत्त शर्मा
42. श्री राजू धिंगान
43. श्री मनोज कुमार
44. श्री ओम प्रकाश शर्मा
45. श्री एस.के. बग्गा
46. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
47. मो. इशराक
48. श्री श्रीदत्त शर्मा
49. चौ. फतेह सिंह
50. श्री जगदीश प्रधान
51. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–6 भाग (1) बुधवार, 11 अक्तूबर, 2017 / 19 अश्विन, 1939 (शक) अंक–62

सदन अपराह्न 2.10 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

उपराज्यपाल महोदय का संदेश

अध्यक्ष महोदयः सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत। देखिए, चार दिन से उपराज्यपाल का पत्र टलता आ रहा था। आज मैं कोई और विषय नहीं ले रहा हूं, सीधा उस पर आ रहा हूं मुझे माननीय उपराज्यपाल महोदय से... नहीं, देखिए, वह मैं बाद में लूंगा, अभी इसको ले लें, रूक जाइए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक बार मैंने चिट्ठी लिखी थी आपको, सीटिंग अरेंजमेंट के लिए।

अध्यक्ष महोदयः हां, वो मैंने कर दिए आर्डर।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आर्डर कर दिए?

अध्यक्ष महोदयः हां, उसी दिन कर दिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः वो आई नहीं कापी हमारे पास।

अध्यक्ष महोदयः कापी मेरे ख्याल आ जाएगी। कर दिए, वो सेम डेट पर आर्डर कर दिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः तो इंप्लीमेंट तो कर दें। अध्यक्ष जी, इशू, मैं ये कह रहा था कि दिव्यांगों को लेकर के...

अध्यक्ष महोदयः भई देखिए विजेन्द्र जी, नहीं, फिर समय जाएगा प्लीज।

मुझे माननीय उपराज्यपाल महोदय से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा–9 की उप धारा (2) के तहत दिनांक 13 सितम्बर, 2017 का एक संदेश प्राप्त हुआ है, जिसे उन्होंने विधानसभा को सूचित करने के लिए कहा है। संविधान और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम के प्रावधानों के तहत माननीय उपराज्यपाल महोदय के संदेश को इस सदन के ध्यान में लाने के लिए मैं कर्तव्यबद्ध हूं। संदेश की विषय वस्तु और माननीय उपराज्यपाल महोदय और उनके पद के प्रति मेरे हार्दिक सम्मान को ध्यान में रखते हुए, मैंने अपनी ओर से उन्हें ऐसे विषय पर संदेश भेजने के औचित्य पर पुनः विचार करने का अनुरोध करना आवश्यक समझा।

तदनुसार, मैंने दिनांक 20 सितम्बर, 2017 को माननीय उपराज्यपाल महोदय को पत्र लिखा। उसके उत्तर में, अपने पत्र दिनांक 03 अक्टूबर, 2017 के द्वारा माननीय उपराज्यपाल महोदय ने राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम और विधानसभा के नियमों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार संदेश पर विचार करने को प्राथमिकता दी।

अब मैंने माननीय उपराज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश दिनांक 13 सितम्बर, 2017 को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। चूंकि यह बहुत लम्बा संदेश है, इसलिए मैं सचिव, विधानसभा को इस संदेश की प्रतियां सभी सदस्यों को उपलब्ध करवाने का निर्देश देता हूं तथा उक्त संदेश को पढ़ा हुआ माना जाये। मैं यह भी चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्यों

को इस संबंध में माननीय उपराज्यपाल महोदय को, दिनांक 20 सितम्बर, 2017 को लिखे गये मेरे पत्र की विषय वस्तु का भी पता लगे। पारदर्शिता के हित में, जो विधायिका का विशेष गुण है, मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से प्राप्त, दिनांक 03 अक्टूबर, 2017 के पत्र को भी अपने पत्र के साथ–साथ सदस्यों की जानकारी के लिए सदन में रख रहा हूं।

जैसा कि आपको इन सब संदेशों का अध्ययन करने के लिए समय चाहिए, इसलिए मैं सदन की कार्यवाही 15 मिनट तक के लिए स्थगित करता हूं। सदन पुनः समवेत होने के बाद जो है, इस पर चर्चा करेंगे।

(सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की गई)

(सदन पुनः अपराह्न 2.30 बजे समवेत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यगण, मैं चाहूंगा कि सदन सन्देश पर चर्चा करे और अपने निष्कर्ष पर पहुंचे। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर चर्चा करते हुए माननीय उपराज्यपाल महोदय एवं उनके पद की गरिमा का विशेष ध्यान रखें। श्री सौरभ भारद्वाज।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। ये जो कापीज हमारे पास आयी हैं, इसके अन्दर कई बार अखबारो के अन्दर जिक्र हुआ। मीडिया के अन्दर पहले जिक्र आया। इस तरीके का कोई जो लेटर है। कोई मैसेज है, वो उपराज्यपाल महोदय ने स्पीकर साहब के थ्रू असेम्बली को भेजा है और इससे पहले कि ये मैसेज यहां पर पढ़ा जाता। बहुत उत्सुकता देखी गयी अपॉजिशन पार्टी के बीच में कि वो एलजी का मैसेज जल्द से जल्द

पढ़ा जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो मैसेज है इसके अन्दर काफी पोलिटिकल इण्टरेस्ट है। हमारे अपॉजिशन के लीडर्स को, हमारे अपॉजिशन के मेम्बर्स को और ये जो पूरा का पूरा मैसेज है। मैसेज के अन्दर स्पीकर साहब का जवाब है और फिर उसके अन्दर एल.जी. साहब का दुबारा से जवाब है स्पीकर साहब के जवाब के उपर। मूलतः एल.जी. साहब ने आपत्तियां जतायी हैं कि ये जो एसेम्बली की कमेटीज हैं, इनके ऊपर उनको एतराज है और ये जो कमेटीज हैं, ये अपना ज्यूरिस्डिक्शन लांघ रहीं हैं और इसके अन्दर उन्होंने कई चीजों का हवाला दिया है। इसके अन्दर कई सारी चीजों का इन्होंने हवाला दिया और कहा... एक अच्छी बात है और तारीफ योग्य बात ये है कि उन्होंने इस लेटर के दौरान ये मान लिया कि जो दिल्ली विधान सभा की जो कमेटीज हैं, उनकी पॉवर्स और उनकी प्रिविलेजेज लोक सभा की कमेटियों की पॉवर्स और प्रिविलेजेज के बराबर है। ये खुशी की बात है। हालांकि अब तक बार–बार इसके ऊपर सन्देह जताया जाता था। टी.वी. वालों को, न्यूज पेपर वालों को इनफॉर्मल ब्रीफिंग के अन्दर ऐसा दिखाया जाता था कि नहीं, नहीं, ये कोई खास नहीं, देख लेंगे। मगर ये अच्छी बात है कि इसके अन्दर सेक्शन 18(3) ऑफ जीएनसीटीडी एक्ट 1991 का जिक्र किया है जो सीधा भारतीय संविधान के आर्टिकल 105(3) और 194(3) से आता है जिसके अन्दर कमेटीज की पॉवर्स का और प्रिविलेजेज का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि ये लोक सभा की कमेटीज जितनी मजबूत... और इनकी प्रिविलेजेज उतनी ही हैं। आपके पत्र के अन्दर एल.जी. साहब को बताया गया और मुझे लगता है कि ये तो सामान्य बात भी थी कि विधान सभा के अन्दर चुने हुए विधायकों को मोटे तौर पर दो काम करने के लिए यहां विधान सभा में भेजा जाता है। एक कि कानून बनाएं और दूसरा जो सरकार है, उसकी जवाबदेही तय की जाए, इस इस सदन के अन्दर और सिर्फ हमारे ही संविधान के अन्दर

नहीं, जिन भी संविधानों के अन्दर बेस्ट प्रिंसिपल मॉडल देख लें... या अमेरिका का संविधान देख लें या अमेरिका का प्रजातंत्र देखें तो ये जो कमेटियां हैं, लगभग सभी प्रजातांत्रों के अन्दर, सभी संविधानों के अन्दर कमेटीज का मूलभूत जो काम होता है, वो ये होता है कि जो आपने सरकार चुनी है, जो एक्जीक्यूटिव हैं, जो अफसर हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसकी जवाबदेही तय की जाए।

मैं पहली बार इस चीज का अनुभव कर रहा हूं कि हमेशा ऐसा होता था कि अपॉजिशन चाहती थी कि सरकार की जवाबदेही हो और सरकारें चाहतीं थी कि जवाबदेही न हो। ये बार–बार मुझे किराये के अन्दर भी ऐसे देखने को मिला कि पहले ऐसा होता था कि अपॉजिशन कहती थी कि किराया घटाया जाए और सरकार कहती थी कि किराया बढ़ाया जाए। अब हो ऐसा रहा है कि अपॉजिशन कहती है कि नहीं, किराया बढ़ना चाहिए और सरकार कहती है कि किराया घटना चाहिए। सरकार कहती है कि सरकार की, सरकार के अफसरों की जवाबदेही होनी चाहिए और अपॉजिशन कहती है कि नहीं, जवाबदेही नहीं होनी चाहिए। इसको किसी न किसी तरह से घटा देना चाहिए। यह बहुत हैरान करने वाली बात है और पूरे के पूरे प्रजातंत्र की जो नींव है, वो सिर्फ जवाबदेही के उपर टिकी होती है। बार–बार हम लोगों को इलेक्ट करके भेजा जाता है तो हमारी एक जवाबदेही है, लोगों के प्रति कि अगर हम लोग काम नहीं करेंगे, जो हमने वादे किए हैं, वो वादे पूरा नहीं करेंगे तो हमको जनता इस बार चुन के नहीं भेजेगी। इसी तरीके से जो प्रधानमंत्री हैं, जो मेम्बर ऑफ पार्लियामेन्ट हैं, उनको चुनके भेजा जाता है और उनकी जनता के प्रति जवाबदेही होती है, जो हर पांच साल बाद तय की जाती है। जो अफसर होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनको कोई चुनाव नहीं लड़ना होता है। उनकी जवाबदेही जो होती है, वो

इस तरीके के हाउस और इस तरीके के हाउस के अन्दर जो कमेटियां होती हैं, उनके प्रति होती है और जहां–जहां भी संविधान ने किसी को कोई पॉवर दी है, संविधान के रचनाकारों ने इस चीज का खास ध्यान दिया है कि जहां पर भी पॉवर है, उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। क्योंकि अगर जवाबदेही के बिना किसी भी ऑफिस को या किसी भी अफसर को बहुत ज्यादा शक्तियां दे दी जाएंगी, तो वो तानाशाही बन जाती है। हाल ही के अन्दर एक ऑफिस में अगर अपने चारों तरफ देखूं कि एक ऑफिस ऐसा. .. जिसके पास बहुत ज्यादा असीमित शक्तियां दी गयीं हैं और उसकी जवाबदेही किसी को नहीं है, और वो है एल.जी. का ऑफिस। पहले जो गवर्नर के ऑफिस होते थे, उनके पास कोई खास एग्जीक्यूटिव पॉवर्स नहीं होती थी। वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर कोई दिलचस्पी भी नहीं लेते थे और न उनके पास पॉवर्स होती थी क्योंकि वो काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स की एड एण्ड एडवाइज पर एक्ट करते थे तो जवाबदेही जो होती थी, वो चुनी हुई सरकार की होती थी। तो चुनी हुई सरकार वो निर्णय लेती थी जो जनता के इण्टरेस्ट में है और उनकी जवाबदेही इस तरह से तय की जाती थी। अब जो पूरा का पूरा मॉडल कुछ दिनों से दिल्ली के अन्दर थोपा गया है, उसके अन्दर एल.जी. ऑफिस के पास असीमित पॉवर्स हैं, निर्णय लेने की। चाहे वो गेस्ट टीचर्स को भर्ती करने की हो या उनको निकालने का हो, चाहे वो और लोगों के लिए कोई निर्णय लेने का हो, वो सारी की सारी असीमित पावर्स उनके पास हैं। उनकी जवाबदेही किसी को नहीं है। उन पर कोई आदमी, कोई संस्था ये नहीं पूछ सकती कि आपने ये निर्णय क्यों लिया। तो एक तो ये जो ये प्रजातंत्र के अन्दर और पूरी की पूरी लेजिस्लेटिव स्कीम के अन्दर ये एक्सेप्शन है कि उस ऑफिस की कोई जवाबदेही नहीं। अब उस ऑफिस से ये पत्र आता है कि मेरे अफसरों की जवाबदेही तय करी जा रही है, इस असेम्बली की कमेटीज

के अन्दर। और उनको एतराज है। तो उनको एतराज तो होगा ही। किस एक्जीक्यूटिव को एतराज नहीं होता कि उसकी जवाबदेही तय की जाए। जो एल.जी. है, वो तो हेड ऑफ एक्जीक्यूटिव है। अगर एल.जी. को एतराज है, इसका मतलब एल.जी. साहब को ये एतराज है कि उनके अफसरों की जवाबदेही तय की जा रही है और जवाबदेही के अन्दर क्या पूछा जा रहा है अफसरो से? अफसरों से ये पूछा जा रहा है कि भई, मंत्री ने आपको कहा, ''सड़क बनाओ। सरकार ने आपको बजट दिया सड़क बनाने के लिए, सड़कें क्यों नहीं बनी समय पर?' अफसरों की जवाबदेही होनी चाहिए कि सड़कें समय पर क्यों नहीं बनीं। अगर उनसे सवाल पूछा जाता है तो उनको जवाब देना चाहिए। अगर डिले का कोई कारण है तो उनको कमेटी को बताना चाहिए और अगर डिले का कारण ये है कि एल.जी. साहब ने कह रखा है कि दिल्ली में काम नहीं करना, तो समस्या है। क्योंकि अफसर ये बात रिकार्ड पर कैसे कह दें कि जी, मेरे को एल.जी. साहब से ऑर्डर हैं कि काम नहीं करना है। तो समस्या है। अफसर तो अफसर ही है। बात क्या बताएगा कि डिले कैसे हुआ। अगर नाले साफ करने के लिए ठेके दिए गए हैं, उसका पैसा ठेकेदारों को दिया गया है। कोर्ट को कहा, ''गया नाले साफ हो गये।'' असेम्बली की कमेटी को कहा गया, ''नाले साफ हो गये।'' हम लोग वहां पर पहुंचे तो नालों के अन्दर गंद और कूड़ा भरा हुआ था। हमने फोटो लिए, हमने विडियो बनाए। तो अगर अफसर को पूछा जाएगा कि ये नाले साफ क्यों नहीं हुए तो इसके अन्दर एल.जी. को क्या परेशानी है। एल.जी. को सिर्फ एक ही परेशानी हो सकती है कि उनके आदेश पर ये नाले साफ नहीं हुए थे। इसलिए उनको इस बात का डर है कि उनकी जो पोल है, वो इन कमेटियों के अन्दर खुल न जाए। बाकी आपका जो मैसेज है, एलजी साहब का, एलजी साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ

आर्टिकल्स की दुहाई दी है। जो एलजी का और गवर्नर का ऑफिस... मैंने पिछले दो–ढ़ाई साल के अंदर स्पीकर साहब, देखा है, वो हैरानी की बात यह है कि यह हर काम जो है, वो संविधान के नाम पर करते हैं। हर काम के अंदर संविधान, हर मैसेज के अंदर संविधान को इतनी बार कोट करते हैं जैसे कि ये ही सिर्फ संविधान की रक्षा के लिए यहां पर हैं और हाल ही के अंदर चाहे हाई कोर्ट ले लें, चाहे सुप्रीम कोर्ट ले लें, इस सरकार द्वारा जहाँ–जहाँ भी संवैधानिक पदों पर लोगों को बिठाया गया, वहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इनका क्या हश्र हुआ है। चाहे वो उत्तराखंड का मामला हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का मामला हो, जहां पर प्रजातंत्र की दुहाई दी गई, संविधान की दुहाई दी गई और इनका क्या हश्र हुआ, वो सब लोगों के सामने है। पुराने जो एलजी साहब थे; नजीब जंग जी, उन्होंने कितनी कोशिश की, जब पूरी की पूरी असेम्बली सस्पेंडेड एनिमेशन में थी कि किसी तरीके से जोड़–तोड़ से सरकार बनवा दें भाजपा की। स्टिंग ऑपरेशन आया, बाकायदा भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष का, जिसके अंदर दिनेश मोहनिया जी कहां बैठे हैं, दिनेश मोहनिया जी आएंगे अभी, उनको खुद पैसे का ऑफर दे रहे थे वो, कि आ जाओ भाजपा के अंदर आ जाओ। उस वक्त प्रजातंत्र की नाक नहीं कटी। उस वक्त किसी संविधान विशेषज्ञ की राय नहीं आई कि यह संवैधानिक है या गैर–संवैधानिक है। अब इस लैटर के अंदर जो मैसेज आया है, एलजी साहब का, उसमें उन्होंने कहा है कि जो लोक सभा की कमेटियाँ हैं, वो रूल नंबर 331सी से रूल नंबर 331एन तक जो है, बनी हैं और जो दिल्ली सरकार या दिल्ली विधान सभा के अंदर जो कमेटियां बनी हैं, उनका उन्होंने हवाला दिया वो 244 रूल के अंतर्गत बनी हैं और उन्होंने उसका ऐसे कम्पैरिजन कर दिया जैसे कि छठी क्लास में जब पहली बार बच्चा सिविक्स पढ़ना सीखता है तो उसको डिफरेंस निकालने के लिए कहते हैं कि इन दोनों का कम्पेरिजन कर दो।

उन्होंने दोनों का कम्पेरिजन करके बोल दिया कि ये यहां पर नहीं है, ये यहां पर है। क्या एलजी साहब ने या एलजी साहब को जो भी आदमी राय दे रहा है, मशविरा दे रहा है, उसने एलजी साहब को यह बात बताई कि लोक सभा के जो नियम हैं, जो विधान सभा के नियम हैं, वो लोक सभा के नियम से हू–ब–हू नहीं हो सकते। अगर लोक सभा और विधान सभा के नियम हू–ब–हू हो जाएंगे तो हम भी यहां पर राष्ट्रपति चुन लेंगे, हम भी यहां पर प्रधानमंत्री चुन लेंगे। हमारे पास भी लैंड आ जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर आ जाएगा। इन्होंने बोला कि हू–ब–हू जो नियम हैं, वो लोक सभा के और जो इस हाउस की कमेटीज के वो अलग–अलग हैं। बाद में यह हवाला दिया गया कि कुछ चीजों के अंदर मामला बढ़ गया है, कुछ चीजों के अंदर घट गया है। मैं आपके जवाब में से ही पढ़ रहा था, आपने कुछ बहुत अच्छी बातें एलजी साहब को लिखी और मैं इस बात की प्रशंसा करना चाहूँगा कि आपने अच्छा किया कि इस मैसेज को विधान सभा के अंदर रखने से पहले आपने एलजी साहब को इतनी अच्छी, मुझे लगता है कि बुजुर्ग के नाते आपने राय दी कि आपको शायद कुछ अफसरों ने गुमराह किया है, तो आपने उनको बहुत अच्छी राय दी, मुझे लगता है कि आपने उनको एक मौका दिया, फेस सेविंग का कि आप इस गड़बड़ राय पर जो आपने यह मैसेज पूरी की पूरी विधान सभा को भेजा है, वो एक बहुत ही फ्लॉड लॉजिक के ऊपर है, एक मनगढ़ंत लॉजिक के ऊपर आधारित है और वो लॉजिक यह है कि विधान सभा के जो रूल्स हैं और जो लोक सभा के रूल्स हैं, वो अलग–अलग हैं। आपने अपने ही लैटर के अंदर दो चीजें कोट की हैं। मैं उनको पढ़ देता हूँ कि पार्लियामेंट के ही एक्ट के अंदर जो जीएनसीटीडी, 1991 का जो एक्ट है उसी में 31(1) to discharge the two primary functions, the LegislativeAssembly of NCT of Delhi was empowered by the Parliament of India vide Section 33(1)

of the GNCTDAct, 1991 to frame its own Rules of Procedure. The said Section is in line with the Articles 118 and 208 of the Constitution of India which empower each legislative body to frame its own Rules of Procedure. खुद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के एक्ट के अंदर यह दिया हुआ है कि हर हाउस को, हर असेम्बली को यह अधिकार है कि वो अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर फ्रेम कर सके और यह चीज खुद लिखी हुई है और बाद में यह बात लिखी गई, मुझे लगता है आपने भी यह बात बहुत अच्छी लिखी है कि यहां तक कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर इतने सारे प्रदेश हैं, सब असेम्बलीज के अपने–अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं, सब अलग–अलग हैं। सब ने अपने हिसाब से उनके यहां जिस तरीके का माहौल है, उनके यहां जिस तरीके की गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं या असेम्बलीज के पास जिस तरीके के अधिकार हैं, उन अधिकारों के हिसाब से उन्होंने अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर बनाए हुए हैं। यहां तक कि लोक सभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर और राज्य सभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर भी अलग–अलग हैं तो इसके अंदर क्या हैरानी वाली बात है कि हमारी जो विधान सभा है, इसके रूल्स ऑफ प्रोसीजर लोक सभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर से अलग हैं। बाद में जो एक बड़ी मजेदार बात यह है कि यह मैसेज जो है, एलजी साहब का, हमारे पास तो आज पढ़ा जा रहा है, कई दिनों पहले इस तरीके का मैसेज एक अखबार के अंदर छपा था, उससे भी कुछ दिनों पहले लीडर ऑफ अपॉजिशन ने बाकायदा प्रैस कांफ्रेंस करी और प्रैस कांफ्रेंस के अंदर बताया कि भई, सरकार को एक एडवाइज मिली है, सरकार के ही कानूनी अफसर की, मतलब जो सरकार की ही नौकरी के ऊपर, इनके एक कानूनी विशेषज्ञ जिसको ये कहते हैं, उन्हीं से केन्द्र सरकार को इनको राय मिली है कि ये जो कमेटियाँ चल रही हैं, इसके अंदर, हाउस के अंदर ये गैर–कानूनी हैं और असंवैधानिक है। कमाल की बात है कि ये ऑपिनियन

पहले लीडर ऑफ अपॉजिशन ने प्रैस कांफ्रेंस के अंदर बताया, बाद में वो अखबार में छपा और जिस दिन दिल्ली गवर्नमेंट का केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा हुआ था, उस दिन इसको अखबार के अंदर प्रमुखता से छपवाया गया। यह इत्तेफाक नहीं है स्पीकर साहब, इसका जिक्र आपने अपने मैसेज में भी किया है और मुझे लगता है कि उसके अंदर थोड़ी सी बदमाशी जाहिर होती है कि शायद यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि एलजी ने मैसेज भेजा स्पीकर साहब को, किसके लिए भेजा? असेम्बली के लिए भेजा और उसके ऊपर बड़ा–बड़ा बोल्ड में लिखा है कॉन्फिडेंशियल, गुप्त और उसको कॉपी कर दिया दो अफसरों को। तो उन्होंने लिखा गुप्ता और गुप्ता में दो अफसरों के पास इसको कॉपी कर दिया; चीफ सेक्रेटरी साहब को और लॉ सेक्रेटरी साहब को। यह पहली बार हुआ है इतिहास के अंदर। क्यों किया? अफसरों को यह आश्वासन देना था कि देखो मैं हूँ, मैं आपके लिए बैठा हूँ। इस सरकार ने आपके ही संरक्षण के लिए मुझे यहां बिठाया है। मैं आपका संरक्षण करूंगा और यह मैं आपको सबूत भेज रहा हूं। मैंने आपके संरक्षण के लिए एक पत्र भेजा है। अफसरों को संरक्षण की क्या जरूरत? अफसरों को बुलाकर क्या पूछा जाता है? अफसरों से क्या पूछते हैं? हम उनसे यह तो नहीं कहते कि वो फलाना जमीन पड़ी है, डीडीए की, वो सोमनाथ भारती जी को दे दो, ऐसा तो नहीं कहते। कुछ इस तरीके की बात नहीं कही जाती, अफसरों से कमेटी के अंदर बुलाकर पूछा जाता है कि सरकार ने पैसा दे दिया तो अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ क्यों नहीं पहुँच रही? अफसरों से पूछा जाता है कि अनअथोराइज्ड कालोनी के लिए पैसा दे दिया, ठेके हो गए तो अनअथोराइज्ड कालोनी के अंदर काम क्यों नहीं शुरू हुआ? अफसरों से बुलाकर पूछा जाता है कि दिल्ली के अंदर सैकड़ों अनअथोराइज्ड कालोनी हैं, जहां पर सीवर नहीं है, वहां का सीवर सीधा नाले में जा रहा है और नाले से सीधा यमुना में जा रहा है। ऐसी क्या

जरूरत हुई आपको कि आपने सरकार का 1200 करोड़ रुपया ऐसी जगह सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए दे दिया, जहां पर अभी आबादी ही नहीं है। स्पीकर साहब, वहां पर नाला ही नहीं है। सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट आई हुई है कि जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी ने कहा है कि वहां पर अभी नाले नहीं है, वहां पर उपयुक्त सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो मल की जरूरत होती है, जो फ्लो की जरूरत होती है, वहां पर नहीं है और हमारे अफसरों ने उसके लिए करोड़ों रुपये अलॉट कर दिया। अगर उनको बुलाकर पूछा जा रहा है कि वहां पर पैसा क्यों दिया, तो इसके अंदर परेशानी क्या है? जो कारण है, वो बता दो। किसी भी अफसर को कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिजन लेने के लिए अगर डिस्क्रिशन दिया गया है, डिस्क्रिशन मतलब उसकी मर्जी है कि वो क्या फैसला लेगा तो उसके ऊपर checks and balances हैं। वो discretion जो है, वो Arbitrary नहीं हो सकता। वो discretion rational होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि उसके कोई न कोई कारण होने चाहिए कि वो डिसीजन उस अफसर ने किन कारणों से लिया। अब अगर कारण ये है कि जी, बरसात आ गई थी, इसलिए नालियां नहीं बनी, तो कारण बता दो। अगर कारण ये है जी, दवाइयां अस्पतालों में इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि डाक्टरों की हड़ताल हो गई थी या दवाई की कंपनियां बंद हो गई थी, तो कारण बता दो, फाइल पर दिखा दो। मगर अगर कारण यह है के जी, एलजी साहब के यहां से टेलीफोन आया था कि ये काम नहीं करना है। तो ये कारण बताने में समस्या होगी। उस अफसर को भी समस्या होगी और एलजी आफिस को भी समस्या होगी क्योंकि ये बात अगर अफसरों ने ऑन रिकार्ड कह दी और स्पीकर साहब, मैं आपको बता रहा हूं अगर कुछ दिनों तक हम अफसरों को बुलाकर कारण पूछते रहे तो कुछ दिनों बाद अफसर ये भी कह देंगे। अफसर बता देंगे कि किसके दबाव के कारण

ये जो काम हैं, वो रोके जा रहे हैं। अब जो काम हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं। कमेटियां पूछती हैं कि भई, फलाना बैंक के अंदर हजारों वोटर हैं उन हजारों वोटरों के अंदर आधे से ज्यादा नकली हैं जिसके सबूत तुमको मिले हुए हैं, तो भी उन वोटरों को क्यों नहीं हटाया गया। तो अफसरों को जवाब देना चाहिए। अगर अफसरों ने वोटरों को हटाये बिना ही बैंक के अंदर इलेक्शन कराने की अनुमति दे दी। कोर्ट के बार बार कहने पर भी कि आप इन फर्जी वोटरों को हटाओ। उनको कहने के बावजूद भी अफसर कह रहा है नहीं, मैं फर्जी वोटरों को नहीं हटाऊंगा, मैं बैंक के अंदर जल्द से जल्द इलेक्शन कराऊंगा तो अफसर को जवाब देना पड़ेगा। अगर रोड की रि–कारपेटिंग देर से हो रही है, तो अफसर को जवाब देना पड़ेगा। अगर ईस्ट वेस्ट कारिडोर के अंदर अभी तक काम शुरू नहीं हो रहा, तो अफसर को जवाब देना पड़ेगा। अगर बारापुला फेज–3 किसी कारण से बार बार उसको रोका जा रहा है, दस ऐसी रोड्स हैं जिनको रिडिजाइन करने के आदेश दिये गये हैं अफसरों को। अगर उनके अंदर बार बार टांग अड़ाई जा रही है और उनको रिडिजाइन के लिए रोका जा रहा है तो अफसर को आकर जवाब देना पड़ेगा। प्राइवेट अस्पतालों के अंदर अगर ईडब्लूएस का कोटा है; 25 परसेंट मरीजों को देखने का कोटा है और दस परसेंट बेड्स करीबों को देने का कोटा है और फिर भी अगर हम प्राइवेट अस्पताल में जाएं और गरीबों को वो बेड नहीं मिल रहे, तो उसका जवाब अफसरों को देना पड़ेगा। या तो अफसर ये कहें कि मंत्री ने मना किया हुआ है, तो अफसर बता दें। अगर अफसर ये कहें कि मुख्यमंत्री ने मना किया हुआ है, तो अफसर बता दें और अगर ऐसा कारण नहीं है तो अफसरों को जवाब देना चाहिए। एससीएसटीज हैं, हमारे यहां एससीएसटी के करीब साढ़े पांच लाख बच्चों को जो एससीएसटी वर्ग से आते हैं माइनॉरिटी वर्ग से आते हैं, ओबीसी के वर्ग से आते हैं, डेढ़ साल तक उनको स्कॉलरशिप

नहीं दी गई। वो बच्चे डेढ़ साल तक स्कूलों के अंदर और दफ्तरों के अंदर चक्कर लगाते रहे, उनको स्कॉलरशिप नहीं दी गई। अगर स्कॉलरशिप न देने के पीछे कोई वाजिब कारण है, तो अफसरों को बताएं। अफसर हमें बताएं कमेटी के आगे कि ये कारण हैं, इस कारण स्कॉलरशिप नहीं मिली। अगर कारण नहीं हैं, तो अफसरों को डर लगना वाजिब है और ये अजीब बात है कि अगर अफसरों को डर लग रहा है, तो उसके कारण एलजी साहब को डर क्यों लग रहा है? ये तो कभी नहीं होता था ऐसा, और जो ब्यूरोक्रेसी के बारे में ओवरसाइट की जो बात है, ये तो हर कानून में, हर कॉन्स्टीट्यूशन में, हर प्रजातंत्र के अंदर लिखा हुआ है कि जो अफसर हैं इनकी जवाबदेही विधानसभा के प्रति है और पिछली बार मनीष सिसौदिया जी ने अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने बोला हम सरकार हैं। हमें कोई समस्या नहीं है कि कमेटीज हमारे अफसरों को बुलाकर पूछे और इस सरकार की जवाबदेही तय करे, तो एलजी साहब को क्या परेशानी है। अफसरों को क्या परेशानी है और एलजी साहब तो बहुत पुराने अफसर रहे हैं। ऐसा कोई न कि एलजी साहब आज एलजी बने। उससे पहले एलजी साहब ने केन्द्र सरकार के अंदर काम किया है। दिल्ली सरकार के अंदर काम किया है। जब केन्द्र सरकार के अंदर थे, मुझे बताया गया है, वो दौड़ दौड़कर कमेटीज के आगे जाते थे या नहीं गये हों तो वो बता दें कि मैं कमेटीज के आगे नहीं गया। हमारे पास रिकार्ड हैं, वो खूब कमेटीज के आगे जाते थे। उनसे सवाल पूछे जाते थे, उनको जवाब देने पड़ते थे। आज भी अगर आप सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अंदर देखें जो पार्लियामेंट के अंदर कमेटीज हैं, वो आज भी आरबीआई के गवर्नर को बुलाती हैं। आरबीआई के गवर्नर को कमेटीज ने बुलाया और पूछा कि बताइये कितने नोट आए वापस तो उन्होंने बताए कि जी, गिन रहे हैं। फिर पूछा कि बताओ कितने नोट आए वापस। फिर बताया, गिन रहे हैं। फिर वो जा नहीं रहे हैं। ये खबर भी आई है अखबार के

अंदर कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के ये जो अफसर हैं; आरबीआई के गवर्नर, ये आजकल कमेटी के आगे नहीं जा रहे हैं, बच रहे हैं। तो ये जो पैटर्न है, ऐसा नहीं है कि यहीं के लिए पैटर्न है। ये हर जगह पैटर्न है कि ये जो सरकार है केन्द्र में, और उस केन्द्र सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो एलजी साहब हैं, ये इस पैटर्न को बिलॉंग करते हैं कि ये चाहते हैं कि अफसरों की और सरकारों की जवाबदेही तय न की जाए।

अध्यक्ष जी, मैं एक दो छोटी छोटी बातें और जरूर बताऊंगा कि कई जगह ऐसा हो रहा है कि कोर्ट्स जो हैं, वो रिट इश्यू कर रही हैं हमारे अफसरों के खिलाफ। रिट का मतलब ये होता है कि जब कोई सरकारी अफसर अपना काम नहीं करता, अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं करता, जो काम, जिसके उसको पैसे मिलते हैं, वो काम नहीं करता, तो वो जो विक्टिम होता है, जो कंप्लेनेंट होता है, वो उसके खिलाफ कहीं कहीं जाता है और अगर कहीं भी उसको रिलीफ नहीं मिलता, तो उसके लिए एक्स्ट्रा आर्डिनेरिली रिलीफ का एक मौका रिट ज्यूरिडिक्शन के अंदर मिलता है कि आप हाईकोर्ट 226 के अंदर या आप सुप्रीम कोर्ट 32 के अंदर चले जाएं और वहां पर अफसरों के खिलाफ रिट जारी होती है। रिट आफ मेन्टेनेन्स, उसका मतलब यह होता है कि अफसर जो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा उसको आदेश दिया जाता है कि आप अपनी ड्यूटी पूरी करें। बार बार हमारी सरकार के अफसरों के खिलाफ रिट जारी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट कह रहा है कि आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। इसका मतलब ये है कि ये लोग अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर रहे और उससे पहले कोर्ट जनरली क्या है, इस चीज के अंदर नहीं जाती कि आपने ड्यूटी पूरी क्यों नहीं की। कोर्ट ज्यादातर ये कहता है कि ये ड्यूटी आपकी है, आप इसको पूरी कीजिए, डायरेक्शन दे रहे हैं। मगर ये काम इस हाउस

का है। इस हाउस की कमेटीज का है। सरकार का है; ये देखना कि ये जिम्मेदारी जो इस अफसर की थी, जिसकी शपथ इसने संविधान के अंतर्गत खाई थी, वो जिम्मेदारी क्यों पूरी नहीं हुई, उसको जानने का अधिकार इन कमेटीज को है और उस अफसर को बताना पड़ेगा कि उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया।

अध्यक्ष महोदयः कन्क्ल्यूड करिए सौरभ जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः स्पीकर साहब, बस मैं सब आखिरी में अपनी बात ये रख रहा हूं कि ये जो लीक होने की जो बात हुई, उसका जो जवाब जो एलजी साहब के पास से आया, अच्छी बात ये है कि आपने, मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने इस बात को मेन्शन किया अपने पत्र में कि ये चीज कैसे लीक हुई। क्योंकि ये मामला सिर्फ आपका नहीं है, ये पूरी की पूरी हाउस की प्रिविलेजेस का मामला है कि वो मैटर या वो मैसेज जो हमारे लिए था, वो हमसे पहले कुछ लोगों के पास पहुंच गया। हमसे पहले वो अखबारों में पहुंच गया। हमसे पत्रकार फोन करके पूछ रहे थे कि जी, ऐसा मैसेज आया है स्पीकर साहब के पास, बोलिए, आपका क्या कहना है?

हम तो बड़े हैरान थे कि स्पीकर साहब के पास मैसेज आया है, एलजी साहब ने भेजा है, पत्रकार क्यों पूछ रहे हैं इसके बारे में! इसको, एक बड़ा शब्द है 'लीक', लीक किया गया। तो आपने अपने पत्र में ये संदेह जाहिर किया और मैं आपकी इस बात पर दोबारा से हृदय से प्रशंसा करूंगा स्पीकर साहब कि आपने ये लिखा कि एलजी साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और मेरा दिल ये बात बिल्कुल नहीं मानता, हालांकि मेरा मानता है सर, आपका नहीं मानता। आपका दिल इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि ये एलजी आफिस से ये मैसेज लीक हुआ होगा। मगर एलजी साहब ने

अपना जवाब जो दिया, वो बहुत मजेदार जवाब है, ''only the copies of the forwarding letter of the massage were endorsed to him." कहने का मतलब है कि पत्र नहीं दिया, उनको बाहर का पत्र दिया था। वो क्यों दिया था? मुझे नहीं समझ आया कि क्यों दिया था और उससे क्या हासिल किया एलजी साहब ने! मगर उससे एलजी साहब ने कुछ हासिल किया हो, न किया हो, इस हाउस ने बड़ा कुछ हासिल किया आज। उससे ये बात साबित हो गई कि ये जो मैसेज है, वो चीफ सेक्रेटरी के आफिस से लीक नहीं हुआ और वो लॉ–सेक्रेटरी के आफिस से भी लीक नहीं हुआ और लॉ सैक्रेटरी के ऑफिस से भी लीक नहीं हुआ। आपने इसका एतराज जताया, इसलिए आपके यहां से लीक हुआ ही नहीं। बस सिर्फ एक ही ऑफिस बचा है, एलजी साहब ने खुद ही लिख दिया इसके अंदर कि इन दोनों की तरफ से लीक हो ही नहीं सकता। क्योंकि इनको तो मैंने पत्र दिया ही नहीं। तो ये मैसेज जो है, ये कहां से लीक हुआ है? स्पीकर साहब, ये आपका पर्सनल मामला नहीं है। ये पूरे हाउस का मामला है कि इस तरीके के मैसेज को मीडिया के कन्जम्पशन के लिए लीक किया जाता है और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस आ रहा है, उनको इस चीज से इन्फ्लुएन्स करने के उद्देश्य से, इस घटिया उद्देश्य से इसको जिस आदमी ने भी लीक किया है, इस उद्देश्य से लीक किया है तो इसके अंदर दो तीन बातें साबित होती है और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हाउस की तरफ से कि आप इसका संज्ञान लीजिएगा। आपको जो ठीक लगे, आप उसके हिसाब से इस पर संज्ञान लीजिएगा और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः ऋतुराज गोविन्द जी। संक्षेप में रखिए, वक्ता आज बहुत हैं।

श्री ऋतुराज गोविन्दः सबसे पहले तो अपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया, अध्यक्ष महोदय इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

मैं एक चीज कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि संविधान की धारा 239 (एए) इस हाउस को ये पॉवर देती है कि सरकार के तमाम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पूरी सरकार इसके प्रति एकाउंटेबल रहेगी। इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेगी। और ये हाउस क्या है? लोकतंत्र का मन्दिर। जहां पर जनता के नुमाइन्दे जहां पर जनता के चुने हुए सभी प्रतिनिधि यहां पर आ करके बैठते हैं जो कि जनता के हितों में कानून बनाते हैं। जिसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी जिसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव की होती है, इन अफसरों की होती है और उसके बाद जब कोई विवाद होता है तो ज्यूडशियरी उसका ध्यान रखती है। यही हमारा संविधान का फैडरल स्ट्रक्चर है। जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशियरी। जिससे ये देश चलता है, यहां कि व्यवस्थाएं चलती हैं और सबसे इम्पोर्टेण्ट यह है कि यहां पर विधान सभा अध्यक्ष के पास पॉवर है कि तमाम सब्जेक्टस के ऊपर कमेटीज बना करके इन अफसरों की एकाउंटिबिल्टी फिक्स करें जिसके लिए इन्होंने काम किया। कमेटीज बनी अनओथोराईज्ड कालोनी की। कमेटीज बनी डीआईपी की। ताकि जो, डीआईपी क्या है? सरकार का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो जनता को पूरी तरीके से जानकारी देने के लिए प्रचार करती है। सरकार का प्रचार करती है। सरकार के कार्यो का प्रचार करती है। जनहित योजनाओं के बारे में बताती है अध्यक्ष महोदय। लेकिन हुआ क्या? सरकार ने कहा कि पिछले साल डेंगू, चिकनगुनिया की वजह से बहुत मारा–मारी हुई थी। इस बार हम लोग पहले से स्टैण्ड लेंगे। पूरा प्रचार करेंगे। चारों तरफ होर्डिंग लगाएंगे

और जितने भी सेफ्टी मेज़र होते हैं, वो लेंगे और डेंगू ओर चिकनगुनिया के मामले में लोगों को पूरी तरीके से अवेयर करेंगे कि जिससे कि ये मामले में लोग अवेयर हो जाएं और जो भी प्रिवेंटिव मेज़र्स हैं, उसको लें जिससे कि बचाव हो सके। लेकिन हुआ क्या? दिल्ली में प्रचार तो हुआ। होर्डिंग भी लगा और पोस्टर भी लगा लेकिन किसी भी प्रचार को जब हम करते हैं तो प्रचार तो ऐसा हो जो प्रचार का उद्देश्य पूरा करता हो यानी कि हमारे साथ जब हम फील्ड विजिट पर गए थे, इस कमेटी के हम मैम्बर हैं, गोयल साहब चेयरमैन हैं। जब हम लोग फील्ड विजिट पर गए तो चीफ सैक्रेटरी साहब हमारे साथ थे। डीआईपी डायरेक्टर साथ थे। अधिकारी हमारे साथ थे। जब डेंगू और चिकनगुनिया का जब होर्डिंग्स हमने दिखाया तो पांच से दस मीटर की दूरी पर भी उसको पढ़ा नहीं जा सकता था। पढ़ा नहीं जा सकता था! क्या किया इन्होने? फॉर्मैलिटी के लिए होर्डिंग लगा दिये ओर एक–एक कॅमर्शियल होर्डिंग का रेट हमने पता किया, एक लाख रूपया! दो लाख रूपया! दो लाख रूपये का होर्डिंग दो मीटर की दूरी पर पढ़ा ही नहीं जा सकता था। तो ये पैसा किसका था? किसका पैसा वेस्ट हुआ? दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट हुआ। आब्जैक्टिव क्या था? लोगों को अवेयर करना ओब्जेक्टिव था। चिकनगुनिया से, डेंगू से इन चीजों से। वो ऑब्जैक्टिव पूरा नहीं हुआ। चीफ सैक्रेटरी साहब हमारे साथ गए, कमेटी साथ गई, विधान सभा सचिवालय के ऑफिसर हमारे साथ गए। सब लोगों ने देखा। हम लोगों ने रिपोर्ट बनाया और जा करके सरकार को बताया कि आपके जो एम्पलाई है, उनके ऑब्जैक्टिव पूरा नही हो रहा है। उसके बाद उसके ऊपर ऐक्शन हुआ। इसके अलावा जब हम लोग गए तो पता चला कि होर्डिंग जहां लगा हुआ है, जो पार्क के अंदर लगा हुआ है, जिसका एन्ट्री गेट एग्जिट गेट से कोई लेना देना नहीं है। किसी को नहीं दिखता है। कहीं टैम्पू के पीछे लगा हुआ है, कहीं पेड़ के पीछे छिपा हुआ है।

लाखों करोड़ रूपया वेस्ट कर दिया गया जनता के पैसे का। लेकिन उसका ऑब्जैक्टिव पूरा नहीं हुआ। दिल्ली के अंदर शिक्षा के ऊपर एक क्रान्ति हो रही है। पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है! माननीय उप–मुख्य मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है! सब लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से शिक्षा के ऊपर एक क्रान्ति आई है! कैसे काम हो रहा है! दिन रात काम कर रहे हैं मनीष जी इसके लिए और जिसका परिणाम हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूल से बेहत्तर सरकारी स्कूल के बच्चों ने किया है। सरकारी स्कूल के बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से बेहतर रिजल्ट लेकर आए। जिसको एप्रिशिएट करने की जरूरत थी। जिनके बारे में दुनिया को बताने की जरूरत थी। जब सरकार ने उसके लिए प्रचार करने के लिए जब उस डिपार्टमेंट को कहा गया कि भई, आप इसका प्रचार करिए। देश के लोगों को पता चलना चाहिए, दिल्ली के लोगों को पता चलना चाहिए। तो उसको जानबूझ करके डिले कर दिया गया। कहा गया कि ये टेलीविजन में एडवरटाइजमैंट दीजिए। टेलीविजन के अंदर बीसियों चैनल का नाम था। अपने आप अफसर ने डिसाईड कर लिया कि नहीं, ये खाली दिल्ली आज तक और टोटल टीवी चलता है। दिल्ली के अंदर तो इसी के अंदर हम चैनल में एडवरटाइजमैंट देंगे। एडवरटाइजमैंट नहीं चला। दिल्ली के बच्चों के बारे में इन लोगों ने जो मेहनत किया था, इन लोगों ने पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर ऐसा नाम कमाया कि प्राइवेट स्कूल से बेहत्तर सरकारी स्कूल के बच्चों ने रिजल्ट लेकर के आया। इसके बारे में प्रचार नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? Just because of the relent attitude of the bureaucracy. जो कि लोग जिम्मेदार थे उस डिपार्टमेंट के, जो भी डायरेक्टर्स थे, उन्होने नहीं किया। जब कमेटी के सामने उनसे ये पूछा गया

कि आपने क्यों नहीं किया? तो वही घुमा फिराकर जवाब। इनका फाइल कहां घूमता है? एलजी हाउस। कहां घूमता है? लॉ सैक्रेटरी। किस चीज को भई? ये पैसा किसका है? दिल्ली के उन गरीब लोगों का है, उन मजदूरों का है जो अपने कमाए हुए पैसे से, बचाए हुए पैसे से इस देश के अंदर, इस दिल्ली के अंदर टैक्स भरते हैं। उससे ये एडरटाइजमैंट होता है। उससे ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन उसका सदुपयोग नहीं किया गया। तो क्या हमें इनसे जवाब नहीं लेना चाहिए? क्या हमें इनसे नहीं पूछना चाहिए कि क्यों नहीं किया? ये कहते हैं कि सरकार ने 95 करोड़ रूपये जो है, वो वेस्ट कर दिया। किस चीज में? कि एडवरटाईजमेंट में। हमने बोला कमेटी के अंदर कि फाईल दिखाओ। कहां पर वेस्ट हुआ है हम जानना चाहते है? देखना चाहते हैं कि दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट हुआ है। ये तो बहुत सीरियस इश्यू है। हम लोगों ने इनसे फाईल मंगवाया। तो भाई साहब, वो फाइल दिखाने को तैयार नहीं हैं। हम क्या टैररिस्ट हैं! कौन हैं हम लोग? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं अध्यक्ष महोदय। लाखों लोगों ने चुनकर भेजा है, इस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर। ताकि उनके हित की आवाज उठा सकें। हमने इनसे फाईल मांगा और ये कमेटी क्या है? अध्यक्ष महोदय की बनाई हुई कमेटी, जिसको मिनी पार्लियामैंट कहते हैं। हमने इनसे फाईल मांगा कि बताओ 95 करोड़ की फाईल कहां है? वो फाईल आज तक नहीं पहुंचा है। क्योंकि वो सब फाईल–फाईल खेलते रहते हैं। जनता पिसता रहता है। वो फाईल कहां है? तो कभी बोलते हैं कि एलजी साहब के यहां है, कभी बोलते हैं कि लॉ सैक्रेटरी के यहां पर है, कभी बोलते हैं कहीं, कभी बोलते कहीं है। आज तक वो फाईल नहीं पहुंचा है। 95 करोड़ की ये वेस्ट हुआ है, वो ये बोलते हैं कि पैसा वेस्ट हो गया। इसके बारे में जिन्होंने बात की थी। उसका फाईल आज तक नहीं पहुंचा है।

अध्यक्ष महोदय, एक और कमेटी है। जिसका मैं चेयरमैन हूं; अनआथोराईज्ड कालोनी का। अनआथोराईज्ड कालोनी की कमेटी को बनाने की जरूरत क्यों पडी? अनआथोराईज्ड कालोनी में कौन रहता है? गरीब आदमी रहता है। दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा जरूरमंद व्यक्ति कहीं रहता है तो अनआथोराईज्ड कालोनी में रहता है। अनआथोराईज्ड कालोनी वो जगह होती है, जहां न तो पानी है, ना सड़क है और न नाली है। किसी भी बुनियादी चीज की, जरूरत की चीज भी वहां पर पूरी नहीं हो पाई। इसके लिए उन बुनियादी चीजों को, जरूरत को पूरी कर सकें। उसके लिए हमने कमेटी बनाया, अनआथोराईज्ड कालोनी की कमेटी बनाया जिसका हमें चेयरमैन बनाया गया। वहां पर पता चला कि आज से डेढ़ साल पहले उद्घाटन किया गया था, सडक नालियों को बनाने का।

अध्यक्ष महोदयः ऋतुराज जी, कन्कलूड कीजिए। देखिए तीन बज चुके हैं। क्योंकि दो वक्ता, दूसरा नम्बर आपका है।

श्री ऋतुराज गोविन्दः मैं केवल पांच मिनट लूंगा बस। अध्यक्ष महोदय बहुत जरूरी बात है। अनआथोराईज्ड कालोनी के अंदर बुनियादी चीजें दुरूस्त की जा सकें, इसके लिए सरकार ने पैसा दिया। डीएसआईडीसी को पैसा दिया। पूरी जिम्मेदारी दी ताकि सड़क नालियां और जितनी भी पानी की व्यवस्था, ये सारी चीज अनआथोराईज्ड कालोनी में हो सकें। गरीब लोगों के लिए हो सके। लेकिन हुआ क्या! डेढ़ साल पहले पैसा दिया। टैंडर हुआ, उद्घाटन हुआ। छः महीने का कॉन्ट्रेक्ट हो पाया अध्यक्ष महोदय। छह महीने के अंदर उस ठेकेदार को, उस ऐजेंसी को अपने कार्य को खत्म करना होता है लेकिन हुआ क्या? एक साल, सवा साल हो गया। 50 परसेंट काम भी कंपलीट नहीं हुआ। बरसात आ गया; कीचड़, पानी, आदमी सब तैर रहा है, परेशान हो रहा है तो हम लोगों ने कमेटी बनाया। वहां पर

डीएसआईडीसी के डॉयरेक्टर को बुलाया और जब हम लोगों ने पता किया कि भईया, क्यों नहीं काम हो रहा है तो उसके अंदर दस खामियां निकल कर के आई और ऐसी दस विधानसभा थी जहां पर डीएसआईडीसी के डायरेक्टर को और तमाम आफिसर को लेकर गये; बुराड़ी गये, विकासपुरी गये, ओखला गये, सब जगह गये। उसके बाद क्या हुआ? काम में तेजी आ गया और छः महीने के अंदर उस काम को कंपलीट करना था, सवा साल, डेढ़ साल में जाकर काम कंपलीट हुआ। किसका नुकसान हुआ? उस टैक्स पेयर का नुकसान हुआ जिनके दिये हुए टैक्स के पैसे से इन आफिसर्स को दो–दो तीन तीन लाख रूपया सैलरी मिल रहा है, इनको गाड़ी मिलता है, इनको बंगला मिलता है लेकिन काम नहीं करता है। जिस काम को छः महीने में कंपलीट करना था, उसको डेढ़ साल में भी कंपलीट नहीं कर पाये। किसको प्राबलम हुई? अनओथराईज कालोनी के सभी रिप्रजैन्टेटिव को हुई। सुबह सुबह दो–दो सौ लोग हमारे घरों पर आ जाते हैं, हमें गालियां देते हैं कि भईया, पहले तो छह महीने में काम होता था।

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिये ऋतुराज जी, विषय हो गया। ऋतुराज जी, कन्क्लूड करिये।

श्री ऋतुराज गोविंदः उसके बाद पता चला....

अध्यक्ष महोदयः बहुत ज्यादा हैं पंद्रह सोलह वक्ता हैं।

श्री ऋतुराज गोविंदः हमें पता चला कि कुछ इनका फाइनेंनशियल ईशू है, किसके साथ है? फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ। आप यकीन नहीं करेंगे। कमेटी की मीटिंग में जैसे ही पता चला कि इनके बीच में कुछ फाइनेंनशियल ईशूज हैं, विद इन वन वीक फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 140 करोड़ रूपया डीएसआईडीसी को पे कर दिया। उसके बाद पता चला कि कुछ नक्शे का

मसला है, यानी कि यूडी, अर्बन डेवलेपमैंट, तो 15 दिन में वो भी सॉर्ट आऊट हो गया। कमेटीज मोस्ट इफेक्टिव चीज है आज की तारिख में। दिल्ली के लिए। कैसे है? क्योंकि आपस में आफिसर्स बात तक नहीं करते हैं। महीनों महीनों इनके यहां फाईल पड़ी रहती है,देखते तक नहीं हैं। नहीं हैं जब कि अध्यक्ष महोदय, these officers, these bureaucracy should be accountable *or inki* accountability को कोई एक ऐजेंसी फिक्स कर सकती है तो सिर्फ विधानसभा कर सकती है। वो सिर्फ ये कमेटीज कर सकती हैं। जब से ये मैसेज मार्किट में फ्लॉट होना शुरू हुआ है कि एलजी साहब ने चिटठी लिखा है, एलजी साहब ने कोई ऐसी बात करी है ,इनके ऐटीटयूट चेंज हो गया है। मैं एलजी महोदय से कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आज सदन की कार्यवाही एलजी महोदय देख रहे हैं, आप बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। आप को अगर लगता है की कमेटीज के ऊपर ऐसे तलवार लटका कर के आप ब्यूरोक्रेसी को बचा लेंगे तो ये गलत है और एलजी साहब मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर ये आफिसर्स एकाऊंटेबल नहीं होंगे तो ये काम नहीं करेंगे क्योंकि सर्विसिज तो आपके पास है, ट्रॉंसफर, पोस्टिंग आपके पास है। जिस दिन इन आफिसर्स को ये पता लग गया कि ट्रॉंस्फर, पोस्टिंग नहीं हो सकती है तो हमारी किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है, ये किसी की नहीं सुनेंगे। ये कमेटीज का ही दल है जो दिल्ली में काम हो रहा है, अनआथोराईज कालोनी में काम हो रहा है, गरीब लोगों का काम हो रहा है और अगर ये चीज नहीं हुआ तो ये बिल्कुल फेल हो जायेगा सब कुछ। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अंत में....

अध्यक्ष महोदयः भई गोविंद जी, अब कन्क्लूड करिये, प्लीज।

श्री ऋतुराज गोविंदः मैं एक ही चीज...

अध्यक्ष महोदयः बहुत लंबा हो गया, समय देखिये, एक घंटा, दो वक्ता ले जायेंगे तो बात नहीं बनेगी।

श्री ऋतुराज गोविंदः ठीक है, अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः पंकज पुष्कर जी। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि आज वक्ता 18 हैं और इसका ध्यान रखते हुए पांच सात मिनट में हम अपनी बात पूरी करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री पंकज पुष्करः माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय पर बात करने का अवसर देने के लिये धन्यवाद। मैं समय की गरिमा का ध्यान रखूंगा साथ में ये भी निवेदन करूंगा कि लगभग बहुत अवधि के बाद मैंने आपसे, क्योंकि बहुत संवेदनशील विषय है, बहुत गहरे महत्व का विषय है, इसलिये मेरा विशेष निवेदन है कि कुछ बातें प्रकाश में आनी जरूरी हैं। मैं सभी सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी सम्मानित साथियों से प्रार्थना करूंगा और जो प्रशासन के प्रतिनिधि के तौर पर यहां बैठे हैं, कि ये मामला दरअसल लोकतंत्र के स्वरूप से जुड़ा कुछ मामला है। हमारी विधायिका के भविष्य के जुड़ा कुछ मामला है तो इसको यथासंभव हम दलगत या व्यक्तिगत दृष्टिकोण से ऊपर उठकर देखें, ये मेरा निवेदन रहेगा। मैं स्वयं भी इसी दृष्टिकोण से रखूंगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये रिकार्ड में लाना चाहता हूं कि दरअसल जिस तरह से पूरे भारत में लोकतंत्र का विकास हुआ है, हम ध्यान करें इसी सदन में आजादी से पहले लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन हुआ। 1919 को याद करें 1935 को याद करें 1947 को याद करें 1952 को याद करें। मैं रेखांकित ये करना चाहता हूं कि हमारी पिछले डेढ़ सौ वर्ष की यात्रा लगातार लोकतंत्र के विस्तार की यात्रा है, लोकतंत्र लगातार गहरा हो रहा है और लोकतंत्र के गहरा होने का मतलब क्या है, हम जानते हैं। दिल्ली, आज मैं अखबार में कल माननीय केन्द्र का

मंत्री हरदीप पुरी साहब का वक्तव्य पढ़ रहा था, उन्होंने दिल्ली की चुनी हुई विधानसभा और सरकार के लिए एक सिटी गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल किया। सिटी गवर्नमेंट का जो कोनोटेशन है, वो बिल्कुल अलग है। दिल्ली का जो आकार है और दिल्ली की जो प्रकृति है, यूरोप के कई देशों से बड़े आकार की दिल्ली है। दिल्ली में इस समय जो भौगोलिक विविधता है, यहां पर जनता की जो विविधता है, बहुत सारे देशों में वो विविधता नहीं है जो कि दिल्ली के अंदर है। तो सिटी गवर्नमेंट नहीं है। दिल्ली अपने आप में एक भारत नाम के महादेश का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है जिसमें कि पूरे देश के लोग आते हैं, रोजगार के लिये आते हैं, शिक्षा के लिये आते हैं, अपने भविष्य को बनाने आते हैं। तो इसलिये जो लोकतंत्र की भावना है, जो संघवाद की भावना है, उसके दृष्टिकोण से दिल्ली की चुनी हुई विधानसभा, दिल्ली की चुनी हुई सरकार का जो महत्व है, वो किसी भी अन्य प्रदेश की विधानसभा से कम महत्व उस को नहीं दिया जा सकता, ये बात मैं बिल्कुल एक राजनीति के छात्र होने के नाते और पूरे सच्चे नागरिक धर्म को निभाते हुए कहना चाह रहा हूं। ये कोई दलगत भावना के साथ मैं बात नहीं कर रहा। मैं ये रेखांकित करना चाह रहा हूं कि हर दल में अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये कहा है कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इस बात का मतलब क्या है? अगर भारत में संघवाद है, भारत में अगर एक कोआपरेटिव कंडीशन की बात है तो उसमें निश्चित रूप से एक यूनियन गवर्नमेंट है, एक संसद है लेकिन प्रदेश की एक चुनी हुई सरकार है, प्रदेश की एक चुनी हुई विधानसभा है और यहां कहीं ये वर्गीकरण नहीं है, केन्द्र की सरकार कोई ऊपर की सरकार नहीं है। केन्द्र की सरकार अपनी कुछ निश्चित भूमिकाओं के साथ है। इसी तरह प्रदेशों की सरकार या चुनी हुई विधायिकाएं अपने अपने कार्य क्षेत्र में हर किसी का बराबर महत्व है। वो महत्व जो है, आज

हमारे बीच सरोकार का विषय है। आज जब समितियों के महत्व पर चर्चा हो रही है तो उससे जुड़ा विषय है। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय का पत्र पढ़ रहा था, मैंने पहले इसका संज्ञान नहीं लिया। सबसे पहली बात तो हम कहना चाहते हैं की हम संविधान को और कानून का हृदय से सम्मान करने वाले वो लोग बैठे हैं जो वर्ग राजनीति में मजबूरी में नहीं आये, रोजगार की तलाश में नहीं आये, किसी व्यवस्था परिवर्तन के लिये और अपना देश धर्म निभाने के लिए आये हैं तो उपराज्यपाल के चाहे संस्था का सम्मान हो, चाहे संसद की संस्था का सम्मान हो, हम इसमें कोई समझोता न करना चाहते, न होने देना चाहते हैं लेकिन मैं ये भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो लोकतंत्र के विस्तार की जो एक यात्रा है, जो सौ वर्ष से चल रही है सन् 1919 में, सन् 1935 में यहां एक समय केवल लेफिटनेंट गवर्नर हुआ करते थे। केवल अंग्रजों के द्वारा नियुक्त कमिश्नर हुआ करते थे लेकिन आज एक चुनी हुई विधानसभा है। चुनी हुई विधानसभा जनता के आदेश, जनादेश का प्रतिनिधित्व करती है, जनता के आदेश को सामने रखती है तो लोकतंत्र का सामान्य नियम है कि जनादेश से कानून बनेंगे, जनादेश से नियम बनेंगे। जनादेश और जनता की चुनी हुई सरकार जनता की चुनी हुई विधानसभा, पूरे व्यवस्था का नियमन करेंगे, जिम्मेदारी के साथ करेंगे। संविधान की भावना के अंतर्गत करेंगे। इस मर्यादा का हम पूरा सम्मान करना चाहते हैं लेकिन दिल्ली के विशेष संदर्भ में समितियों का क्या विशेष महत्व है? मान्यवर अध्यक्ष महोदय, डेढ़ वर्ष पहले मैंने आपको प्रार्थना करके एक पत्र लिखा था और मैंने आपसे ये निवेदन किया था के दिल्ली के हर विषय में हर डिपार्टमेंट के मामले में विभागीय समितियां होनी चाहिए। जब सबसे पहले वहां शिक्षा के विधेयक रखे गये थे। यहां पर, मैंने स्वयं अपने शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि इनको हमें प्रवर समिति को भेजने चाहिए, सलेक्ट कमेटी को भेजने चाहिए या एक अलग समिति बनानी चाहिए।

जितना बड़ा दिल्ली का जो स्वरूप है, जो चुनौती आज है, हमारी एक सदन की विधानसभा है जो एक बात कही गई माननीय उपराज्यपाल महोदय के पत्र में 331 (ई) का हवाला देते हुए कि वहां कहा गया है कि Standing Committees shall not consider the matter of day to day administration of the concerned ministry and department. जब कि 244 (डी) कहता है कि To tack-up matter of the public importance concerning the respective department for scrutiny, inquiry, investigation and make report there on. There is a very solid rationale behind this thing.

ये बिल्कुल उचित है जो हमारे संघवाद का पूरा फ्लो है, उसमें सबसे ऊपर केन्द्र सरकार है, एक संघ सरकार है, प्रदेशों की सरकार है और उसके बाद जिले के स्तर पर शक्तियों का डेलीगेशन किया गया है। उसके बाद 72 वे 73 वें संविधान संशोधन के बाद गांव और नगरीय निकायों में सख्तियां की गई हैं। ये बिल्कुल सही है कि संसद या संसद की कोई भी समिति किसी भी विभाग की डे टू डे एक्टिीविटी में भाग नहीं ले सकती, उसे नहीं लेना चाहिए। अगर लोक सभा का नियम कहता है तो बिल्कुल सही कहता है। लेकिन दिल्ली के क्षेत्र में, दिल्ली के क्षेत्राधिकार के अंदर जहां एक सरकार जो कि एक सिंगल एक यूनिक ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट, यूनिक ट्रिब्यूनल लेजिस्लेचर है। एक सदन की विधान सभा है। यहां पर राज्य सभा और लोक सभा की तरह दो सदन नहीं है। दो अलग अलग सचिवालय नहीं हैं। इसलिए इस एक मात्र सदन के ऊपर वो जिम्मेवारी है कि वो दिल्ली के भविष्य से जुड़े हर विषय पर गंभीरता से और गहनता से विचार करे। वो गंभीरता और गहनता से विचार कैसे संभव होगा? हमारे केवल सात मंत्री हो सकते हैं, हमारे अपने प्रदेश के आकार के हिसाब से ब्यूरोक्रेसी में हिस्सेदारी मिल सकती है, आईएएस मिल सकते हैं। मैं हर अपने वरिष्ठ

अधिकारी को देखता हूं, वो हर अधिकारी बहुत अधिक दायित्व का निर्वहन कर रहा है। एक साथ तीन तीन, चार चार जिम्मेदारियां निभा रहा है। चार चार विभागों के वो सचिवालय संभाल रहे हैं। हमारे हर मंत्री एक से ज्यादे बहुत बड़े विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन जब हमको विधायक के तौर पर हर रोज, हर सुबह जनता की अदालत में जाना है, जनता के सवालों का जबाव देना है तो जनता के उन सवालों के जबाव ढूढ़ने के लिए हमें उस पर गहराई से मंथन करने वाला, विचार करने वाला, चिंतन करने वाला, चर्चा करने वाला मंच चाहिए। वो हम अपने न तो मंत्री महोदय का कार्यभार बढ़ा सकते हैं और न अपने सचिव महोदय साहब से अतिरिक्त अपेक्षा कर सकते। हमारे जो एक सदन की विधान सभा है, वो साल में ये संभव नहीं है कि दो सौ दिन बैठे। इसके लिए जरूरी है कि गहराई से मंथन करने के लिए सही नीति नियोजन के लिए, सही नीति निर्माण के लिए, अपने विभागीय कामों की जांच पड़ताल के लिए, सोशल ऑडिट के लिए विभागीय समितियां बने। ये लोकतंत्र के मूल स्वरूप को प्रतिलिक्षित करने वाला, लोकतंत्र के मूल भावना को आगे बढ़ाना वाला एक अनिवार्य कदम है, इस पर किसी भी दलीय निष्ठा से, किसी भी दलगत भावना से कोई संबंध नहीं है। अगर हमारी निष्ठा भारत के लोकतंत्र के प्रति है, अगर हमारी निष्ठा भारत के संविधान के प्रति है...

सभापति महोदयः कंक्लूड करिये पुष्कर जी, अब कंक्लूड करिये प्लीज।

श्री पंकज पुष्करः हां जी। निष्ठा भारत के संविधान और लोकतंत्र के प्रति है तो उसकी मांग ये है कि अनिवार्य तौर से हम अपनी दिल्ली विधान सभा की जिम्मेदारी निभायें, अपनी समितियों को जिम्मेदारी सौंपे, वो समितियां गहराई से विचार–मंथन करें। आज जब हम कोई नीति निर्माण करना है तो वो हमारे दो घंटे की, चार घंटे विधान सभा की चर्चा में संभव नहीं

है, उसके लिए समिति को चार दिन, छः दिन बैठना पड़ेगा। सिस्टम में अभूतपूर्व काम हो रहे हैं, क्रांतिकारी काम हो रहे हैं, स्वास्थ्य में कुछ अभूतपूर्व काम हो रहे हैं, बिजली और पानी में अभूतपूर्व काम हुए हैं, ऐतिहासिक महत्व के काम हुए हैं। अगर इस क्रांतिकारी संभावनाओं को आगे बढ़ाना है, तो समितियों को वो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। समिति के सदस्यों को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और आखिरी बात जो पूरे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पत्र का जो भाव है कि संविधान तो ये कहता है, नियम की संहिता तो ये कहती है, रूल बुक तो ये कहती है, मैं तो केवल पुरानी बात दोहरा देना चाहता हूं कि Consitution not only being written they also evolve. संविधान और नियमों की किताबें केवल लिखी ही नहीं जाती, जब लिखी जाती हैं, वो पत्थर की लकीर नहीं होती, वो जनादेश की भावना के हिसाब से इवॉल्व होती हैं, वो आगे बढ़ती हैं, इस दृष्टिकोण से ये लोकतंत्र की जो मूल भावना है, भारत के संविधान की मूल भावना है, जिसको कि दिल्ली की विधान सभा पूरी तरह से उसकी मर्यादा का पालन करती है, उसका अनुपालन करती है, उस दृष्टिकोण से मेरा सभी दल के जो दल दिल्ली विधान सभा के अंदर बैठे हैं, वो भी और जो बाहर हैं, वो भी, पूरे प्रशासन के वो वरिष्ठ अधिकारी, वो बिल्कुल एक स्वर से माननीय उपराज्यपाल महोदय से मेरा निवेदन है कि संविधान की जो लैटर एण्ड स्प्रिट है, उसकी जो मूल भावना है, उसकी रोशनी में लोकतंत्र की जो मूल भावना है, उसकी, उसकी मूल भावना का अनुपालन करते हुए दिल्ली में विधान सभा अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरी गहराई में जाके दिल्ली की विधान सभा की समितियों के माध्यम से काम करे, इसको अपना सहयोग दें, अपना आशीर्वाद दें, अपना मार्गदर्शन दें और मेरा केवल कहना ये है कि आज वो समय बदल रहा है कि दिल्ली के एक जो स्वर यहां आया

है, सवाल ये नहीं है कि हम दूसरों से जबाव चाहते हैं, हम दूसरों की अकाउंटिबिल्टी तय करना चाहते हैं, हम अपनी भी अकाउंटिबिल्टी भी तय करना चाहते हैं। हमको एक ऐसी लेजिस्लेचर बनना है, आने वाले समय के ऐसे विधायक बनना है, जिसके अंदर प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, प्रोफेशनल प्रोफिसियेंसी हो, हमें अपने काम के दर्जे को अगर गहरा करना है, तो मैं सलाम करता हूं सौरभ जी को, अपनी उस पेटिशन कमिटि में जाके जब एक एक जगह जाते हैं। यहां जो लोग बैठे हैं, निश्चित रूप से आदर्श शास्त्री जी, सौरभ जी, कई लाख कमाने वाले दूसरे काम कर रहे होते, माननीय मनीष सिसोदिया जी के साथ के लोग कई हजार करोड़ के चैनल के मालिक बन गये, आज अगर हम लोग बैठे हैं तो अपने नागरिक धर्म को निभाने के लिए, अपने देश धर्म को निभाने के लिए बैठे हैं, उस दृष्टिकोण से गहराई में जाके काम करने के लिए समितियों को जिम्मेदारी देना आवश्यक होगा।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद।

श्री पंकज पुष्करः जगदीश प्रधान जी।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद, पंकज जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री पंकज पुष्करः अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना ये है, मैं बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पर प्रार्थना कर रहा हूं कि इसको दलगत भावना से ऊपर उठ के, लोकतंत्र के प्रति निष्ठा निभाने के लिए, संविधान के प्रति निष्ठा बढ़ाने के लिए दिल्ली की विधान सभा की महान मर्यादा को और आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से काम करें, समितियों को काम करने को...

अध्यक्ष महोदयः बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश गुप्ता जी। संक्षेप में राजेश जी। जितना कम समय लेंगे, आनंद आएगा।

श्री राजेश गुप्ताः सर हम तो छोटे में ही कह देता हूं, कभी ज्यादा लिया ही नहीं। खैर आपने बोलने मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

मैं शुरूआत वहां से करना चाहता हूं कि कल हमारे एक आदरणीय सदस्य ने कहा था कि हम सीरियसली सदन को लेकर नहीं हैं। ज्यादा लोग होते नहीं हैं, लेकिन अनफॉर्च्युनेट बात ये है कि इस वक्त भी अभी थोड़े देर पहले तो 75 परसेंट लोग उनके बाहर थे। अब आ गये हैं, तो 50 परसेंट ही रह गये हैं, अभी भी। दो तो आये नहीं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा हो कि हम बोलें तो वो भी सुनें, बाकी हम तो आपस में बात तो करते रहते हैं।

सर, आपने जब शुरूआत करी तो आपने कहा कि एलजी साहब के पद और गरिमा का पूरा ध्यान रखा जाये, जब हम बात करें। वैसे तो ये सदन हमेशा हरेक के पद और गरिमा का ध्यान रखता है और एलजी साहब तो इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि बहुत सम्मानीय हैं। लेकिन जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने स्कूल के अंदर चंद लाइनें पढ़ी थी और वो थी कि:

Respect cannot be demanded, it has to be commanded.' Respect can not be forced, it has to be erned.' और जब देश के सम्मान, दिल्ली के सम्मान विधान सभा के सम्मान और सबसे पहले इस देश में रहने वाले दिल्ली में रहने वाले नागरिकों की सम्मान की बात होगी तो सबसे पहले उनका सम्मान होगा, वो सबसे ज्यादा आगे हैं, वो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सम्मानीय हैं और मैं कहीं से भी नहीं मानता कि एलजी साहब की रिस्पेक्ट और दिल्ली की जनता के इंटरेस्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट हैं। वो दोनों अपने जगह सर्वोच्च जगह पे हैं और वो रहनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक अपॉजिशन के लैटर लिखने की कहानी है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इनको कुछ कंफ्यूजन हुई, जो ये अंग्रेजी का शब्द कमेटी, ये जो आप तो बता रहे हैं कि हम तो समझते हैं कि कमेटी जो पैसे डालने की कमेटी होती हैं, इनको लगता है कि वो वाली कमेटियां हैं ये? ये बड़े टेंशन में आ गये कि यार! ये सत्ता पक्ष के लोगों की बड़ी कमेटियां हैं, ये आठ–आठ, नौ–नौ बंदे की कमेटी में हैं, हम नहीं हैं, तो हमारी कमिटी क्यों डल रही है? तो इनको, इनको थोड़ा कंफ्यूजन हो गयी। इसको हिंदी में, इनको बता दिया जायें कि इनको हिंदी में समितियां कहते हैं, तो ये वो समितियां हैं जो क्या होती हैं? कल सिरसा साहब कहते हैं कि गूगल बड़े करते हो तो बड़ा सिम्पल काम है क्योंकि मैं बड़े सिम्पल भाषाओं में इन चीजों को रखता हूं तो गूगल बड़ा सिम्पल लिखा हुआ है कि The Parliament committees are established to study and deal with various matters that cannot be directly handled by the Legislator due to their volume. They also monitor the functioning of the executive branch.

गूगल पर अगर आप पार्लियामेंट्री कमेटीज लिखेंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ आ जायेगा। बहुत आसान सी चीज है, लेकिन शायद इनको कमिटी से कोई दूसरा मतलब चला गया है, ये बहुत परेशान हो गये। परेशान इनको होना चाहिए था जो हमारे मंत्रीगण हैं। अगर सबसे पहले परेशानी होनी चाहिए तो उनको होनी चाहिए थी क्योंकि आज जब हम कमिटी की मीटिंग्स करते हैं तो कई बार उच्च अधिकारियों को पहले कमिटी और उसके पास आना पड़ता है, कमेटी के समक्ष पेश होना पड़ता है और मंत्री जी को भी उन्हें बताना पड़ता है कि आज हमारे कमिटी की मीटिंगें हैं तो रिशिड्युल कर लीजिए अपनी मीटिंग को। इनको कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि हमारे मंत्री जानते थे कि हम उनका हाथ बंटा रहे हैं, न कि कोई सत्ता की लड़ाई

है, कोई पॉवर की लड़ाई है फिर पॉवर सेंटर बनाने की लड़ाई है, बल्कि ये डिसेंट्रलाइजेशन आफ पॉवर है, जिसकी बात आम आदमी पार्टी लगातार करती रही और उसी के लिए ये कमिटियों का हमने गठन करा और आपके द्वारा, सदन के द्वारा इन कमिटियों को बनाया गया। ये कमिटियां बनी किस लिए? इन कमिटियों का काम यही है क्योंकि मंत्री के लिए जरा बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो सदन के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखे सरकार ने और सदन ने, उसके लिए बजट पास कर दिया, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग क्या हो रही है; एक उदाहरण मैं आपको दूं तो हॉस्पिटल के लिए दे दिया कि ये सारी दवाइयां फ्री मिलेंगी, इसको चैक कैसे किया जाये? मंत्री तो सारे हॉस्पिटल में में जा नहीं सकते, विधायक के लिए भी ये मुश्किल है, आसान नहीं है कि वो रोज जाके देखे और बड़े उच्च अधिकारी को तलब करे, तो इस कमिटियों का गठन हुआ कि किस तरह ये पता करा जाये, जाके जैसे कि अभी मेरे साथियों ने बताया। जगजीवन राम हॉस्पिटल से एक कंप्लेंट आई कि सुबह जब लाइन लगती है तो वहां पे बहुत ज्यादा घुटन हो जाती है, जो ओपीडी के लिए लाइन लगती हैं। हम सुबह सुबह ओपीडी के टाइम पे पहले वहां पे पहुंचे जो हमारी पीटिशन के अंदर कमिटी के मेम्बर्स थे। हमने वहां पे जाके देखा और तुरंत उसी दिन ये कहा गया कि इसमें फटाफट एग्जॉस्ट लगाने का काम शुरू करा जाये और तीन चार दिन में लग गये। बड़ा छोटा सा काम था, तीन चार एग्जॉस्ट लगाने का। ऐसे ही एक हॉस्पिटल से कंप्लेंट आयी कि डाक्टर रात को सोते रहते हैं, वहां पहुंच गये, हमने देखा, डाक्टर सो रहे हैं, उनकी रिपोर्ट बनायी गयी कि भई क्यों सो रहे हैं? जीबी पंत हॉस्पिटल के अंदर रात को दो बजे और अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर ये कमिटियों से जैसे मैंने कहा कि मंत्रियों को तो सबसे ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए और उससे ज्यादा अगर किसी को दिक्कत हो सकती है तो कमिटी के

मेम्बर्स हैं क्योंकि हमें अपनी विधान सभा के अलावा पिछली बार जब सदन चल रहा था, तो रोज लगातार 11 बजे यहां कमिटियों की मीटिंग थी और उसके बाद हम सदन में बैठते थे यानि कि हम साढ़े दस बजे यहां आ जाते थे और शाम को साढ़े छः सात बजे यहां से निकलते थे। तो उसके बाद में उन चीजों की पढ़ाई करनी पड़ती है, जो कमिटियों के अंदर होती है। ये उसी तरीके से महावीर हॉस्पिटल के अंदर गये, सब हॉस्पीटल्स में गए, जाकर उनके रोस्टर्स चैक करे, दवाइयां चैक करी, कौन सी दवाइयां हैं, कौन सी नहीं है, सब को जाकर देखा।

एक मैं बड़ी अजीब सी बात और बताना चाहता हूं आपको। एक कमिटी का मैं भी चेयरमैन हूं सीएनजी कमिटी है जो इंक्वायरी की कमिटी है। उसके बारे में हम ज्यादा अभी तो बात नहीं कर सकते लेकिन उसमें हम डाक्यूमेंटस मंगा रहे थे और बड़ी अजीब बात है कोई उसमें डाक्यूमेंटस देना नहीं चाहता था। एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे। कोई कहता जी, कि उधर फाइल भेजी हुई है, उधर से उधर फाइल भेजी हुई है, उधर से उधर फाइल भेजी हुई है और सबसे कमाल की बात जो लॉ डिपार्टमेंट है जिसका काम है कि जो अपनी राय देता है कि फाइल देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, उन्होंने भी लिख दिया कि दे देनी चाहिए। उसके बावजूद भी उसे घुमा रहे हैं। उसके बावजूद भी उसे घुमाए जा रहे हैं कि नहीं जी, आपको नहीं दे सकते। ये इस तरीके का डर, घबराहट मेरा ये मानना है कि बात–बात पर हम अधिकारियों पर डालते हैं लेकिन अधिकारी डरे हुए हैं एलजी साहब से। एलजी साहब डरे हुए हैं जिन्होंने उनको लगाया है। ये किस चीज की लड़ाई है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। हम बड़ी–बड़ी बातें यहां पर करते रहें। कल हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे, ''भाषण देते हैं'' हम कहां भाषण दे रहे हैं। बड़ी सिम्पल सी कहानी है कि लोगों के काम होने दो। मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, दोनों यहां बैठे हुए हैं और ये भी जानते हैं इस

बात को, एलजी साहब भी सुन रहे होंगे शायद अगर सुन पा रहे हैं या जो भी लोग विपक्ष में हैं या हमारे साथ हैं, वो इस बात को समझें। काम है लोगों का, काम करने दें। बाकी चीजें भगवान के हाथ में छोड़ दें। ये वैसे भी भगवान राम को बहुत मानते हैं तो इस बात को समझें कि 'होइ है वही जो राम रचि राखा' अगर हमने जीत के आगे आना है तो आप हमें रोक नहीं पाओगे। तो क्यों पाप ले रहो हो बेवजह का? तो आप साथ दें। दिल्ली की जनता के लिए हमारा सहयोग करें और जो आपने लेटर लिखा है, वो बहुत ही अपने आप में डिटेल में लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको आनंद आया होगा।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, बिल्कुल आनंद आया। अलका लाम्बा जी। गागर में सागर भर दी आपने।

सुश्री अलका लाम्बाः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने इस कमिटियों के मुद्दे पर जो वो पत्र एलजी साहब ने आपको लिखा, आपने एलजी साहब को लिखा और मुझे लगता है अध्यक्ष जी, इसमें कुछ पत्र मिस है उसको आप देख लीजिएगा क्योंकि ये वो ही पत्र हैं जिसकी जानकारी शायद आपको भी नहीं, सदन को भी नहीं लेकिन कुछ पत्रकारों के पास वो पत्र की कॉपियाँ और जानकारियाँ उपलब्ध हैं क्योंकि आपके पास, सदन के पास, सरकार के पास वो पत्र आने से पहले, वो पत्र किस तरीके से पत्रकारों के पास या विपक्ष तक के पास पहुंच जाते हैं और इनके सोशल मीडिया पर उस पे कमेंट भी होना शुरू हो जाता है। मैं अभी भी आपसे निवेदन करूंगी ये जो कॉपियाँ हैं, वो पूरी नहीं हैं। इसके बीच में और भी कॉपियाँ हैं, उसे भी आप खोज करिए और उसे सदन के सामने लाकर उस पर भी चर्चा करवाइये, ये मेरा आपसे निवेदन है।

अध्यक्ष जी, अभी सोशल मीडिया पर जब मैंने लिखा कि आज विधान सभा में जो कमिटियां हैं, उसके गठन के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, मैं उस पर आज बोलूंगी तो काफी लोगों ने उस पे पूछा आप लोगों ने गेस्ट टीचर की नियुक्ति पक्की करने के ऊपर चर्चा की, हमने सुना। आपने मैट्रो के बढ़ते दामों के ऊपर चर्चा की, हमने आपको सुना लेकिन ये विधान सभा की कमिटियां क्या करती हैं, इनका क्या काम होता है, ये जनता से कैसे जुड़ी हुई हैं, जनता का क्या भला होगा इस पे अगर आप सारा दिन सदन में चर्चा करेंगे तो? ये बहुत कम लोगों को पता है कि विधान सभा की कमिटियां जो ताकत है, क्या है! फिर उसके बाद कुछ लोगों ने और भी कमेंट किया अरे! ये वो ही कमिटियां हैं जिस पर अभी हमारे राजेश गुप्ता जी ने कहा जो सुबह 10.00 बजे से शाम को 6.00 बजे तक के लिए जनता के लिए बैठते हैं, ये वो कमिटियां हैं। किसी ने ये भी कहा कि ये वो ही कमिटियां हैं जिसको लेकर सौरभ भारद्वाज जी ने जो बरसात में नाले भर रहे थे, उसकी जांच करवा दी थी। किसी ने ये लिखा है ये वो ही कमिटियां हैं दिल्ली विधान सभा के स्पीकर द्वारा बनाई गई जो रात को दो–दो बजे तक अस्पतालों में जाकर ये देखती है कि मरीज को सही इलाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अस्पताल में डॉक्टर है या नहीं है और किसी ने फिर ये भी लिखा उसके बाद कि अरे! हमें तो ये लगता था कि ये कमिटियां जो हैं सिर्फ टूर के नाम पर देश और विदेश के दौरे करती हैं। ये कमिटियां क्योंकि शायद उन्होंने आज तक ऐसा ही देखा हो कि एक कमिटी बना लीजिए, वो कमिटी स्टडी टूअर के नाम पर सरकारी खर्च के ऊपर देश और विदेश जाएगी और अपना घूम फिरकर, आकर एक रिपोर्ट थमा देगी। उस रिपोर्ट पे कारवाई हो रही है, नहीं हो रही है, ये किसी को नहीं पता है लेकिन हम लोगों ने कमिटियों की ताकत क्या है, उसका अहसास जनता को करवाया और आज जनता पूरी इसको

सोशल मीडिया पर देख रही है कि क्या कमिटियां हैं! मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि ये पहली सरकार है जिन्होंने इस तरह की कमिटियों का जो स्पीकर सर, आपने गठन किया और पूरे सदन ने उसका समर्थन किया, ये पहली सरकार है, जिसने विरोध नहीं किया, जिसने समर्थन किया। क्योंकि ये वो सरकार है, जो चाहती है कि हां, इस सदन के प्रति और जिसे इस सदन ने चुना है उन लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही बनती है। ये सुनकर इन्होंने, पूरी सरकार ने इन कमिटियों का समर्थन किया और अपनी जवाबदेही से वो पीछे नहीं हटे लेकिन परेशानी किसको है? अगर कमिटियां इन्हें बुलाती हैं, सरकार को बुलाती है, सरकार के विभाग के अधिकारियों को बुलाती है और उनसे पूछती है कि बताइये, जनता के लिए क्या–क्या योजनाएं सरकार लेकर आई हैं? बताइये, जतना को उसका फायदा मिल रहा है या नहीं मिल पा रहा है और जनता ने भी बहुत बार इन कमिटियों को लिखना शुरू कर दिया है। उनकी जो समस्याएं हैं, जिसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, वो इन कमिटियों को आपके माध्यम से भी अध्यक्ष जी, बहुत बार हम कमिटियों तक वो संदेश पहुंचाती रही हैं जिसको हम लोग विभाग की जवाबदेही को तय करते रहे। अगर आपको परेशानी नहीं, अध्यक्ष जी, इस सदन को परेशानी नहीं, सरकार को परेशानी नहीं तो इन कमिटियों से परेशानी है किसको और क्यो है? मैं ये बात पूछना चाहती हूं अगर ये कमिटियां अधिकारियों को बुलाती हैं तो किसलिए बुलाती है? सरकार एक योजना लेकर आई है, उस योजना को जन–जन तक पहुंचाने का काम पूरा सरकारी अधिकारियों का है तो क्या उनको बुलाकर पूछें नहीं कि आपकी सरकार की जो योजनाएं हैं, वो आपके विभागों तक नहीं पहुंच पा रही हैं लोगों तक। मैं समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षा हूं, अध्यक्ष जी, आप ही ने मुझे उस कमिटी का चेयरमैन बनाया है। उस कमिटी में बाल विकास से लेकर जितने भी पेन्शन से जुड़े मामले हैं; चाहे वो बुजुर्गो की पेन्शन,

विधवाओं–महिलाओं की पेन्शन हो, या विकलांग पेन्शन हो, आज बहुत से लोगों को अगर पेन्शन नहीं मिल रही वो हमारे दरवाजे पर आ रहे हैं तो क्यों नही हम अधिकारियों से पूछेंगे कि अगर सरकार ने एक हजार रूपया पेन्शन बढ़ा दी है तो क्यों आज भी लोगों को एक हजार रूपया बढ़कर नहीं मिल रही? क्यों लोगों की पेन्शन लगी हुई छः महीने से रूकी पड़ी है? क्या हमें ये पूछने का हक नहीं है? मुझे लगता है अध्यक्ष जी, ये ज्यादा कुछ नहीं, एक बहुत बड़ा षडयंत्र है।

आजादी के बाद से सिर्फ 10 और दिल्ली 11वां राज्य है पूरे देश में जिनके पास ये स्टैण्डिंग कमिटीज हैं। मैं थोड़ा सा डाटा बता रही हूं; बाकी देश के राज्यों में जो विधान सभाएं हैं, उनकी न कोई कमिटियां हैं, न वहां पर जनता सीधा जो है, वहां पर जवाबदेही अधिकारियों की, इवन कि सरकार की तय कर पा रही है। क्यों उनको जरूरत महसूस हुई, नहीं हुई अभी तक, मुझे नहीं मालूम और इस पे क्या किसी ने कभी वहां से एल.जी., गवर्नर ने ऑब्जेक्ट किया है, मैं पूछना चाहूंगी? आसाम विधान सभा में चार कमिटियां बनाई हुई हैं। हरियाणा में दस हैं। हिमाचल में चार हैं। कर्नाटका में 15 है। केरला में 14 हैं। मणिपुर में बहुत छोटा सा मणिपुर राज्य है, उसकी अपनी स्टैण्डिंग कमिटी 13 है। अध्यक्ष जी, दिल्ली की तो सिर्फ अभी सात हैं। नागालैंड–7 कमिटियां, तमिलनाडु–11 कमिटियां, उत्तराखंड–6 कमिटियां और पश्चिम बंगाल में तो 26 कमिटियां! रिकार्ड ब्रेक होता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 26 ऐसी स्टैण्डिंग कमिटियों का गठन किया है जहां पर सरकार और अधिकारियों की जवाबदेही तय होती है कि जो योजनाएं सरकार लेकर आ रही हैं, वो जनता तक पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही और वहां पर पादर्शिता से इसकी बात होती है। आज मुझे लगता है हो–हल्ला सारा का सारा दिल्ली की सात कमिटियों पर ही आकर क्यों टिकता है?

अब ये लोग बहुत आराम से कह देंगे, अरे! ये दस के दस राज्य जो हैं, वो पूर्ण राज्य का दर्जा है। उन्हें सब चीज करने की आजादी है। दिल्ली को इसकी आजादी नहीं, क्यों? क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है।

दिल्ली का शासक जो है, दिल्ली को चलाने का हक हाई कोर्ट ने भी दुर्भाग्य की बात है, मैं कहूंगी दिल्ली के एलजी को दे दिया है। ये पूछा गया था कि दिल्ली को चलाने का हक किसे मिला है, दिल्ली के लोगों ने किसे चुना है, क्या चुनी हुई सरकार, चुना हुआ मुख्यमंत्री या केंद्र द्वारा नियुक्त किए हुए एलजी? दुख की बात है, हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री, चुनी हुई सरकार को ये हक नहीं है, ये हक केंद्र के द्वारा नियुक्त किए गए एलजी को है, ये अधिकार है। हमें उम्मीदें अभी भी टिकी हुई हैं क्योंकि ये लड़ाई हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ इसकी सुनवाई कर रही है। उम्मीद करती हूं ये फैसला दिल्ली की जनता के हित में आएगा कि दिल्ली ने जिन लोगों को चुना है, दिल्ली की सरकार, दिल्ली के विधायक जिनको चुना है, उनको दिल्ली का जो है, वो हक दिया गया है।

अध्यक्ष जी, दुःख की बात है, ये जो पत्र जब हम पढ़ रहे थे, आप भी संवैधानिक पद पर हैं, हम लोग भी संविधान के दायरों में चुनकर आए हैं और दिल्ली के एल.जी. भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। पर ये जब पत्राचार आप लोगों में हुआ है, बहुत दुःख होता है इसे देखकर कि कौन संविधान के दायरे में काम कर रहा है, कौन संविधान के दायरों से बाहर जाकर काम कर रहा है। हर किसी को नियम और कानून समझाए जा रहे हैं लेकिन प्रयास सिर्फ इसी तरह किया जा रहा है कि किसी तरह

भी इन कमिटियों को जो है, वो भंग कर दिया जाए। इन कमिटियों की ताकत को खत्म कर दिया जाए और किसे बचाने की कोशिश की जा रही है? उन्हें बेनकाब किया जाना बेहद जरूरी है। वो बेनकाब आप करेंगे। अध्यक्ष जी, जब उस बाकी पत्र जो यहां पर नहीं हैं, उन पत्रों का जब आप यहां सदन के सामने इन सबका खुलासा करेंगे, ये एक बहुत बड़ा षड़यंत्र है अध्यक्ष जी। मैं वापिस दोहराती हूं ये समस्या सिर्फ इसीलिए आ रही है कि भाजपा और काँग्रेस के साथ–साथ आम आदमी पार्टी जब चुनाव में थी अध्यक्ष जी, हम तीनों के घोषणा पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही गई थी। अध्यक्ष जी, अगर आज दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया होता, अध्यक्ष जी, हम किस मुद्दों पर यहां चर्चा नहीं कर रहे होते? हम विकास के ऊपर आगे बढ़ रहे होते। जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली में काम हुआ है, हम विकास के ऊपर चर्चा करके विकास को आगे बढ़ा रहे होते लेकिन नही, हम इस तरह के षड्यंत्रों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, हम इस तरह के आप द्वारा गठित कमेटियों को कमजोर करने पर चर्चा कर रहे हैं। किसको फायदा होगा, उस पे चर्चा कर रहे है। अध्यक्ष जी, मैं आज इस बात को दुबारा दोहराती हूं और दिल्ली के लोगों को कहना चाहूंगी कि आप के साथ भाजपा और काँग्रेस ने बहुत बड़ा जो है, वो धोखा किया है। दोनों के घोषणा पत्रों में आपको पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात थी। मैं दुबारा दोहराती हूं इस सदन से दिल्ली की सरकार पूर्ण राज्य के दर्जे के साथ और पूरा सदन खड़ा हुआ है, अब अगर ये जल्द मिल जाए तो ये रोजना के ये जो है कि कभी आप मोहल्ला क्लीनिक पर रोक लगा देंगे, कभी आप हमारे गैस्ट टीचर की परमानेंट नियुक्ति पर रोक लगा देते हैं, कभी आप, आप देखिए आप ही ने अपने पत्र में अध्यक्ष जी लिखा है, एलजी साहब को ये क्यों, हमें एल.जी. महोदय को बार–बार बताना पड़ता है कि एल.जी. महोदय, आपके सब्जैक्ट लैंड,

पुलिस और पब्लिक ऑर्डर है। ये आपने दुबारा उन्हें बताने की जरूरत समझी है। विधान सभा की कमेटियॉ। न लैंड से, न पुलिस से, न पब्लिक ऑर्डर से जुड़ा मामला है, ये तो संविधान की किताब कहती है, पहले लोकसभा के स्पीकर जी वी. मावलंकर जी ने कहा है संविधान ने आपको ताकत दी है अध्यक्ष जी। ये आपकी ताकत को चुनौती दी जा रही है अध्यक्ष जी, कि आप इन कमिटियों का गठन करें और आपने इन कमिटियों का गठन किया और आज ये कमिटियाँ सरकार और अधिकारियों की जवाबदेही तय कर रही हैं, पारदर्शिता ला रही है। तो जनता से इन कमिटियों को कमजोर करने की बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद करती हूं आपने बहुत सख्त और स्पष्ट लैटर एलजी साहब को लिखा है। मैं आपसे निवेदन करूंगी, आप जितनी ताकत से लड़ेंगे अध्यक्ष जी, या मजबूती से खड़े रहेंगे, उतनी ही ताकत इस सदन को मिलेगी, कहीं आपको कमजोर करने का प्रयास किया गया अध्यक्ष जी, तो इस सभा का संचालन आप कर रहे हैं, अगर आपको कमजोर किया गया तो पूरे इस सदन को कमजोर किया जाएगा और अगर ये सदन कमजोर होती है, अध्यक्ष जी, तो इस सदन ने जिस सरकार को चुना, इन विधायकों ने जिस सरकार को चुना है, वो सरकार कमजोर होगी और मुझे लगता है कि इनकी मंशा सिर्फ यही है कि किसी तरह भी इस सरकार को कमजोर किया जाए, जयहिन्द।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद, धन्यवाद अलका जी। सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारतीः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने इस बड़े संवेदनशील मुद्दे के ऊपर बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, 239ए, चूंकि सारा का सारा इसके ऊपर स्ट्रैस है माननीय

एलजी महोदय की चिट्ठी में कि आप संवैधानिक काम नहीं कर रहे। Article 239AA of Constitution of India, मैं सीधे आपको ले चलूंगा इसके सब क्लॉज (3) सब सब कलॉज (ए) में जो बकायदा कहता हैः Subject to the provisions of the this constitution the LegislativeAssembly shall have power to make laws for the hole or any part of the National Capital Territory with respect to any of the matters enumerated in the state list or in the concurrent list in sofaras any such matter is applicable to Union Territory is, except matters with respect to entries 1, 2 and 18 of the state list and entry 64, 65And 66 of that list insofaras they relate to the said entries of 1, 2 and 18.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको फिर ले चलूंगा article 239AA का जो क्लॉज (6) है, that says the council of ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly. *isme kahi nahi kaha ki* Council of ministers of the Government is accountable or responsible to be to respond to , to report to L.G. It categorically states that will be collectively... shall be, it says may also. It says shall be collectively responsible to Legislative Assembly. It no where says L.G.

अध्यक्ष महोदय, जब संविधान और संविधान की शुरूआत में जो बात कही गई, संविधान की शुरूआत कैसे होती है, 'We the people of India.' तो संविधान किसके लिए है? We the people of India के साथ संविधान की शुरूआत और वो संविधान कहता है कि Council of ministers की accountability एल.जी. के प्रति नहीं है। It is to LegislativeAssembly अध्यक्ष महोदय। पिछला बजट 43 हजार करोड़ का था और जो एल.जी. साहब का जो हाउस है, स्टाफस है, एल.जी. साहब है, उसका, उनके रेमुनेरेशन का और जो खर्चा होता है, पूरा इतना बड़ा महल चलता है, वो

सबका खर्चा इस असेंबली ही बजट करती है। अध्यक्ष महोदय, इतना जो संविधान है, संविधान के बाद कानून है जीएनसीटीडी एक्ट 1991 है उसके बाद रूल्स इन प्रोसिजर्स हैं, इन सबका क्या, ये सब क्यों बना? At the helm of Affairs for the purpose of Governance of Delhi. So that they can do everything which would ensure that actualization of the rights of the people of Delhi take place.

अध्यक्ष महोदय, जब मैं चिट्ठियों को इसको पढ़ रहा था, तो उसमें लगा कि ये चिट्ठी लिखने का कारण क्या है पहले अगर आपको अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ले चलूं, हमारी पहली सरकार जब बनी थी, आपके माध्यम से सदन का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब पहली बार सरकार बनी तो जो हमने दिल्ली वासियों को वायदा किया था कि करप्ट और करप्शन दोनों का खात्मा करेंगे, जब सरकार ने, शीला दीक्षित जो हमसे पहले मुख्यमंत्री थी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, जब सैंट्रल मिनिस्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, जब नोटिड इन्डस्ट्रियलिस्ट जो इस देश के अंदर जिनको किसी को ताकत नहीं है अंबानी के खिलाफ, हमने एफआईआर दर्ज किया, तो ये सब हाहाकार मच गया देश के अंदर कि ये जी, हो क्या रहा है! ये कौन से लोग आ गए, ये क्या करेंगे? इनको लगा था कि जब हमको पॉवर मिलेगा तो हम भी इनके जैसा कम्प्रोमाइज करके बैठ जाएंगे, हम भी उस गोरखधंधे में लग जाएंगे जिनमें ये लगे हुए है लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एंटीक्रप्शन ब्रांच का ऐसा सद्पयोग जो पहली बार इस सरकार ने करके दिखाया कि दिल्ली के अंदर एक डर और एन्टीक्रप्शन का जो माहौल दिल्ली के अंदर पैदा हुआ, ऐसा कहा जाता है कि कई एसएचओज ने लिखकर के दे दिया कि जी, मुझे एसएचओ नहीं बने रहना, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब भी कोई घूस मांगे, जब भी कोई ब्राइब मांगे तो मना मत करना, रिकॉर्ड कर लेना। अब ऐसे माहौल में... आज

भी दिल्ली वासी याद करते है कि वो जो माहौल था, जब दिल्ली के अंदर पुलिस और एमसीडी थर–थर काँपती थी, कि जी, पता नहीं क्या हो जाएगा, कब पकड़े जाओगे और डीसीपीज उस वक्त के जो थे उन्होंने बुला करके बोला था सबको कि भईया, पकड़े गए तो मेरे पास मत आना, कोई प्रोटैक्शन साथ नहीं है। अब वैसे माहौल से निकल के आएं हैं। तो जैसे ही इनकी सरकार बनी तो सबसे पहला काम क्या किया, एन्टीक्रप्शन ब्रांच को दिल्ली सरकार के पास थी, जिसके जरिए दिल्ली के अंदर एक भ्रष्टाचार रहित माहौल पैदा किया गया, उसको छीन लिया। कहने लगे कि ये कानून आपके पास नही है। ये भी एसीबी amounts to be a police station और पुलिस स्टेशन आपके पास हो नहीं सकता बिकॉज कानून आपको ये दर्जा देता नहीं है। अब इन्होंने हर हथकंडे अपनाए जो कि हमें अपने काम करने में वीक कर सकता है। जो हमारी एकाउंटीबिल्टी जनता के प्रति है, जो हमारी एकाउंटीबिल्टी उन उद्देश्यों के प्रति है जिसका मनीष जी ने कहा कि It is a contractual obligation, वो काम ना हो पाएं।

अध्यक्ष महोदय, जब इन्होंने छीन लिया हमसे एसीबी, उसके बाद इन्होंने कहा कि जी, सर्विसेज, सर्विसेज भी आपके पास नहीं है। मतलब... वो ट्रांस्फर, सस्पैंशन, टर्मिनेशन, अकाउंटेबिल्टी अधिकारियों की हम तय नहीं कर सकते। अच्छा जी! बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो एक्सक्लूजन लिस्ट है, जैसा अखिलेश ने कहा कि जो एक्सक्लुजन लिस्ट है संविधान के अंदर दिया हुआ, उसमें सर्विसेज नहीं आता। अब ये करना क्या चाहते हैं! पूरी चिट्ठी पढ़ कर अध्यक्ष महोदय, ये चाहते हैं कि भैया एसीबी छीना, ये न माने, सर्विसिज हमने छीना, ये न माने। अब इन्होंने कमिटीज बना दी। ये चाह रहे हैं कि भई ऐन–केन प्रकारेण इन सबको गुप्ता और गुप्ता और जिस तरह से गुप्त लिखकर वो रिलीज कर देते हैं, मजाक बना दिया है आपके

आफिस का। अध्यक्ष महोदय, ये चाहते हैं कि किसी न किसी कारण से इनको रोको, लेकिन रूकते नहीं हैं। पहली बार, मैं देख रहा था संविधान, पहली बार ऐसा एक माहौल देश के अन्दर पैदा हुआ जिसमें रूलिंग पार्टी के विधायक, रूलिंग पार्टी की सरकार को एकाउंटेबल ठहराना चाहते हैं, पहली बार ऐसा हुआ। अक्सर होता है कि अपोजिशन चाहता है कि भई, तुम्हारे अधिकारी काम नहीं कर रहे लेकिन जैसा सौरभ ने पिछले अपने भाषण में कहा था कि भई, गाड़ी हमारी ड्राइवर इनका, अब ये चाहते हैं कि भई, ड्राइवर तो हमने इनसे छीन लिया, ड्राइवर कंट्रोल करने की ताकत तो छीन ली लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। इन्होंने कमिटीज बना दी। अब उस कमिटी के सहारे जो हमने दिल्लीवासियों को वादा किया था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टोज के अन्दर, उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कौन–सी हानि है? इसमें कौन–सी आपत्ति है? आप कहते हैं कि दिल्ली के हेड हम हैं। अरे! दिल्ली के हेड हो तो दिल्ली और दिल्लीवासियों का भला तो करो। हमने कमिटियों के माध्यम से मांग क्या लिया इनसे? हमने यही कहा न कि नालों की सफाई करो, दिल्ली में बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। आज सवेरे–सवेरे ही मंत्री जी पहुंच गए मेरे मालवीय नगर के अस्पताल के अन्दर 8 बजे आठ–साढ़े आठ बजे पहुंच गए। किसके लिए पहुंचे? जनता के लिए पहुंचे, पता करने पहुंचे कि भैया जो हमने आठ से दो किया, दो–दो घंटे समय बढ़ाया है, उसका कितना फायदा पहुंच रहा है। तो जैन साहब जब पहुंचे और जनता कह रही कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ये संभावना से परे है कि एक सीटिंग मिनिस्टर कल कानून बना और आज उसका कंप्लाएंस देखने पहुंच गया! ये इतिहास है, ये ही तो उनको डराता है, क्यों डराता है कि भई अगर इतने सारे काम ये ही कर लेंगे तो दो बातें सिद्ध होंगी उससे। आज तक 67 साल तक इन लोगों

ने बेवकूफ बनाकर रखा हमें। ऐसे कई हमारे जितने साथी बैठे हैं, इनके पास ऐसे अनुभव होंगे कि काम 40 साल पुराना था, नहीं हो रहा था, 20 साल पुराना था, नहीं हो रहा था। हमारे विधायकों ने एक फोन किया, दो बार मीटिंग करी, थोड़ा दिखाया अपना दम, काम हो गया। अब ये इनको घबरा रहा है। ये इनकी नींद उड़ा रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय इनकी दुश्मनी है क्या? इनकी दुश्मनी ये है कि ये जो न्यू सेटअप पीपुल आए हैं, जिनका उद्देश्य है कि भई भगत सिहं जी का वो सपना जिसके अन्दर भारतवर्ष के अन्दर वो सपना गांधी जी का जिसके अन्दर भारतवर्ष के अन्दर पंक्ति में अन्तिम आदमी का सपना भी पूरा हो सके जो ये सरकार ये विधायक काम कर रहे हैं, अगर ये हो गया, तो इनका क्या होगा!

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिए सोमनाथ जी, कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः मुझे याद है चूंकि इसी सदन ने मुझे चेयरमैन बनाकर एक स्पेशल इंक्वायरी कमेटी बनी थी To investigate alleged illegal restoration of cancelled licence of ration shop in a ward, बुराड़ी के अन्दर राशन शॉप के अन्दर जो धांधलेबाजी चल रही थी, उस धांधलेबाजी को मेरे साथी संजीव झा ने पकड़ा और अधिकारियों ने बाकायदा कानूनन कानून का पालन करते हुए उसका लाइसेंस कैंसिल किया। फिर क्या हुआ? वो कैंसिल करने के बाद, वो भ्रष्टाचारी कहां पहुंचा? वो सीएम के पास नहीं आया, वो एमएलए पास नहीं गया, वो गया तो एल.जी. साहब के पास गया कि जी हाय–तौबा! हमारा कैंसिल कर दिया! हम तो पहुंचा रहे थे चंगा वाला, भाजपा के लोगों को पैसे पहुंचा रहे थे हमारा कैंसिल कर दिया, बचा लो। एलजी साहब ने कहा कुछ चिंता न करो, बैठो आराम से कर देंगे सारा काम। तो ऐसे कानून के अध्यक्ष महोदय, एलजी साहब ने ऐसे कानून का हवाला दिया Delhi specified Articles regulation of distribution

order 1981 जो रिपील हो चुका जो खत्म हो चुका एक रिपील्ड कानून के अन्तर्गत एक अपील का प्रोविजन बनाकर के उसके राइट को रिस्टोर कर दिया। उसकी दुकान को रिस्टोर कर दिया और हमें कहा, जब हमने इंक्वायरी कमिटी के अन्दर बात कही तो हमें बताया गया कि एलजी महोदय ने चिट्ठी लिखकर बताया कि हमने जो किया है, वो कानूनन किया है। फिर हमने एलजी महोदय को कहा है कि आप डिस्क्रीशन तभी इंजॉय कर सकते हो न जब हो, जब कानून ही नहीं है कि आपके पास ये राइट है, जब अपील सुनने का आपके पास अधिकार ही नहीं है तो आपने अपील सुनी कैसे? सुनते वक्त आप डिस्क्रीशन इंजॉय कर सकते हैं जो सेक्शन 41 कहता है। लेकिन आपके पास फाइल पहुंच ही नहीं सकती। पहुंची कैसे आपके पास फाइल? जिस कानून का हवाला आप दे रहे हैं, वो आपके पास ये अधिकार देता ही नहीं है और वो रिपील होकर खत्म हो चुका। अध्यक्ष महोदय, तो हमने जो चिट्ठी लिखी, उसके बाद हमने ये जो चिट्ठी लिखी है उसके अन्दर...

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी, बहुत लंबा विषय हो रहा है, बहुत लंबा हो रहा है।

श्री सोमनाथ भारतीः ये बहुत ही जरूरी है अध्यक्ष महोदय। 19 जुलाई 2017 को हमने एक चिट्ठी लिखी, कहा कि जिस कानून का आप हवाला दे रहे हो, वो तो कब का खत्म हो चुका और ये दो बार उसके बदले नया कानून आ चुका, जो आज की तारीख में अध्यक्ष महोदय, जब ये इन्होंने फैसला लिया उस वक्त जो कानून एन्फोर्स था, वो था targeted public system distribution system control order 2015 which was notified in march 2015 तो जब नया कानून आ गया, नए कानून में आपको प्रावधान नहीं सुनने का तो आपने सुना ही क्यों? डिस्क्रीशन तो बाद में आता है।

तो आप भ्रष्टाचारियों का साथ देने के लिए तो मरे हुए रिपील्ड कानून को भी पैदा करके कुछ ना कुछ उनको फायदा पहुंचाओगे और जो कानून अभी जिन्दा है, जिसके अन्तर्गत हम काम कर रहे हैं, उसको आप कहते हो कि मार दो, ये बड़ा एक ऐसा माहौल पैदा करना चाह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिए, प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय मैं अब कन्क्लूड कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदयः नहीं–नहीं, अब कन्क्लूड कर दीजिए। इतना लंबा नहीं, कन्क्लूड करिए।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, हो क्या रहा है इसमें जो हमने जैसे ही....

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी, लंबा हो जाएगा प्लीज, अब कन्क्लूड कीजिए।

श्री सोमनाथ भारतीः जैसे ही हमने एलजी महोदय को चिट्ठी लिखा, एलजी महोदय को लगा कि भैया ये तो एलजी को दायरे में लाने की हिम्मत रखते हैं ये लोग। ये जो नए नवेले एमएलएज बने हैं जिनके अरमान भगत सिहं वाले हैं, ये तो एलजी तक को न छोड़ेंगे तो इनको अब डर समाया है कि भई कमेटी बनाकर के जिस तरह से आप उत्तारदायित्व फिक्स करने का प्रयत्न कर रहे हो इनका अधिकारियों का, ये हमारा भी करेंगे। इस चक्कर में ये जो कानून में, फिर से रिकार्ड में कहना चाहता हूं, जो कानून मर गया, उसके अन्तर्गत आपने ड्यूली लेजिटमेट तरीके से कैंसिल राशन लाइसेंस को रिस्टोर कर दिया और जो हमारे पास कानून है, उसके अन्तर्गत कमिटियां बनी, उन कमिटियों को आप कह रहे हैं कि आप इल्लीगल हो।

अध्यक्ष महोदयः हो गया, विषय हो गया पूरा।

श्री सोमनाथ भारतीः लास्ट अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी कहानी अध्यक्ष महोदय, कि एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे पहले। एक चक्रवर्ती सम्राट मरा, उसको लगा मैं तो चक्रवर्ती सम्राट हूं स्वर्ग में जाऊंगा तो पता नहीं, क्या–क्या जगह मिलेगी। वो पहुंचा तो वहां गार्ड को बोला, ''भई, मैं तो चक्रवर्ती सम्राट हूं, मुझे ढंग की जगह दो।'' तो बोला, ''भई, आप उधर चलो।'' ऐसा कहा जाता है कि यहां पर नाम लिखना पड़ता है कहीं, वो जगह बताओ। कहां नाम लिखना है मुझे, चक्रवर्ती सम्राट बनने का? तो जाओ, ''वहां पत्थर पड़े हुए हैं।'' पत्थर पर गया तो देखा, सारा भरा हुआ है। कहा कि यहां तो सारा भरा हुआ है। तो कहा, ''तुम्हे क्या लगता है कि तुम्हीं चक्रवर्ती सम्राट हो?'' यहां बहुत आए, बहुत गए और क्या दो चार के नाम मिटा लो, अपना नाम लिख लो वहां पे।'' तो कहा, ''नाम मिटाते भी हो?'' तो कहा, नाम मिटाते भी हैं।'' तो ये कोई न समझे, ये जनता है, चक्रवर्ती सम्राटों को खत्म करके बेड़ा गर्क भी करती है तो एलजी साहब समझे दिल्ली की जनता किसी को न छोड़ेगी। दिल्ली की जनता ये चाहती है, ये सब देख रही है कि किस तरह से आप हमें काम नहीं करने दे रहे हो। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है...

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद अब सोमनाथ जी, धन्यवाद प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः कृपया करके इस सरकार को, हमारे विधायकों को काम करने दें और आपके पास भी कोई सलाह हो, कोई और काम अच्छा कर सकें तो वो भी दे दीजिए। थैंक्यू, शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदयः श्री जगदीश प्रधान जी

श्री जगदीश प्रधानः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जो कमिटियों की बात, जो मैसेज गवर्नर साहब का है, उसपे चर्चा आज हो रही है। कई साथियों ने कहा कि अफसर काम नहीं करते हैं। कमिटियां बनी, उसमें आपने मुझको मैम्बर रखा और हमने उसका कमेटी का कहीं भी विरोध नहीं किया बाकी बाद में जब कमिटियों ने उसका सही उपयोग नहीं किया और अफसरों को टॉरगेट किया गया, प्रताड़ित किया गया तो शायद तब जाके एल.जी. साहब ने इसपे कोई संज्ञान लिया होगा। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं ये बात बाकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, कुछ भी आप कहलवा सकते हैं मेरे से।

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी के कहने से तो नहीं कह रहे।

श्री जगदीश प्रधानः हां, सर, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, अपने विवेक से बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, सीरियसली नहीं लेना, थोड़ा सीरियस माहौल है प्यार से बात की।

श्री जगदीश प्रधानः नहीं, मैं अपनी अन्तरआत्मा से बोल रहा हूं। अभी मैं सोच रहा था कि शायद जो मैम्बर बोल रहे हैं, वो ये कहेंगे कि जो बजट में दो दो करोड़ रु0 हर गांव के लिए रखा गया था, उसके लिए भी शायद एलजी ने मना कर दिया हो। अमृत योजना जो सेन्टर गवर्नमेंट ने लागू की है पूरे इंडिया में, शायद उसका पैसा एलजी ने रोक दिया, दिल्ली में न लगाया जाए। ट्रांस जमुना बोर्ड जो तीन साल बीतने के बाद भी आज तक उसकी एक आध बार मीटिंग हुई है, एक पैसा भी बजट वहां से न नक्की किया हो, शायद उसके के लिए भी एल.जी. साहब ने मना कर दिया हो।

तो सर, मैं ये कहना चहता हूं, सत्येन्द्र जैन जी हमारे आदरणीय मंत्री जी हैं, मैं डीएसआईडीसी की चर्चा की अभी ऋतुराज जी ने की, डीएसआईडीसी ने काम नहीं किया। मैंने इस हाउस में आपके सामने, आपसे भी रिक्वेस्ट की है, आपके कमरे में भी जा के रिक्वेस्ट की कि दिल्ली सरकार ने टोटल काम.... अनॉथराइज कालोनी है। 15–16 सौ कालोनी हैं, एक एजेंसी को काम दे दिए हैं। एक एजेंसी दिल्ली में काम नहीं कर पाएगी। दिल्ली में और बहुत सारी एजेंसी हैं एमसीडी है, डीएसआईडीसी के अलावा पीडब्ल्यूडी है, फ्लड डिपार्टमेंट है, उनको काम दे दिया जाए और ये यहां तय भी हुआ तीन महीने पहले कि ये काम बांट दिए जाएं। आज तीन महीने बाद बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, उसपे भी उसपे एक्शन नहीं आज तक हुआ। मैंने मंत्री जी से परसों भी कहा कि साहब, क्या हुआ? कल कर देंगे जी। कल फिर मैंने पूछा तो मुझे बड़े टोंट वे में कहा मंत्री जी ने कि आपके काम तो हो गए। आपके काम तो मीणा साहब कर गए। आपके तो टैंडर हो गए। यानी टोंट वे में मुझसे एक मंत्री जी जो इस तरह रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मंत्री जी ने की कि मेरा 99 परसेंट अनॉथराइज कालोनी है जहां सड़कों में गड्डे हुए पड़े हैं, पानी भरा पड़ा है, नालियां नहीं हैं, हमारे आप कुछ कर दें। उसमें मुझे क्या जवाब देते हैं कि मीणा तो जेल जाएगा। ये है असलियत, मीणा जो सैक्रेटरी आया है, सैक्रेटरी था, वो जेल जाएगा।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, या तो आप बोल लें या वे बोल लें। मैं अगर बात करूं। मैं अगर ये बात बोलूं, डेढ़ साल से मीणा ने टैंडर क्यों नहीं किए। तब दिल्ली की जनता को पीड़ा नहीं हो रही? लूट रही है! बैठिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः जेल भेज देंगे।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठिए। ऐसे काम करेंगे, जेल जाएंगे। चलिए, अब बोलिए। ओम प्रकाश जी, बैठिए। उनको बोलने दीजिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, नहीं, उनको बोलने दीजिए। हां, बैठिए आप। मैं बात कर रहा हूं। ये ये जो मुझे पत्र लिखा गया है, उसपे चर्चा हो रही है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः हां, जो मुझे पत्र लिखा गया है, उसपे चर्चा हो रही है।

श्री जगदीश प्रधानः अगर आपके मंत्री इस तरह की बात कहें, उस सरकार से क्या कोई अफसर, क्या कोई एमएलए उससे क्या उम्मीद कर सकता है! तो साथ में मैं ज्यादा नहीं कहता, इसपे मैं इतना ही कहूंगा कि हां जी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी प्लीज।

श्री जगदीश प्रधानः तो सोमनाथ जी, काम नहीं होते। काम नहीं हो रहे। अब दो साल का समय भी चला जाएगा। जैसे पंजाब में हुआ, गोवा में हुआ, फिर दिल्ली में होने वाला है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी मैं प्रार्थना कर रहा हूं बैठ जाइए।

श्री जगदीश प्रधानः धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदयः जैन साहब। सत्येन्द्र जैन जी।

शहरी विकास मंत्री (श्री सतेन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसी सदन के अन्दर कुछ समय पहले बात हुई थी कि अनॉथराइज कालोनीज के काम करने के लिए दूसरी एजेंसीज को भी अलाउ किया जाए। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि कैबिनेट में अप्रवूल किया जा चुका है और फाइल आदरणीय एल.जी. साहब के पास है अप्रूवल के लिए।

अध्यक्ष महोदयः चलिए। सुखबीर सिंह दलाल जी। सुखबीर सिंह दलाल जी।

... (व्यवधान)

श्री सुखबीर सिंह दलालः अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने मौका दिया।

अध्यक्ष महोदयः शुरू करिए।

श्री सुखबीर सिंह दलालः लेकिन मैं अभी अपने सभी साथियों से बहुत बारिकी से सुन रहा था वाक्य में, मुझे इतना तो वो नहीं पर लेकिन कहते हैं न कई बार सुनने से ही तजुर्बा हो जाता है और मुझे कमिटियों का भी कोई वो नहीं था क्योंकि हमारे यहां एक कहावत होती है अगर कि भई कोई अगर किसी की शादी न हुई लेकिन बारात में चला जाता है, तो उसको शादी का तजुर्बा हो जाता है। तो मुझे भी कमिटियों में तो किसी में नहीं लिया गया। लेकिन मैं आपको एक अच्छा सा उदाहरण देता हूं कि मैं पिछले तीन चार साल से एक नागरिक सहकारी बैंक है, उसके लिए लड़ाई लड़

रहा था और अफसरों से लैटर पे लैटर लिखे जा रहे हैं। लेकिन बाइचांस मुझे मई में पता लगा कि हमारे अध्यक्ष जी ने पेटिशन कमिटी भी बनाई है और मैं आपके कमरे में आके मिला और मैंने आपसे दो मिनट बात की। अपने कहा, ''हमें दो।'' मैं उसमें कम्पलेनर था, मैम्बर नहीं था। लेकिन मैंने उस कमेटी के जरिए से आज मैं दावे के साथ कहता हूं, उस बैंक में जो करप्ट अधिकारी थे, उनकी प्रमोशन की गई थी, वो इस कमेटी के जरिए वापिस की गई और 66 हजार वोटर जो नकली थे, उनको दोबारा करने के बाद अब इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है और सौरभ भाई उस कमेटी के चेयरमैन हैं। जिस काम की लड़ाई के लिए मैं पूरे पिछले साल से जब विधायक भी नहीं था, आम नागरिक की तरह लड़ाई लड़ रहा था, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और वो तीन महीने में ही इतनी जल्दी वही अफसर यहां पे कमिटी में आके अपनी गलतियां मान के और उन्होंने इतना एक्सपेडाइट किया है। आज शायद इस अक्टूबर के महीने में वहां इलेक्शन भी हो जाएंगे और वहां जो भ्रष्ट अधिकारी थे, उनको 5–5 लाख रु0 जुर्माना भी हुआ और वैस्टेड आदमियों को रिवर्ट भी किया गया तो ये कमिटियों का ही नतीजा है। अभी प्रधान जी कह रहे थे कि भई डीएसआईडीसी का आज मैटर था, मैं भी इनसे बहुत सहमत हूं। एक साल से डीएसआईडीसी. .. कि अनॉथराइज कालोनी वो ही काम करती थी। लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं थी लेकिन जब आपने वो कमिटी बनाई और ऋतुराज जी उसके चेयरमैन थे। उस कमेटी में ये प्वाइंट उठाया गया। रघुविन्द्र शौकीन ने कि आज भई, काम नहीं हो रहा। हमें तीन चार एजेसियां और मिलनी चाहिए। उसी दिन फैसला हो गया था। यूडी के भी मंत्री थी और फिर ये विधान सभा में भी उठाया गया और उसी दिन से फैसला हो गया कि भई, उसमें तीन चार एजेंसीज अनॉथराइज कालोनी में काम करेंगी। तो नतीजा इन

कमिटियों का ही है। अगर इतना जल्दी ये काम हो रहा है। अफसरों की धमकाने की बात है कि मैं भी गया हूं। सब अफसर इत्मीनान से वहां, क्योंकि हर डाक्युमेंट्स की वहां रिकॉर्डिंग होती है। मतलब कोई भी अफसर ये नहीं कह सकता अब कि मुझे है, तो उसकी विडियोग्राफी होती है। मैं गया हूं उसकी कम्पलेंट में। तो मैंने देखा, वहां तो हर अफसर के साथ इतने तहजीब से पेश आया जाता है। उनसे ये जरूर पूछा जाता है भई, कि ये पब्लिक का पैसा है। पब्लिक चाहती है भई, इसकी कोई जवाब देवाबदेही तो हो और उसकी जवाबदेही विधान सभा की है और ये विधान सभा का ही एक हिस्सा है। कमिटियां जो हैं, अलग नहीं हैं। ये विधान सभा का ही एक छोटे छोटे. क्योंकि विधान सभा हर क्वैश्चन पर तो कर नहीं सकती। इसीलिए मैं आपके माध्यम से ये जो 5–7 कमेटी बनाई गई हैं, उससे दिल्ली की जनता को मैं तो तीन चार महीने में देख रहा हूं, इतना फायदा पहुंच रहा है कि हर एक आदमी के दिल में ये है कि भई, कैसे वो हो रही है और दूसरी बात मैं एक ओर भी चीज देख रहा हूं, जो आपको लैटर लिखा गया है, उसमें एलजी साहब ने खुद ही माना है भई, सारा कम्पैरिजन करके ये लिखा है। लास्ट में भई, इसमें कोई भी लोकसभा का और इसमें असेम्बली में कोई फर्क नहीं है। उसमें अपनी लाइन में लिखाः On a comparison of rule 244(b) of assembly rule with 31(e) of the rules of the Loksabha, it would be clear that most of the text of the rule 244(b) is the same as that the rule of 33(1)(e). The wording of rule 244(b) is exactly the same as that the rule 331E1 and both deal with the demands for grants rule 244(b)(c) is as same as rule 331(e)(b) and both deal with the examin the bill of concerned department and marking reports. But there are certain deviation which come to the light of careful anlyasis of rule of loksabha.

उसमें सिर्फ वो बता रहा है टेक्नीकली। थोड़ा थोड़ा बताता है, बाकी सब चीज वही है जो पार्लियामेंट को है, वो ही असेम्बली को हैं। वो तो ये बात हो गई है सर, कि भई, एक बार कोई जो है न, शेर ऊपर पानी पी रहा था और नीचे मेमना पी रहा था और शेर आया, उसने पूछा, ''भई, तूने मेरा पानी झूठा कर दिया।'' उसने कहा, ''सर, मैं तो आपका झूठा ही पी रहा हूं लेकिन उसके बाद भी उसने कहा कि नहीं, नहीं तुमने नहीं, तुम्हारे बाप दादाओं ने किया है। तो हमारे साथ तो ये अन्याय किया जा रहा है। चाहे एलजी के माध्यम से किया जा रहा हो कुछ भी किया जा रहा हो, कि ये इतनी भोली भाली असेम्बली, जिसमें कोई राजनीतिक आदमी भी नहीं है, उनके साथ ऐसे ऐसे छल कपट करके कि जिसकी पॉवर न बढ़ जाए, वो कटअप करने के लिए, ये चीज की जा रही है। मुझे तो इसीलिए उनके लैटर से ही लग रहा है बाकी इसमें कोई वो चीज नहीं है और माध्यम से मैं आपसे ये ही वर्ड दौहराना चाहता हूं, एल.जी. साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दिल्ली की जनता के लिए ऐसा विश्वासघात न किया जाए। जिससे कि इन कमेटियों को भंग करने की वो कर रहे हैं। तो दरख्वास्त करूंगा एल.जी. साहब से कि भई, ऐसे चीज न किया जाए, ये ओछी राजनीति है, इसको न अपनाया जाए, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः बहुत–बहुत धन्यवाद। जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंहः बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष जी, ऐसे तो बचपन तो ही सुनते आएं है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है पर कुछ तांत्रिक किस्म के लोग, तांत्रिक प्रवृत्ति के लोग इस लोकतंत्र को, भारत की जो राजधानी है दिल्ली, उसी में इसको लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। जैसा मेरे से पहले मेरे साथियों ने बताया कि भारत के संविधान में इस सदन को जो चुनी हुई सरकार है, उसको

सदन के आगे जवाबदेह रखा है और जो, मैं भी सुबह से काफी इनपुट्स पढ़ रहा था तो उसमें क्लीयर लिखा है कि जो कमेटीज हैं, कमेटीज इसी सदन का यानी उसको मिनी हाउस भी कह सकते हैं। उसको इसी सदन की एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। जब सरकार सदन के आगे जवाबदार है तो सरकार के जो अफसर हैं, सरकार के जो अधिकारी हैं, वो कैसे इस सदन की कमिटयों के आगे जवाबदेह नहीं हो सकते। पर बार–बार किसी न किसी तरीके से घूम फिर के लोकतंत्र का जो असल मतलब है कि जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। इसके पहले तो नाम का ही शासन, लोकतंत्र था। कहने को तो राजतंत्र ही था। वही चुनिन्दा लोग थे जो राज कर रहे थे। असल में जब भारत की राजधानी देश में पहली बार असल लोगों के बीच में से लोग चुनके आए तो जब असल लोकतंत्र स्थापित हुआ तो उसको खत्म करने की कोशिश साथ के साथ शुरू हो गयी। अब कुछ लोगों की तो मजबूरी समझ आती है। कुछ लोगों की एक वर्ड है, अध्यक्ष जी बार–बार जिक्र भी होता है इनक्रोचमेन्ट, अतिक्रमण, कि किसी की जगह पर नाजायज कब्जा करना, किसी के क्षेत्र में जाकर नाजायज कब्जा करना। तो दिल्ली तो पूरी परेशान है ही कि चलो हर जगह पर इनक्रोचमेन्ट है। कहीं न कहीं इनक्रोचमेनट होती है रोज ही। पर आज जो मतलब कॉन्स्टीट्यूशनल पोस्ट के ऊपर लोग बैठे हैं, वो भी अतिक्रमण करने पर आ गये हैं तो अब देखो जी, क्या होगा आगे! ये जो विधायिका का दिल्ली विधान सभा का सीमित क्षेत्र है, उसमें एल.जी. साहब का ऐसा कोई अधिकार नहीं बनता। मेरे को लग रहा है या तो इनको इनपुट्स देने वाले लोग, जानकारी देने वाले लोग, संजय जैन, हां, ये नाम सुना लगा जी कि जो कांग्रेस के टाइम पर जज बनने वाले थे, पूरा जोर भी लगाया था पर बन नहीं पाये। पर अभी कोशिश करते रहते है। ए.एस.जी. है और मेरे को लगता नहीं कभी मैंने उनका किसी ढंग के वकीलों में नाम भी सुना हो इसके

पहले। तो उनकी इनपुट्स के आधार पर इसके पहले भी कई बार चैलेन्ज किया गया विधान सभा की जो पावर्स हैं, उनको। एक बार विधान सभा के सदस्य जिनको आपने दो सत्रों के लिए निलम्बित किया, उसको दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेन्ज दिया गया। वहां भी इनको मुंह की खानी पड़ी। फिर विधान सभा की मर्यादा किसी दो लोगों द्वारा भंग की गयी। विधान सभा में मिसविहेव किया गया। उनको भी इन्होंने कोर्ट में चैलेन्ज किया। वहां भी इनको मुंह की खानी पड़ी। तो विधान सभा पर हमें पूरा गौरव है, हमें फख्र है कि विधान सभा अपने कायदे–कानून को अच्छी तरह पढ़ कर, समझकर फिर सारे फेसले लेती है और जो कमिटियां बनी हैं, पूरी तरह से दायरे के अन्दर बनीं हैं। इनके उपर भी बार–बार, मैं खुद कई कमिटियों का मेम्बर हूं अध्यक्ष जी। मैंने खुद वक्फ बोर्ड की कई सारे मॉईनरिटी से जुड़े मसले जहां पर डिसकस होते हैं, मीटिंग अटेन्ड की हैं। यहां पर सिर्फ अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जा रही है जो अधिकारी गैर–जिम्मेदाराना व्यवहार रख रहे हैं। अब वक्फ बोर्ड की सैकड़ो प्रापर्टी है दिल्ली में और जो वक्फ बोर्ड के डॉयरेक्टर हैं, वो उनकी लिस्ट ही नहीं दे रहे हैं। तो उनको यहां बुलाकर, उनको लिस्ट मांगना कुछ गलत है क्या? एम.सी.डी. की कमिटी है। एम.सी.डी. के कमिश्नर को हम खुद मिल चुके हैं, कई बार लेटर लिख चुके हैं कि एम.सी.डी. के बिल्डिंग डिपार्टमेन्ट के करप्शन के ऊपर ये हमारे सवाल हैं, इन पर जवाब दो। कोई जवाब ही नहीं है। तो उनसे इस कमेटी में बुलाकर जो सम्बन्धित अधिकारी हैं, उनसे जवाब ले लेना गलत है क्या? अध्यक्ष जी, पर वो कुछ लोगों को गलत लग रहा है और वो भी लोग जिनको लोकतंत्र की जो सबसे बड़ा उत्सव होता है, चुनाव, उस चुनाव ने जिन लोगों को रिजेक्ट कर दिया है, उन रिजेक्टेड लोगों ने इलेक्टेड लोगों के ऊपर कुछ सलेक्टेड लोग बैठा दिये हैं जो इस सारी प्रक्रिया को खराब करने पर लगे हुए हैं। तो जो ये पत्र 13.9.2017 को

आपको लिखा गया, मैंने सारा पत्र स्टडी नहीं किया, क्योंकि अब कह रहे हैं टाईम कम है एक ही बात बार–बार वही चीजें रिपीट होती हैं अध्यक्ष जी। दो टाईप का लोकतंत्र है। इण्डिया में प्रतिनिधि लोकतंत्र है की लोग अपने बिहाफ पर अपने प्रतिनिधि को चुनके भेजते हैं। स्विटजरलैण्ड जैसी जो छोटी कन्ट्री है ,वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। डायरेक्ट डेमोक्रसी है। तो जितने भी इम्पार्टेन्ट बिल्स होते हैं, उनमें पब्लिक खुद महत्वपूर्ण विषयों पर खुद हर चीजों पर वोट करती है तो जब प्रतिनिधि चुनके आ गये सदन के अन्दर और सदन को सारी पॉवर्स हैं, सदन को सारी शक्तियां हैं तो उन शक्तियों का उपयोग करने के लिए जनप्रतिनिधि अगर जनता की सेवा कर रहे हैं तो उसमें उन सलेक्टेड लोगों को क्या दिक्कत है! अब मैं दो लाईनों के माध्यम से एल.जी. साहब को, क्योंकि एल.जी. साहब भी मजबूर हैं, जिन्होंने रखा है, उनकी तो माननी पड़ेगी। कुछ समझ आ जाये तो बढ़िया है, नहीं तो कोर्ट का तो सहारा है ही कि कोर्ट में जा के चीजें फिर सीधी हो ही जाती हैं।

लहजे में मिठास, चेहरे पर नकाब लिये फिरते हैं।
खुद के खाते बिगड़े हैं, दूसरों का हिसाब लिये फिरते हैं।।

बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदयः बहुत–बहुत धन्यवाद। श्री विजेन्द्र गर्ग जी।

श्री विजेन्द्र गर्गः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस गम्भीर विषय पर जो सीधा–सीधा इस सदन के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा हुआ विषय है, उस पर बोलने की इजाजत दी, धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और उसी दिल्ली की पौने दो करोड़ जनता ने इस सदन को चुनकर के भेजा है। सरकार का जवाबदेही

और सरकार के अधिकारियों की जवाबदेही सदन के प्रति है और इस सदन की जवाबदेही दिल्ली की जनता के प्रति है। अध्यक्ष जी, जो भारतीय संविधान ने इस सदन के अध्यक्ष को विधायी शक्तियां दी हैं, उसके तहत आपने डिपार्टमेन्ट रिलेटेड स्टेन्डिंग कमेटीज का गठन किया जो फाईनेन्स, ट्रांसपोर्ट और हेल्थ और सरकार के अन्य विभागों पर कार्य कर रही है। अध्यक्ष जी, इन कमेटियों के माध्यम से सरकार की और उसके अधिकारियों की जवाबदेही तय की गयी और उनके कामों में पारदर्शिता आए, ये तय किया गया।

अध्यक्ष जी, इत्तेफाक से मैं भी इस समिति का सदस्य हूं तो मुझे जो अनुभव हुआ इस समिति की बैठक में, वो मैं इस सदन में साझा करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, दिल्ली के अन्दर चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया का प्रकोप प्रत्येक वर्ष फैलता है। हमारी सरकार ने समय से पूर्व एतहियातन कदम उठाते हुए दिल्ली की जनता को जागरूक करने के लिए दिल्ली के अन्दर बड़े–बड़े विज्ञापन पट लगाए के जिनके जरिए से दिल्ली की जनता जागरूक हो सके कि किस बीमारी पर कैसे काबू पाया जाए। हम सब सदस्यों ने, महेन्द्र गोयल जी बैठे हैं, उस समिति के चेयरमैन हैं, ये तय किया, हमारे पास सूचनाएं आई कि ये विज्ञापन पढ़े नहीं जा रहे हैं। लोगों के व्यू में नहीं आ रहे हैं तो हमने चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे थे, उनके साथ और डी.आई.पी. के सेक्रेटरी यहां मौजूद थे, उनके साथ दिल्ली की सड़को पर 8–8 घंटा लगातार घूमकर के उनका मुआयना किया और ये पाया कि उनका उपयोग ठीक से नहीं हो पा रहा है। जिस उद्देश्य से उनको लगाया गया, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है तो हमने समिति की बैठके के अन्दर अधिकारियों को बुलाकर के बड़ी शालीनता के साथ, बड़े अदब के साथ उनसे कहा कि भई, हमारी सरकार जिस उद्देश्य को लेकर चल रही है, ये डिपार्टमेन्ट उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रहा है, इसके बारे

में आपका क्या जवाब है। एक रास्ता निकला, विज्ञापन बदलवाये गये और वो सब विज्ञापन अब लोगों के समझ में भी आ रहे हैं और उस पर अमल करके चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया से दिल्ली में जो प्रत्येक वर्ष बड़ी तेजी से फेलता था, इस वर्ष उस पर कन्ट्रोल किया गया है। मैं ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली के हेल्थ सेक्रटरी को उन समितियों में बुलाया गया। ट्रांसपोर्ट सेक्रटरी को बुलाया गया। हेल्थ सेक्रेटरी को बुलाकर के ये कहा गया कि जो हमारी सरकार ने योजनाएं लागू की हैं कि दिल्ली के अन्दर सभी को दवाइयां सरकारी अस्पताल में मुफ्त मिले। कुछ सूचनांए हमें ऐसी मिल रहीं है कि कुछ अस्पतालों में दवाईयां मुफ्त नहीं मिल रही हैं। तो उसके लिए अस्पतालों के दौरे किये गये और उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए भी इन समितियों ने बहुत काम किया और उसमें हमें अधिकारियों ने भी सहयोग किया।

अध्यक्ष जी, सरकार जो जनता के लिए योजनाएं लाती हैं, उनका ठीक से क्रियान्वयन हो सके, वो ठीक से जनता तक पहुँच सके, उस उद्देश्य के लिए आपके द्वारा इस सदन की सहमति से ये समितियाँ बनाई गईं। मैं पूछना चाहता हूं केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि माननीय दिल्ली के उपराज्यपाल साहब से कि क्या इन समितियों के मैम्बर्स ने अपने रिश्तेदारों को कोटे परमिट बांट दिए या अपने रिश्तेदारों को अस्पतालों में नौकरियाँ दे दीं? मैं पूछना चाहता हूं एलजी साहब से कि क्या इन कमिटियों के जरिये से हमने सड़कों के ठेके ले लिए या हमने अस्पतालों के अंदर अपनी दवाइयों की दुकानें खोल दीं? मैं पूछना चाहता हूं उपराज्यपाल महोदय से कि यह खलबली क्यों मची, यह इतनी घबराहट, बेचैनी क्यों उनके दिल में फैली? यह सीधा–सीधा इस विधान सभा के अधिकारों को, इस विधान सभा को पंगु बनाने के लिए, इसकी शक्तियाँ छीनने का घिनौना प्रयास है और एक

यह घटिया षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसमें एलजी साहब को एक मोहरा बनाया जा रहा है। सारी डायरेक्शन केंद्र सरकार की तरफ से आ रही है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने लोकहित में जो कार्य किए हैं, वो अद्भुत हैं, अद्वितीय है। 65 वर्ष के इतिहास में शिक्षा के क्षेत्र में इतने कार्य नहीं हुए, आज शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई। 6000 कमरों का अभी हाल ही के अंदर लोकार्पण किया गया, जो बेहतरीन सुविधाओं से लैस वो कमरे हैं। इन सब बातों से ये इतना घबरा गए हैं कि इस दिल्ली की विधान सभा को बिल्कुल नकारा बनाना चाहते हैं और ये समितियाँ जो पब्लिक इंट्रेस्ट के लिए बनाई गई कि सरकार के कामों की समीक्षा हो सके, सरकार के अधिकारी जो काम कर रहे हैं, उनकी समीक्षा हो सके और अगर कोई योजना ठीक से लागू नहीं हो रही, उसको ठीक से लागू किया जाए, तो उनमें भी यह बेचैनी हमारी समझ से परे है।

अध्यक्ष जी, मैं आपसे गुहार लगाना चाहता हूं कि आप कुछ भी करें, इस सदन की गरिमा और इसके अधिकारों की रक्षा कीजिए तभी यह सदन और लोकतंत्र आगे चल पाएगा, धन्यवाद, जयहिंद, जय भारत।

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, आज जिस संदेश पर यहां चर्चा हो रही है 31 मई, 2017 को एक रिपोर्ट रूल कमेटी की, जिसको अडॉप्ट किया गया हाउस के अंदर और रूल बुक में इंसर्ट किया गया 244ए, 244बी और 244सी। अब सवाल यह है कि जो 244ए, 244बी और 244सी and 6th Schedule of the Rules of Procedure and Coduct of Business of the LegislativeAssembly of NCT of Delhi, 1997 तो सिक्स्थ शेड्यूल के साथ इसके अडॉप्ट किया गया। अब सवाल यह है, मामला यह बनता है कि

ये कमिटियाँ जो उनको कहा गया डिपार्टमेंट रिलेटिड स्टैंडिंग कमेटीज (डीआरएससी), यह जो बनाई गई, क्या ये विधान सभा के अधिकार क्षेत्र में है? जो अधिकार दिए गए, वो अधिकार इन कमिटियों को दिए जा सकते हैं कि नहीं दिए जा सकते, उसके लिए मेरे पास यह रूल बुक है इसका मैं 18(3) पढ़ रहा हूँ। 18(3) कहता है कि...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः दो मिनट पढ़ने दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक मिनट, एक मिनट थोड़ा डिबेट को डिबेट की तरह करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ''अन्य बातों में विधान सभा और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ऐसी होंगी जिनका उपयोग लोक सभा और उसके सदस्यों तथा समितियों द्वारा तत्समय किया जा रहा है।'' पेज नंबर 158, इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ डिप्टी सीएम साहब "In other respects, the powers privileges and immunities of the Legislative Assembly and of the members and the committees thereof shall be such as are for the time being enjoyed by the House of the People, Lok Sabha and its members and committees". tc 18(3) में यह लिखा गया कि यह जो स्टैंडिंग कमिटीज हैं, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज, यह लोक सभा की समितियों को जो अधिकार प्राप्त है, उसके अनुसार ही, उसकी परिधि में ही यह काम करेंगी लेकिन यहां पर जब 244ए और 244बी और जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटीज हैं लोक सभा की, उसका रूल 331डी– कॉन्स्टिट्यूशन और रूल 331ई– फंक्शन्स, जब इसको एक कम्पेरेटिव इस पत्र के माध्यम से देखा गया तो पाया गया कि काफी चीजें तो सिमिलर है लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, जो लोक सभा के अधिकार से भी ज्यादा, अब देश में लोक सभा से ऊपर क्या है? हाउस

ऑफ द पीपुल, 120 करोड़ के देश की संसद, कहा जाता है कि सर्वोच्च संस्था है। देश की लोक सभा, पार्लियामेंट, सर्वोच्च संस्था है अगर कोई चीज हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी है तो वो भारत की संसद है जिस पर हमें गर्व है और हमें अपने लोकतंत्र पर गर्व है क्योंकि वहां 120 करोड़ लोग चुनकर के भेजते हैं 543 लोगों को, जो उनकी भावनाओं के अनुरूप वहां पर कानून बनाते हैं। अब एक तरफ 18(3) ऑफ जीएनसीटीडी एक्ट, 1991 के अंदर यह साफ रूप से कहा गया तो क्या कोई असेम्बली हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से बड़ी हो सकती है? क्या हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को हम छोटा करके यहां आंकना चाहते हैं? अगर हम हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को जिसमें सभी पार्टियों के लोग हैं, आपकी पार्टी के लोग भी हैं, हर राज्य के लोग है, हर प्रदेश के लोग हैं यूनियन टेरिटरी के लोग हैं, पूरा देश है वहां लेकिन स्पष्ट और सीधे तौर पर 18(3) का उल्लंघन इन कमिटीज के निर्माण में किया गया। इसके बाद आता है 41, 41 कहता है कि जब कुछ भी अगर ऐसा है, उपराज्यपाल किसी ऐसे मामले में स्वविवेकानुसार कार्य करेगा। अगर उपराज्यपाल, यह पेज नंबर 172 "Matters in which LG to act in his discretion" जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को यह लगेगा कि यहां पर जो हो रहा है, वो कहीं न कहीं कॉट्राडिक्शन है, इनकंट्रावेंशन है, अल्ट्रावॉयरस है तो यह 9(2) में यह उपराज्यपाल का विशेषाधिकार है कि वो इस सदन को मैसेज भेजेंगे इस सदन के पास, उनको अपनी बात कहने का यह डिस्क्रिशन है। उन्होंने कहा यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपराज्यपाल से यह अपेक्षित हो कि वह स्वविवेकानुसार कार्य करें तो उस पर उपराज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा यानी कि अगर उपराज्यपाल महोदय अपने विवेक से इस पर कोई अपना मैसेज देते हैं, यदि कोई प्रश्न उठता है 41 का (3) "यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है

या नहीं है जिसके संबंध में किसी विधि द्वारा उपराज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह किन्हीं न्यायिक या न्यायिक कल्प कृत्यों का निर्वहन करे तो उस पर उपराज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा।'' 18(3) साफ रूप से कहता है कि ये जो कुछ यहां है, वो इस बात को इंगित करता है और 41 कहता है कि यह उपराज्यपाल का विशेषाधिकार होगा और वो फाइनल होगा। 92 क्या कहता है, जिसके अंतर्गत हमको ये मैसेज आज मिला। 92 कहता है पेज नंबर 154 पर, मैं तो सभी अध्यक्ष जी, आपने सबको ये किताबें दी हैं। मैं आपके द्वारा जो किताब दी गई है मैं तो चाहता हूं कि सभी सदस्य उसको लेकर के आएं तो कुछ सार्थक चर्चा हो सके। 92 कहता है: 'विधानसभा में अभिभाषण और उसको संदेश भेजने का उपराज्यपाल का अधिकार' 92 right of LG toAddress and send messages to Legislative Assembly. 92 पेज नंबर 154 हिन्दी में लिखा है उपराज्यपाल विधानसभा में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश भेज सकेगा और जब ऐसा कोई संदेश इस प्रकार भेजा जाता है, तब विधानसभा उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगी। अब 92 में ये मैसेज आया है। 41 में जो उपराज्यपाल स्वविवेकानुसार सुनिश्चित करेंगे, वो फाइनल होगा। अर्थात 244 ए, 244 बी, 244 सी, जो अडॉप्ट किया गया, वो उपराज्यपाल के पत्र के अनुसार, संदेश के अनुसार उनको निरस्त कर देना चाहिए। अगर उनको निरस्त नहीं किया जाता इस सदन में तो इसका मतलब कहीं न कहीं भारत के संविधान के साथ संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ हिन्दुस्तान की इस असेंबली में दिल्ली की इस असेंबली में एक प्रकार का संविधान का उल्लंघन होगा। ये जितनी चीजें मैं यहां पढ़ रहा हूं, जितनी चीजें मैंने यहां बताई हैं, इनमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मैंने अपने शब्दों से जोड़कर के

आपके समक्ष कही हो। मैंने जो कुछ इस रूलबुक में, जो आपने मुझे दी है, मैंने उसके अनुसार आपके समक्ष रखा है।

अध्यक्ष जी, वैसे तो 92 में ये संदेश मेरे लिए था, मेरे साथियों के लिए था। आप तो एक with all due respect, पूरे सम्मान के साथ, चाहे आप कितना भी बुरा मेरे साथ करें लेकिन मेरे मन में पता नहीं क्यों, आपके लिए बहुत सम्मान है और आज से नहीं है, ये वर्षों से है। अब आप हमें बाहर निकालते हैं, हमारे साथी शिकायत करते हैं कि लगातार हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उसके बावजूद भी कुछ आपकी सख्शियत में खास बात कि फिर भी एक सम्मान है। ऐसा नहीं है कि मुझे यह कहने से कुछ विशेष लाभ होगा। मुझे मालूम है कि फिर अगली मीटिंग में फिर हमको बाहर निकाल दिया जाएगा, हमारे साथ दुर्व्यवहार होगा लेकिन हम परिस्थितियों से पूरी तरह से बंधे हुए हैं और इन परिस्थितियों में ये मानकर आते हैं कि हमारा तिरस्कार नहीं हो रहा है, हम तो सिर्फ एक विपक्ष हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं और ये विपक्ष को निर्वाह करना है। बावजूद इसके कि इस सदन में कितनी भी वाहियात तरीके से विपक्ष का तिरस्कार किया जाए, विपक्ष को डिमॉरलाइज किया जाए। मैं बार बार यह बात कहता हूं, आज भी मैंने कही है लेकिन अध्यक्ष जी, ये एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि 92 को आपने वॉयलेट किया। 92 मेरे लिए था, मेरे साथियों के लिए था। संदेश इस असेंबली की प्रापर्टी थी, आपने सदन में प्रस्ताव रखे बगैर ये संदेश पत्र कैसे लिया? आप सदन के मुखिया हैं। हम सब आपके सामने नतमस्तक हैं, आप हमारे फादरली फिगर हैं। इस सदन के स्पीकर की जो भूमिका है, उसको मैं अच्छी तरह समझता हूं। उसको मैं पूरा सम्मान देता हूं क्योंकि आपको सम्मान देना व्यवस्था को सम्मान देना है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई, अजय दत्त जी, प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आपको सम्मान देना व्यवस्था को सम्मान देना है। आपको सम्मान देना हिन्दुस्तान के कानून को सम्मान देना है हिन्दुस्तान की व्यवस्था को सम्मान देना है लेकिन अध्यक्ष जी, मुझे बहुत दुःख हुआ जब मैंने ये पत्र आज देखा कि ये पत्र में आपने बिना सदन की अनुशंसा, मानसिकता, भावना को समझे बगैर उससे पहले ही उस पर रिएक्शन कर दिया। ये कस्टोडियन थे आप इस मैसेज के, 92 के। ये पत्र आपके लिए नहीं था। आप वाहक थे, आप एक साधन थे, आप एक व्यवस्था थे लेकिन आपने ये पत्र लिखकर इस व्यवस्था को ठेस पहुंचाई है। उसके लिए मैं यही कहूंगा कि ऐसा आपके माध्यम से नहीं होना चाहिए था और इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया, वो भी कहीं न कहीं अध्यक्ष की गरिमा को ठेस पहुंचाता है क्योंकि मैसेज में आपने संवैधानिक व्यवस्थाओं को नकारने की बात कही है, उसको काउंटर किया है, उसको चुनौती दी है। अगर आप चुनौती दे रहे हैं, उसको काउंटर कर रहे हैं, आप उसको डिनाइ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये साफ है कि कहीं न कहीं संवैधानिक व्यवस्थाओं का हनन हो रहा है। अभी बहुत ही तरीके से आपने, अभी यहां पर जगदीश प्रधान जी बोल रहे थे। जगदीश प्रधान जी को मैं मानता हूं कि वो जब भी बात करते हैं, बहुत सोच समझकर करते हैं, बहुत कम शब्दों में करते हैं। टू द पाइंट करते हैं। बहुत कम लाइनें बोलकर अपनी बात समाप्त कर देते हैं लेकिन उसमें बात बहुत गहरी होती है। कई बार, बात बहुत गहरी होती है और एक छोटा सा उदाहरण दिया आपने कि परसों पीडब्लूडी मिनिस्टर मिले थे। उनके सामने कहा है, ऐसा नहीं है। पीछे से कहा, बाहर कहा, इधर कहा, उधर कहा सारे सदन के सामने घटना बताई। ये कोई साधारण घटना नहीं है कि आपने तो अपने काम करवा लिए अब हम तो

मीणा को जेल भेजेंगे। ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी मानसिकता है? ये कौन सा तरीका है सरकार चलाने का? अगर कमिटियों में जो व्यवस्था आपने बयान की है और कमिटियों को गठित करने की मूल भावना ये है कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना, ठीक है, उप मुख्यमंत्री यहां बैठे हैं, मैं उनकी भावनाओं से पूरी तरह से सहमत हूं कि चुने हुए लोगों की सरकारों की अवहेलना हो जाती है। जो सरकार काम करना चाहती है, अधिकारी नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। मनीष जी, इससे आप भी प्रताड़ित हैं, मैं भी प्रताड़ित हूं। मैं भी बाकी सदस्यों की तरह उस व्यवस्था को देखता हूं, समझता हूं। मैंने भी वर्षों एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में काम किया है। मैं भी आपकी तरह एक फॉर्मल आफिशियल पदों पर बैठा हूं। अधिकारियों से काम लेते वक्त किस तरह की कोफ्त होती है। लगता है कि अब तो बाल कम हो गए लेकिन जब बाल थे मेरे जब मैं आपकी तरह बैठता था कि मैं अपने बाल नोच लूं। क्या करूं, कैसे करूं, ये क्या कर रहे हैं, ये अधिकारी क्यों हमारे अच्छे.... अब हंस रहे हैं। देखो, अब मैं ये कह देता मान तो गये, आपके बाल ही नहीं है तो फिर मैं, इससे पहले आप कहें, मैंने खुद ही कह दिया।

अध्यक्ष महोदयः चलिए कन्क्लूड करिए प्लीज। पन्द्रह मिनट हो गए हैं पूरे।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः दो तीन मिनट, चार मिनट बस, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अध्यक्ष जी, हम सब व्यवस्था से बंधे हुए हैं। हमें अपने व्यवहार पर काबू करने की जरूरत है। अगर हमारा व्यवहार इस प्रकार का है, अगर हम प्रवोक हो रहे हैं। हम कहीं न कहीं हम अच्छा काम करना चाहते हैं, हम बेहतर करना चाहते हैं, उसके बावजूद काम रूकते हैं, ऐसा नहीं है और ये कोई दिल्ली विधानसभा में होता है, ऐसा नहीं है, पूरे देश में होता

है। पूरी विधानसभाओं में होता होगा। पूरी सरकारों में होता होगा क्योंकि ये जो कान्सिट्यूशन की चार व्यवस्थाएं हैं, चार स्तंभ हैं लेजिस्लेचर, हम लेजिस्लेचर हैं। ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, एक्जीक्यूटिव है, ज्यूडिशियरी है, मीडिया है, लेकिन अगर हम एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में घुस जाएंगे ये मानकर के कि इससे अच्छा मैं कर सकता हूं तो फिर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। सवाल ये है, कि दिल्ली के अंदर इससे पहले भी पांच बार असेम्बली गठित हुई है। पांच बार सरकारें बनी हैं। दिल्ली में काम हुए हैं। नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं, दिल्ली में काम हुए हैं। सरकारों ने काम किये हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहां पर जिस तरह कमरों पर ताले लगाए गए। एक अधिकारी के साथ मैने मीटंग की। मैं एक विधायक हूं, मेरा अधिकार है। अगर मैं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के मैं मंत्री जी से मीटिंग करता हूं, उप–मुख्य मंत्री जी से मीटिंग करता हूं। मुख्य मंत्री से मीटिंग करता हूं। मैं मुख्य सचिव से मीटिंग करता हूं, मैं सचिव से मीटिंग करता हूं, किसी से भी मैं मीटिंग करता हूं। अपनी समस्याओं को लेकर मैं जा सकता हूं। इनमें से कोई भी जा सकता है। लेकिन अगर ये बात निकलकर आए कि आपके काम.... आप उनके काम करते हो। आप उनके लिए काम कर रहे हो। हम बताएंगे आपको कैसे होता है। हम बताएंगे आप कैसे चलोगे, तो फिर व्यवस्था चरमरा जाए। इसका मतलब यह है कि वो खण्ड–खण्ड हो गई। आज हम विपक्ष के सदस्य जब बैठते हैं तो हमारे मन में ये बात उठती है कि हमारे क्षेत्रों की अवहेलना हो रही है। हमारे क्षेत्रों पर कहीं न कही अंकुश लगाया जा रहा है। हमारे क्षेत्रों में होने वाले कामों को ले करके कहीं न कहीं रूकावटें, ये क्यों है ऐसा? ऐसा क्या है? ऐसी कौन सी ये मानसिकता है? इस मानसिकता से यहां काम नहीं होना चाहिए और ये जो कुछ परिस्थितियां हैं, उसमे इतना निश्चित है कि इस पूरे ये जो 244(ए),(बी) और (सी) इसमें जो ऑब्जेक्शनल पोर्शन है, उसको निकाल देना

चाहिए। मैसेज का साफ संदेश है अगर डिपार्टमेंटल रिलेटिड कमेटीज के बारे में ये भावना बन रही है जो जगदीश जी ने कहा कि अधिकारियों को बुलाकर प्रताड़ित किया जाता है, तो ये पूरे रिरटम के ऊपर...

अध्यक्ष महोदयः वो पोर्शन जो निकाल दिया जाए, वो पढ़ दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नही, मैं ये कुछ नहीं पढूंगा। ये तो आप दीजिए इसको...

अध्यक्ष महोदयः पढ़ तो दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मुझे क्या मालूम, क्या निकाल दीजिए। मेरे को इतना...

अध्यक्ष महोदयः भई विजेन्द्र जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, पढ दीजिए उसको।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं इतना कहूंगा कि लोक सभा की जो 18(3) है, हमें उसका पालन करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अगर कमिटी के अंदर.... वैसे तो रोका नही जाता विपक्ष को लेकिन हम मानते हैं हम संख्या में कम हैं, इस लिए विपक्ष के नेता को भी यहां तिरस्कार का ही वो एक हिस्सा है। अपनी बात पूरी न करने देना। मैं इतना कहूंगा मैं आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं जो डिपार्टमेंटल रिलेटिड स्टैडिंग कमिटीज हैं, इनके अदंर अगर आप कहते हैं कि दिल्ली के नालों की सफाई नही हुई तो जो मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, आपने उनको बुलाया क्या? आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को बुलाए बगैर उनकी रिस्पॉसिल्टि फिक्स करें, बगैर ये सदन में हर विभाग का जिम्मेदार उस

विभाग का मंत्री है। आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। अगर शिक्षा में कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो इस सदन के लिए जवाबदेह श्री मनीष सिसोदिया हैं। वो ये नहीं कह सकते, वो ये नहीं कह सकते कि ये तो चीफ सैक्रेट्री नहीं कर रहे। वो आप देखिए, वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कोई कमिटी अगर हाउस की है, उसके लिए जवाबदेह मंत्री है। मंत्री की पेशी हुई क्या? अगर दिल्ली में नालों की सफाई नहीं हुई, मंत्री की पेशी नहीं हो रही है। अब सीधा एग्जीक्यूटिव पर बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि एग्जीक्यूटिव दूध की धुली है। मैं ये नहीं कहता कि एग्जीक्यूटिव बहुत बढिया काम कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि एग्जीक्यूटिव को जो है, मैं नम्बर दे रहा हूं। लेकिन मैं भी आपकी तरह प्रताड़ित हूं, तकलीफ में हूं। कितनी बार ऐसा होता है कि जनभावनाओं के अनुसार हम काम करना चाहते हैं और सिस्टम उसको रोकता है। लेकिन बावजूद इसके मैं कहूंगा कि हमको इन परिस्थितियों में, इस माहौल में जैसे इस माहौल में हम अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी विपरीत परिस्थिति अगर आप कहते हैं, तो कमिटी मंत्री को बुलाए। मंत्री से पूछे। मंत्री से सवाल करे। मंत्री की जिम्मेदारी तय करे। तो मुझे लगेगा कि इन कमिटियों का कोई फायदा है। वरना इन कमिटियों का इतना ही है कि ये संविधान की अवहेलना कर रही हैं। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना है। बदलने की भावना से चीजें हो रही हैं और प्रताड़ित करने का एक विषय है जिसमें हमारे मूल मुद्दे, मूल मुद्दे दब रहे हैं। और आपकी फ्रस्ट्रेशन सामने दिखाई दे रही है। हमारे मूल मुद्दे क्या हैं? हमारे मूल मुद्दे हैं, काम होने चाहिए। अच्छे से अच्छा काम होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये शॉर्टकट करके इस तरह करेंगे तो कहीं न कही आपकी फ्रस्ट्रेशन दिखा रही है। ये फ्रस्ट्रेशन है आपकी। अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और उसमें सोचिए, इसके बेहतर रस्ते क्या हो सकते हैं! हमारे अधिकार और किस प्रकार बढ़ सकते हैं।

लेकिन देश की लोक सभा से बड़े अधिकार हो जाएंगे। एक तरफ तो हम कहते हैं युनियन टेरिटरी विद असेम्बली, एक तरफ 239 (एए) की बात कर रहे हैं कि वो घर बड़ा है। उप–राज्यपाल की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोक सभा से ऊपर हो गए! ये कैसे हो सकता है?

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, कन्कलूड करिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः सदन टी ब्रेक के लिए आधे घंटे के लिए स्थगित हुआ।

सदन अपराह्न 5.15 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महेादय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

अध्यक्ष महोदयः समय का बहुत अभाव है। मेरे पास अभी जिन विधायकों के नाम रह गये श्री नरेश यादव जी, अजय दत्त जी, मदन लाल जी, गुलाब जी। मैं गुलाब जी और मदनलाल जी को केवल आमंत्रित कर रहा हूं उसके बाद माननीय उपमुख्य मंत्री का भाषण होगा।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं अजय दत्त जी, प्लीज। देखिये, नहीं मुझे समय की भी कुछ सीमा है। नहीं, कल बोल लिये थे आप, प्लीज। गुलाब सिंह जी। हां, मैं मान रहा हूं, प्लीज।

श्री गुलाब सिंहः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा ये सदन आज कर रहा है चूंकि जब से सरकार चुन कर आई है तो बारी बारी अलग अलग तरह से अलग

अलग कानून की किताबें दिखाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली की जनता को नुकसान पहुंचाया गया दिल्ली की जनता को कमजोर करने की कोशिश की गई और तीन ऐसे बड़े झटके सरकार को दिये। तीन बड़े नुकसान दिल्ली की जनता को हुए; एंटीकरप्शन ब्रांच तब से छिनी है, मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि 49 दिन की सरकार जब आम आदमी पार्टी की बनी थी, उसके बाद दोबारा चुनाव हुए, पूर्ण बहुमत से जनता ने यहां पर भेजा है और जब से एंटीकरप्शन ब्रांच माननीय मुख्यमंत्री जी से छीनी गई, तब से लेकर आज तक एक केस बता दीजिये जो कहीं सुर्खियों में रहा हो, कहीं आपने पढ़ा हो, किसी टीवी चैनल पर देखा हो। बिल्कुल आराम से बैठे हैं। कोई कार्य एंटीकरप्शन ब्रांच के पास नहीं है। जब कि सबसे ज्यादा बड़ा काम लोकतंत्र के अंदर आज दिल्ली के जनता के लिए सबसे बड़ा कार्य वो कर सकते हैं। अभी जब हम बात कर रहे थे माननीय सदस्य जगदीश प्रधान जी ने कहा कि मंत्री जी ने कहा कि भई, उनको तो हम जेल भेजेंगे। आपका काम कर दिया... और जगदीश प्रधान जी ने कहा कि डीएसआईडीसी के एमडी की उन्होंने बात की। मैं आपको बता देना चाहता हूं प्रधानजी, जिस डॉयरेक्टर साहब की आप बात कर रहे हैं, डीएसआईडीसी को जानबूझकर एक ऐसे कानून के लपेटे में लिया गया कि वो काम कर ही ना सके। डीएसआईडीसी जब सड़कें बनाती है तो वो आरसीसी के रोड बनाती है और जो उसके अंदर पूरा मैटिरियल इस्तेमाल होता है, तो जनाब ने इतना अच्छा क्लॉज डाल दिया कि अपने आप में सोचने का विषय बन गया कि कार्य रूके क्यों! तीन कंपनियों से आप आरएमसी के ट्रक मंगाएंगे, उसके अलावा किसी से नहीं मंगाएंगे। ये ऐसा क्लॉज डाल दिया उसके अंदर। अंबुजा, लफ्फाज और एसीसी। इन तीन कंपनियों से आप वो मैटिरियल लेंगे। ऐसी क्या दलाली हुई थी, ऐसी कौन सी डील हुई थी जो इन तीनों कंपनियों से मैटिरियल लेने पर मजबूर किया गया? डीएसआईडीसी

के अधिकारियों को, ठेकेदारों को ऐसी कौन सी डील हुई थी जिसकी वजह से प्लांट से हमें मैटिरियल नहीं मिल सका ठेकेदारों को और हमारे काम पिछले एक साल से रूके हुए थे। भाई, झा साहब को चेयरमेन बनाया गया। चेयरमेन बनने के बाद वो मीटिंग हुई और उस मीटिंग के सामने जब पहली मीटिंग हुई तो मैंने इस बात को सबके सामने रखा और कमिटी ने पाया कि हां, इसकी वजह से सारी गड़बड़ है। वहां पर एक्सईएन लेबल के, चीफ लेबल के और कई सारे अधिकारियों ने अपनी पीड़ा रखी कि हां जी, इस वजह से हम रोड नहीं बना पा रहे हैं। ये तीन कंपनियां हमें मैटेरियल उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं। इस बांउडेशन को खत्म कराइये और कमेटी ने उस बात को रिकमंड किया कि भई, इनको हटाके इस फाउण्डेशन को खत्म किया जाये।

दूसरा कमिटी की जब मीटिंग चल रही थी तो कमिटी ने फाइनेंस सेक्रेटरी को, यूडी सेक्रेटरी को और डायरेक्टर साहब को तीनों को बुलाया, लेकिन सबसे पहले डायरेक्टर साहब को बैठाया गया कमेटी के सामने, सब लोग बैठे, सवाल पूछे। उस समय यूडी सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी नहीं थे। बड़े कमाल की बात है! उनसे पूछा गया कि बताइये, अभी तक आपके पास कितना पैसा है? उन्होंने कहा, ''करीबन तीन सौ करोड़ रूपये।'' और ये मैं नहीं कह रहा हूं ये विधान सभा की कार्यवाही में ये नोट है। जिस दिन ये कमिटी हुई थी, उन्होंने कहा कि हम पिछले एक साल से, डेढ़ साल से कह रहे हैं कि हमारे टैंडर लगा दीजिए, हमारी सारी विधान सभा के अलग अलग सदस्य जाते थे, इस पर टैंडर लगा दीजिए, कि पैसा नहीं है। टैंडर लगा दीजिए, पैसा नहीं है। लेकिन उस दिन जब बैठकर बात हुई और उनसे पूछा कि अभी तक पिछले डेढ़ साल के अंदर, दो साल के अंदर आपने कंट्रेक्टर को कितनी पेमेंट की? सवाल का जवाब बड़ा चौंकाने

वाला था। उन्होंने हमारे सामने कहा कि करीबन करीबन 72 करोड़ रूपये हमने दे दिये, लेकिन उसी समय यूडी सेक्रेटरी को वहां पर बुलाया गया कि जी, अब आप बताइये कि आपको इन्होंने कितने रूपये दिये हैं लिख के, हमने इतना पैसा दिया है, वो डर गये? यूसी बोलते हैं उसको। यूसी सर्टिफिकेट उसके बाद उन्होंने बताया कि सिर्फ 30 करोड़ रूपये का हमारे पास लिखके आया। यानी कि उसी समय उनकी चोरी पकड़ी गयी, उसी समय झूठ पकड़ी गयी और आप कहते हैं कि जेल भेजने की बात करते हैं। आपको मालूम है कि आप जेल नहीं भेज पायेंगे। लेकिन यह भी सत्य है कि अगर आज एंटी करप्शन ब्रांच अगर आम आदमी पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री के पास हो तो अच्छे अधिकारियों को डरने की जरूरत नहीं है लेकिन बेईमान अधिकारियों को जेल में भेजने से आम आदमी पार्टी और ये सरकार कभी घबरायेगी भी नहीं। बहुत ताज्जुब हुआ ये सुनके और डायरेक्टर साहब का कहना था कि ये जो 270 करोड़ रू0 हमारे पास पड़े हैं, ये तो एडवांस में जो कंट्रेक्ट्स छोड़ दिये गये हैं, जो टैंडर लग चुके हैं, जो वर्क अवार्ड हो चुके हैं, ये तो उसकी एवज में मेरे पास रखे हैं, इसका मैं पैसे का इस्तेमाल बिल्कुल और नये टैंडर नहीं लगाऊंगा? यानी के आप सरकार को कह रहे हो कि मैं तो अपने पास सिक्योरिटी रखूं और मुझे और पैसे दीजिए, बड़े कमाल की बात है! ये चिंता तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को होनी चाहिए, आपको कब से सताने लगे? जान बूझकर इस तरह की बाधाएं और उनके कार्यकाल में अगर आप निकलवा के देखेंगे कि कितने टैंडर लगे हैं, कितने काम ग्राउंड पर आये हैं, कोई काम नहीं हुआ था उस समय। हम बार बार मंत्री जी के पास जाते थे, जो कि सर्विसेज भी आपने छीन लिये। यही तो तीन चीजें छीनी आपने। जब कमिटियों की बात आ रही है। आज तो इस विधान सभा के अंदर जो सर्वोच्च ताकत है, वो लोकतंत्र के अंदर आपको विधान सभा को दी गयी है। आज उस

ताकत को छीनने की कोशिश, इस विधान सभा के अधिकारों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। आपने कुछ दिन पहले हमसे थाना लेबल कमेटी छीन ली, जिसका परिणाम आज यह भुगत रहे हैं कि पिछले ढाई साल से जब से सरकार चुनी गयी है एक भी विधायक अपने लोकल थाने के एस.एच.ओ. के साथ मीटिंग तक नहीं कर पाया और जिसका परिणाम हमारे क्षेत्र के अंदर हफ्ता वसूली चल रही है? बिल्डरों से पैसा वसूला जा रहा है, तरह तरह के क्राइम हो रहे हैं, चोरियां हो रही है, जुआघर चल रहे हैं, नशे का व्यापार बिक रहा है, लेकिन आज हम मूकदर्शक बन कर देख रहे हैं क्योंकि थाना लेबल कमेटी भंग करने का सबसे बड़ा खामियाजा ये सारे जितने भी जन प्रतिनिधि यहां बैठे हैं, सब भुगत रहे हैं? अभी इन कमिटियों को आप भंग करने की बात कर रहे हैं? इन कमिटियों को भंग करने का क्या फायदा होगा? विजेन्द्र गुप्ता जी अभी रूल दिखा रहे थे, इस रूल बुक में कहीं पे भी नहीं लिखा कि आपको भी विपक्ष का दर्जा मिले लेकिन फिर भी इसके बाहर जाकर आपको विपक्ष का दर्जा दिया। आपको तो सम्मान करना चाहिए इस विधान सभा का। आपको सम्मान करना चाहिए। ये बार बार मत दिखाया करिये। इस रूल बुक में कहीं नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको दे रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे माननीय एलजी साहब, माननीय एलजी साहब का सम्मान करते हैं।

... (व्यवधान)

सभापति महोदयः बैठिये जरनैल जी। जरनैल जी गुलाब जी को, गुलाब जी बोल रहे हैं प्लीज।

श्री गुलाब सिंहः दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मेरे क्षेत्र के अंदर एक एसटीपी बन रहा है। ये बात सौरभ भाई कमेटी के चैयरमेन हैं, उनके पास

आया था। बड़े ताज्जुब की बात है कि अगर ये कमिटियां न हो तो आप सोचियेगा कि ये किस तरह से इस पूरे ब्यूरोक्रेसी को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश, वाया एल.जी. कर रहे हैं, इसमें एलजी साहब का दोष नहीं मानते हैं हम। बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन कहीं न कहीं उनके द्वारा ये खेल खेला जा रहा है।

एक सीविर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की तैयारी हुई। जल बोर्ड को आदेश दिये गये कि अभी 50 बीघा जमीन के लिए आप नोटिस जारी कीजिए, आप जमीन लीजिए, जहां पर जमीन को पहले देखा गया था, वहां से जमीन को स्थानांतरित किया गया, उसकी जगह बदली गयी। जहां पर जगह बदली गयी, वहां पर भी 50 बीघा जमीन देखी गयी, लेकिन बड़े कमाल की बात है! जिसमें से 30 बीघा चार बिस्वा जमीन के आस पास के नोटिफिकेशन किये सेक्शन चार और छः हुए। लेकिन 19 बीघा और 16 बिस्वा जमीन अलग से छोड़ दी गयी और वो किसी बड़ी कम्पनी की थी और इसके अंदर एक डील हुई और पूरे के पूरे मामले को सौरभ भाई के कमिटी को सौंपा गया और जिसके अंदर अभी जांच चल रही है और मुझे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब ये कमिटी रिपोर्ट सौंपेगी और शायद सौंप चुकी है, अभी सौंपेगी। इसके अंदर भ्रष्टाचार निकलेगा। इसलिए इन कमिटियों का, ये कमिटीज आंख और कान हैं इस विधान सभा की, दिल्ली की जनता की। यहां पर बैठकर हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। इसलिए माननीय विजेन्द्र गुप्ता जी, हम सब लोगों को मिलकर और विधान सभा की इस ताकत के साथ कोई न खेले, विधान सभा के इन अधिकारों के साथ कोई खिलवाड़ न करें, इसीलिए हम सबको पक्ष और विपक्ष का भेदभाव भुलाकर हम सबको एकजुट खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि मैं अंत में एक बात कहकर खत्म करता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का हृदय इतना कोमल है और ये

कितने सच्चे इंसान हैं, उनका काम करने का बहुत मन है। उनके साथी रहे भाई मनीष सिसोदिया जी उप–मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार बहुत ही शालीन, उनका व्यवहार और बहुत साफ मन के लोग हैं और इनकी तरफ से मैं एल.जी. साहब के एक पंक्ति के माध्यम से अपनी बात रखना चाहूंगा ताकि जिस तरह से हर कार्य में बाधा डाली जाती है, हो सकता है कि इस पंक्ति के माध्यम एल.जी. साहब, एल.जी. साहब देख रहे होंगे, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा किः

"जब मैं चलू ये दौलत भी साथ रख देना। इस दौलत को समझना. इस दौलत में मैं क्या बोलने जा रहा हूं।

"मैं जब चलूं तो ये दौलत भी साथ रख देना,
मेरे बुजुर्ग मेरे सर पर हाथ रख देना।"

बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद, श्री मदन लाल जी।

श्री मदन लालः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने आज इस महत्वपूर्ण मौके पर जो आज डिस्कसन का विषय है, मुझे बोलने का अवसर दिया।

माननीय उपराज्यपाल महोदय की जो चिट्ठी आपको यहां इस सदन को सूचित करने के लिए आयी है, उसकी जो ओपनिंग लाइन है, उनसे ज्ञात होता है कि उसके पीछे मंशा कुछ और है। जो कानून यहां रूल 244ए, 244बी, 244सी यहां 31 मई 2017 को इस विधान सभा ने एडॉप्ट किये और उन रूल्स को एडॉप्ट करने के पीछे जो मंशा थी, वो उस समय भी साफ साफ थी। आज के दिन भी साफ है। तो उसको इतने दिन के बाद या कहें 13/9 को जो चिट्ठी लिखी गयी है, 31/5/ 2017 को

रूल्स फ्रेम्स हुए। 13/09/2017 को एलजी महोदय की चिट्ठी आयी। इसके बीच में काफी लंबा गैप है। उस चिट्ठी में उन्होंने जो पैरा–दो में लिखा है, वहां जिस अधिकार की बात कही गयी है; सब–सेक्शन 3 और सब–सेक्शन 18 Government of NCT of Delhi, that the powers privileges and immunities. ये न तो तब चैलेंज करी थी किसी ने और न आज की। न जिस समय ये रूल्स बनाये, उस समय ये सब्जेक्ट मैटर था और न आज के दिन था। ये तो एक ऐसी है पावर्स जो हमेशा से उस रूल्स बनने से पहले भी थी, रूल बनने के बाद भी। इनका उस मुद्दे से जो उन्होंने 244ए, 244बी को डिस्कस करते हुए लिखा है। उनका मेन कंटेंशन है कि आपकी powers, privileges, immunities of the Legislative Assembly and of members and the committee thereof shall be such as are for the time being enjoyed by the house of people and its member and committees., that is the Lok Sabha. अगर हम देखें तो उन्होंने चैंलेज करने की बात की है, वो हैं 244-B Functions of the Committees.

उन्होंने कंपेयर किया है पार्लियामेंट्री कमिटी के पावर्स से और विधान सभा ने जो आपके माध्यम से यहां रूल बनाये, उन दोनों के बीच में जहां 33 (1) ई कहता है The Standing Committee shall not consider the matter of the day to day administration of concerned ministries, departments और जो रूल फ्रेम किया था, वो था To take up matter of public importance concerning the respective departments for scrutiny, inquiry, investigation and make report theirin.

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूं कि जब हम यहां विधान सभा में कोई क्वैश्चन लगाते है तो उसका परपज होता है ऑनरबल मिनिस्टर से उस समस्या के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और

उसकी जानकारी कौन देता है? जानकारी मंत्री जी भले ही देते हों, पर वो जानकारी उस संबंधित डिपार्टमेंट के कंसर्नड ऑफिसियल से आती है। इसका अर्थ है कि कंसनर्ड डिपार्टमेंट का वो जो मंत्री के ऑफीसर्स हैं, वो उस जानकारी को शेयर करते है, वो जानकारी यहां सदन के पटल पर रखी जाती है, मैम्बर्स को डिस्ट्रिब्यूट की जाती हैं और उसमें उस ऑफीसर की पूरी जिम्मेदारी है जो वो रिपार्ट सब्मिट कर रहा है और जो कमिटी आपके माध्यम से बनती हैं, उसमें कितना अंतर है कि ऐसी किसी भी जानकारी के लिए उस कथित अफसर को जो कंसनर्ड ऑफीसर है, उस कमिटी में जवाब देने के लिए इन पर्सन बुलाया जाता है। दोनों में कोई बड़ा अंतर नहीं है। एक में जवाब उन कंसर्नड ऑफीसर से आ रहा है, दूसरे में उन कंसनर्ड ऑफीसर्स को वहां बुलाया जा रहा है। तब सवाल होता है कि आज के दिन ये क्वैश्चन उठाने का मुद्दा क्यों हुआ? इसके पीछे एक साजिश है! एक षडयंत्र है!

अध्यक्ष महोदय, मैं 2015 के शुरूआती दिनों में जाना चाहता हूं जब दिल्ली सरकार के पास एसीबी थी, एन्टी करप्शन ब्यूरो थी जो हमेशा से दिल्ली सरकार पे रही। महोदय, उस एन्टी करप्शन ब्यूरो का सबसे बड़ा एक काम था करप्ट ऑफीसर्स को, जो गवर्नमैंट ऑफिसियल्स हैं, उनको करप्शन के टाइम पर पकड़ना। उस समय की एक घटना हुई। दिल्ली पुलिस के एक हवलदार को 50,000 रूपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। एक मुकदमा दर्ज हुआ। एसीबी के ऑफीसर्स ने उसको कोर्ट में पेश किया पर इससे पहले कि वो पेश होता चूंकि वो दिल्ली पुलिस का हवलदार था, उस समय की भी सरकार वही थी, आज की भी वही सरकार है, सेंटर में, जिसके अंदर दिल्ली पुलिस आती है, उन्होंने तुरंत ही एक किड्नैपिंग का मुकदमा एसीबी के ऑफीसर्स से खिलाफ दर्ज कर लिया। उनका कहना

था कि वो हवलदार को किड्नैप करके एसीबी के ऑफीसर्स ले गए। एसीबी के ऑफीसर्स ने उसको कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने साफ–साफ लफ्जों में कहा कि एसीबी के ऑफीसर्स को इस हवलदार को पकड़ने की और कोर्ट में पेश करने की पूरी की पूरी पॉवर है, लिहाजा वो केस बाद में रद्द हो गया। ये मंशा है, ऐसे करप्ट ऑफीसर्स को शुरू से बचाने की। अब सवाल ये है कि क्या वो करप्शन वाला डिपार्टमेंट जो दिल्ली सरकार के पास था, जो करप्ट ऑफीसर्स को कंट्रोल करता जो एरैण्ट ब्यूरोक्रेटस को, जो करप्ट हैं; करप्शन किसी तरह की हो सकती है, वो करप्शन चाहे पैसे की होती हो या फेवर की होती हो। कभी पैसे की वजह से आप काम नहीं करते या कभी पैसे की वजह से करते हैं या कभी आप काम ही नहीं करते क्योंकि फाइल हिलानी नहीं है। ये सारी करप्शन के रूप में आती है और आज के दिन जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी एक्ट कर रही है, वो करप्शन से कम नहीं है क्योंकि ज्यादातर ऑफीसर्स आज के दिन काम करने में इंट्रेस्ट नहीं ले रहे हैं। उसका एक और ज्यादा बड़ा फायदा ब्यूरोक्रेसी को आज के दिन मिला है और जब तक ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड न कर दे, तब तक ये इसी तरह चलता रहेगा क्योंकि माननीय एलजी महोदय पूरा प्रोटेक्ट करने को, उनको इंट्रेस्ट लेते है। उसी का कारण है ये चिट्ठी।

अभी पीछे मैं मुझे किसी एक मीटिंग में बैठने का, मीटिंग को देखने का एक अवसर प्राप्त हुआ। महेन्द्र गोयल जी हमारे ऑनरेबल मेम्बर उस मीटिंग को चेयर कर रहे थे। दिल्ली गवर्नमैन्ट के एक सैक्रेटरी महोदय को सम्मन किया गया था। उनकी जगह एक स्पेशल सैक्रेटरी ने आकर कहा कि सैक्रेटरी महोदय ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ मीटिंग में हैं, लिहाजा वो आज नहीं आ पाएंगी। अध्यक्ष महोदय, वहां बैठे–बैठे चेयरमैन साहब ने जो उस कमिटी के थे, वहीं एक ऑफीसर को कहा कि जरा पता करिये मंत्री

जी के यहां कोई ऐसी मीटिंग शेड्यूलड है। अध्यक्ष महोदय, to our utter surprise! मंत्री जी के यहां से मैसेज आया no such meeting was ever scheduled, no meeting took place or is taking place as the secretary has not attending my office today. It means the officer, the Special Commissioner present in the meeting lied before the committee. और सिर्फ वो उन्होंने झूठ नहीं बोला, जब उनको अगली बार कहा कि उनको ये इंफार्मेशन किसने दी है? तो उन्होंने कहा सैक्रेटरी साहिबा के प्राइवेट सैक्रेटरी ने दी है। और प्राइवेट सैक्रेटरी ने किसके कहने से दी है? कि जी, वो सैक्रेटरी साहब के कहने से दी है। अब अगर ऐसे ऑफीसर्स को मीटिंग में भी आने से परहेज है और वो मीटिंग किसके लिए हो रही थी? वो मीटिंग हो रही थी, दिल्ली की जनता के दुःखों के निवारण के लिए, दिल्ली की जनता की जो परेशानियां हैं, जो उनकी दिक्कतें है, जो उनका काम है, जो कमिटी कर सकती है, जो वो ऑफीसर्स की जिम्मेवारी है, उनको वो डेरेल कर रहे हैं, वो नहीं आना चाहते, वो नहीं चाहते थे ऐसी किसी मीटिंग में हों। यहां ऑफीसर्स एरैण्ट हैं।

एलजी साहब पेरलल गवर्नमैन्ट चला रहे है क्योंकि सत्ता पे अघोषित कब्जा एलजी साहब का है जिनके अंडर ब्यूरोक्रेटस काम करते हैं और यहां कई बार ऑनरेबल सीएम साहब ने, ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब ने, ऑनरबेल मिनिस्टर्स ने कई बार कहा कि कई बार फाइल ही नहीं दिखाई जाती। फाइल बाइपास करके सीधे एल.जी. हाउस, एल.जी. हाउस से सीधा सैक्रेटरी... और डिसीजन हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे मंशा केवल एक है कि जो उन्होंने अपनी मर्जी से करना है, उसको मंत्रीगण न रोकें। जनता के हित की बात न करें। फिर चाहे वो मसला कोयला के उस राशन की दुकान जो राशन की दुकान थी, उस राशन की दुकान को

जिसको कमिश्नर, फूड एंड सिविल सप्लाईस ने कैन्सल कर दिया था, उसको रेस्टोर करने जैसे मसले हैं एलजी ऑफिस द्वारा या किन्हीं ऑफीसर्स के खिलाफ जहां कहीं कोई एक्शन होता हो, उनको बचाने की कवायद हो।

विधान सभा को चिट्ठी मिलने के बाद, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने तुरंत ही उसके बाद एक चिट्ठी एल.जी. महोदय को लिखी और एल. जी. महोदय को उस चिट्ठी में आपने कहा, To discharge the यहां था, The premier rule of legislature as envisaged in the constitution, as you are aware, is to make law and to hold the executive to account. आपने उसमें फर्दर एक कानून का हवाला दिया, To discharge these two primary functions the Legislative Assembly of NCT of Delhi was empowered by the Parliament of India vide section 33(1), 33(1) of the GNCTD Act, 1991 to frame its own rules of procedure. This same section is in the line with article 118 and 208 of the Constitution of India. To my surprise and to the surprise of all the Hon'ble Members and the Ministers and Deputy C.M., present here सर, जो आपने चिट्ठी लिखी थी एलजी महोदय को, उसमें इन्होंने कत्तई भी जिक्र नहीं किया क्योंकि ये अगर इसको जिक्र करते, अगर इसकी लाईन को वो डिनाइ करते तो तब उनकी चिट्ठी लिखी बेमानी हो जाती। उन्होंने जो उसका बात का जो आपकी चिट्ठी के बाद जो जवाब दिया, उस चिट्ठी में उन्होंने साफ कर दिया कि उन्होंने आपकी उस जो आपने कानून की व्याख्या की, उसको इग्नोर कर दिया और अपनी चिट्ठी में लिख दिया The message is self explanatory and is in accordance with the Constitutional Scheme of Government of NCT of Delhi.

स्पीकर महोदय, आपने जो चिट्ठी में लिखा था 33(1) का जिक्र, उन्होंने न तो उसे पढ़ने की सोची और न जिन लोगों ने एल.जी. महोदय

को गुमराह किया... वो पता नहीं कितने संजय जैन वहां बैठते हैं जो अपनी कुर्सी की रक्षा के लिए भगे डोल रहे हैं। ये संजय जैन जी वो हैं, सर, जो काँग्रेस के जमाने में जज बनने के लिए लगातार घोटेले की तरह धक्के खाते रहे और अल्टीमेटली क्योंकि ज्यादा चहेते थे, क्योंकि ऐसी व्याख्या कानून की करने में माहिर हैं जैसे अभी हमारे विजेन्द्र गुप्ता जी ने की, अभी मैं थोड़ी देर में उस पर आऊंगा, कानून की व्याख्या अपने आप करते हैं, कानून की भले ही समझ न हो, माफ करना पर जिस तरीके से कानून की व्याख्या की जाती हो, वो उसका अचरज है!

... (व्यवधान)

श्री मदन लालः मैं अभी आऊंगा सर, उस पे, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि सर, अगर एल.जी. महोदय इस कानून को पढ़ते, पढ़वाते 33(ए) को, 33(1) को तो ये चिट्ठी लिखने की नौबत नहीं आती। मैं आपको इसका ज्वलंत उदाहरण बताता हूं।

यहां हिमाचल प्रदेश की विधान सभा में अपने यहां जो रूल बना रखे हैं, वहां रूल है डिपार्टमैंटली रिलेटिड स्टैंडिंग कमिटीज, जैसे आपने बनाई। 273 वहां सैक्शन है। 'Departmentally related Standing Committees.'

Each year the Speaker shall nominate Departmental related Standing Committees and each of such committee shall consist of not more the nine members and shall look after the functioning of the Departments relating to their demands for grants as under. उसमें सर, उन्होंने कई कमिटी बनाई, कमिटी थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी जिसमें कई डिपार्टमेन्ट लगाए। दूसरी थी, ह्यूमन डेवलपमैंट कमिटी, जनरल डेवलपमैंट कमिटी, इसमें वो सारे डिपार्टमैंट थे, चाहे पब्लिक हो, हैल्थ हो,

चाहे प्लानिंग हो, प्रिंटिंग हो, लेबर हो, फाइनेंस हो, पब्लिक वर्क्स हो, इरिगेशन हो, रोडस हो, वॉटर हो रोड्स टु इन अ सिविल एरिया फूड हो, पुलिस, क्योंकि वहां उनके पास है, लैंड रेवैन्यू हो, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारी कमिटी, वो सारी बनाई और सारी पॉवर्स इन कमिटीज को दी। वहां किसी ने आज दिन तक कोई चैलेंज नहीं किया। मैं आपके माध्यम से ये कॉपी जरूर विजेन्द्र गुप्ता जी को देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, परंतु यहां जितने भी ईमानदार ऑफिसर्स हैं, वो बिना मांगे सरकार का काम कर रहे हैं, चाहे वो हैल्थ की स्कीम चल रही हो, चाहे वो ट्रांस्पोर्ट की स्कीम चल रही हो, चाहे वो सिविल डिपार्टमेन्ट में हो, चाहे कोई सा डिपार्टमेन्ट हो, पर जो करप्ट ऑफिसर्स हैं, करप्ट की परिभाषा, जैसे मैंने कहा केवल उन्हीं की नहीं है, जो पैसे लेके काम करते हैं, पैसे लेके नहीं करते, करप्ट ऑफिसर वो भी हैं, जो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभा नहीं रहा, जिसके लिए उसको तनख्वाह मिल रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये भी जानना चाहता हूं कि किसी अफसर को क्या ये तो वहम नहीं है कि उसकी तनख्वाह एल.जी. महोदय के यहां से आती है। ये सदन हर उस ऑफिसर की, पे देता है, सैलरी देता है जो इस सरकार के लिए काम कर रहे हैं। अगर इस सरकार के लिए काम कर रहे हैं और इस सरकार के लिए काम करने वाले अफसर की तनख्वाह यहां से दी जाती है और यहां की तनख्वाह सारी पब्लिक मनी से आती है तो पब्लिक के नाम पे हम अकाउंटेबल है तो हमारे लिए सारे ऑफिसर्स भी अकाउंटेबल है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई, बातचीत नहीं।

श्री मदनलालः अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखें इस सरकार में, आज के दिन हमारे पास था सब कुछ लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर। पीछे एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि सर्विसिज भी एलजी महोदय के डोमेन में है और उसके बाद क्या हुआ? सर्विसेज में फिर प्राइवेट और कॉन्ट्रैक्चुवल लोग रखे जाने लगे हैं, तीन–तीन महीने के लिए वहां। चाहे सरकार में, जैसा अभी पीछे विधान सभा ने भी पारित किया; गेस्ट टीचर्स, चाहे 2001 से स्कूलों में पढ़ने वाले टीचर्स, जो ट्रैंड हैं, हमारे पास जो मौजूद हों, पर नए लेने हैं, मंशा वही बेईमानी की है, ये जो प्राईवेट कॉन्ट्रैक्चुवल लोग लिए जा रहे हैं, इसके पीछे मंशा हमेशा केवल बेईमानी की है, अच्छे लोगों को लेने की नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जिन कमिटियों ने पूरा–पूरा समय, कमिटी की मीटिंग करके इस दिल्ली की समस्याओं को समझने के साथ, चाहे वो सीवर की समस्या हो, चाहे वो रोडस की समस्या हो, जब उन ऑफिसर्स को सम्मन करना शुरू कर दिया और उन ऑफिसर्स को खासकर जो अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर रहे थे, जब करना शुरू कर दिया तो उन लोगों ने सीधा अपने आकाओं के पास जाकर उन कमिटियों की शिकायत करनी शुरू कर दी और उसका रिजल्ट ये लैटर है। ये कमिटियाँ These committees are not in conformity with law. ये कमेटियाँ कानून के हिसाब से नहीं हैं, लिहाजा आप प्लीज इन अफसर्स को नहीं बुलाओ, क्योंकि ये अफसर हमारे हिसाब से काम कर रहे हैं, हमारे आदेश से काम कर रहे हैं। आपका आदेश नहीं मानेंगे, क्योंकि आप आदेश दे रहे हो दिल्ली के लोगों की भलाई के काम करने के लिए। हम लोग आदेश दे रहे हैं दिल्ली में आप के भलाई के कामों को रोकने के लिए। उसका रिजल्ट हमारे सामने है। जब टाईम बाउंड सीवर की सफाई की बात हुई, मंत्री जी ने एक टाईम

दे दिया पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब ने, सीवरेज का काम देने के लिए, सीवर मिनिस्टर ने काम दे दिया और तब काम नहीं हुआ, उसके लिए पैसा रिलीज कर दिया। तब भी माननीय अपॉजिशन लीडर की ये मांग कि उन कमेटीज में मिनिस्टर्स को भी बुलाया जाए, ये बहुत शर्म की बात है। आप उन ऑफिसर्स को बचा रहे हो जो करप्ट ही नहीं, इनऐफिशिएंट हैं, जो निक्कमे हैं, जो काम नहीं कर रहे, जो जनता का काम नहीं करना चाहते, आपके आदेश को मानना चाहते हैं और वो आदेश क्या है कि काम नहीं करना दिल्ली में, जो काम रोक सकते हो, रोक लो। चाहे वो हॉस्पिटल्स का काम हो, जमीन एलॉट नहीं करनी, सीवर का काम हो, सीवर का काम नहीं करना, पानी की सप्लाई को डिस्टर्ब करके रखना है, मोहल्ला क्लीनिक्स बनने नहीं देने, अगर कुछ कहें तो आप सौ तरह के अड़ेंगे लगा दो, क्योंकि आफीसर्स को प्रोटैक्शन है, उन्हें पता है, हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते सी.आर. लिखने की ताकत नहीं है। सारे ऑफिसर्स वहीं हाजरी देते हैं.... हम तो इतने लाचार है। अभी पीछे एल.जी. साहब ने स्कूल मैंनेजमैंट कमिटी.... आज सारी दुनियाँ में स्कूल के बारे में जितनी प्रगति दिल्ली सरकार ने की है. उतना वर्ल्ड में न किसी ने सुनी, न की, न कभी देखी, न सुनी। ये पहली बार हुआ है और उसके साथ–साथ स्कूल मैनेजमैंट कमिटी जो बनाई गई, अध्यक्ष महोदय, अगर आप उसको देखें तो स्कूल के पेरेंटस ने, बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल की हर गतिविधि में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उसका रिजल्ट हुआ कि वो जो नहीं चाहते थे कि सरकारी स्कूलों का स्तर सुधरे, मैंने एक बार पहले भी कहा था, अध्यक्ष महोदय यहां दो तरह की साजिश चल रही है; पहली वाली चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे काँग्रेस सरकार हो, उन्होंने पैरलल एक ईकोनॉमी चला रखी है, स्कूलों के साथ–साथ एक प्राईवेट स्कूल चला रहे हैं, सरकारी स्कूल का बच्चा क्लर्क, प्राईवेट स्कूल का बच्चा

उससे ऊपर, वो नहीं चाहते कि सरकारी स्कूलों का रिजल्ट अच्छा आए और इसीलिए उन्होंने एस.एम.सी. के ऊपर पाबंधियाँ लगा दी एल.जी. महोदय ने, ये वही एल.जी. महोदय हैं, जिनकी चिट्ठी हम पढ़ रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार दिल्ली में बारहवीं क्लास का रिजल्ट 88.27 परसेंट रहा, जब के प्राईवेट स्कूलस का 79.27 परसेंट, 9 परसेंट दिल्ली के सरकारी स्कूलों से नीचे का रिजल्ट रहा। ये पहली बार हुआ है। मैं मुबारकबाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिए मदन जी, जरा जल्दी कन्क्लूड करिए, प्लीज।

श्री मदनलालः जी सर। और सर, क्या हुआ कल की हाईकोर्ट की हेयरिंग में कि एल.जी. साहब के ऑर्डर को निरस्त कर दिया गया और कह दिया गया जो एस.एम.सी. की जो पावर्स है. जो एस.एम.सी. को अधिकार है, उनके उपर पूरी कार्रवाई करो और उनको पूरा मौका दो और छः हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है। ये अध्यक्ष महोदय मैं बता दूं कि जहां–जहां ये रोड़ा अटका रहे हैं वहीं–वहीं मुंह की खानी पड़ रही है विपक्ष को। और विपक्ष कौन है? विपक्ष है; पावरफुल सैन्टर में बैठी हुई एक और सरकार।

सर, आप एक और बात सुनो। दिल्ली में आज के दिन डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है। पुलिस की। क्योंकि एमपी दिल्ली में बीजेपी के हैं, मैं भी अटेंड करने जाता हूं। मेरे पास दो डिस्ट्रिक्ट हैं साउथ भी और साउथ डिस्ट्रिक्ट भी। कई मीटिंग हो चुकी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी इसलिए होगी क्योंकि वहां एमपी बीजेपी का है, थाना लेवल की कमेटी मीटिंग नहीं होगी क्योंकि वहां हम हैं, हमसे इंट्रेक्शन नहीं होना और आज के दिन जितने

दिल्ली में अपराध हो रहे हैं; चाहे वो चोरी के हो रहे हों चाहे वो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा हो, इतना आज से पहले कभी नहीं हुए।

मैं आपको एक और बात आपके माध्यम से सुना दूं। अब से पहले जब मदन लाल खुराना जी ऑनरेबल सीएम थे हमारे विजेन्द्र गुप्ता जी वहां मेम्बर थे असेम्बली के। इन्हीं के टाइम में दिल्ली के एल.जी. ने जो उस समय बीजेपी के थे, उन्होंने उन कमेटियों को भंग कर दिया था, जो सबसे बड़ी शर्म की बात थी और उन्होंने तब बिल्कुल नहीं कहा। इन्हीं की थी कोई बात। नहीं, ये तो इन्हीं की सरकार थी। अध्यक्ष महोदय, आज जो भी बात माननीय विपक्ष के लीडर ने यहां कही, ये His master's voice है और मास्टर कौन है? मास्टर हैं एल.जी. महोदय। भाषा किनकी थी? एल. जी. साहब की। वो उन्होंने ऐसे समय कही जब वो खुद इसके मेम्बर हैं। इनकी मर्यादा का उनको अच्छी तरह से ध्यान है। परन्तु इस सदन को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने जिस तरीके से इस सदन द्वारा पारित उस रूल्स को नेगेटिव फॉर्म में दिखाने की कोशिश की और एल.जी. महोदय के उस लैटर को, जो वो आपके खुद के लैटर का जवाब नहीं दे पाए, जब आपने कहा कि 33 (1) में इस सदन को आपको पॉवर है नए रूल बनाने की, उसका नहीं दिया कोई जवाब।

महोदय, मैं आपको एक और बताता हूं; जब भी कोई डिबेट होती है आप हम 66 होने के बावजूद जितना समय शायद हमें देते हैं, उससे ज्यादा समय आप इनको देते हैं। क्योंकि आपके मन में हमेशा ये एक भावना होती है कि हम सबको दिल्ली के हित में काम करना है। शायद ये पॉजिटिव रहेंगे। आपने एल.जी. महोदय की डिग्निटी, उनके ऑनर को ध्यान में रखते हुए आपने बड़ा हम्बली, बड़ा पोलाइटली एक चिट्ठी लिखी। आपने कानून की दुहाई दी कि इस सदन को रूल्स बनाने की पॉवर है, मैं आपका धन्यवाद

करता हूं। आपने बहुत अच्छी तरीके से मर्यादा का पालन किया। परन्तु एल. जी. महोदय ने बिना आपके उस जवाब को अच्छी तरह देखे बिना उसके कंसलटेशन के कि 33(1) Government of NCT of Delhi आपको इस सदन को पॉवर देता है, उसको इग्नोर किया जानबूझकर और वो चिट्ठी आपके यहां भेज दी और वो चिट्ठी को लेकर जो हमारे अपोजिशन के लीडर वहां पर हैं, उन्होंने खूब बढ़ा–चढ़ाकर उसको प्रूव करने की कोशिश की। एलजी साहब को इस बारे में मिसफीड किया गया है।

अध्यक्ष महोदयः मदन लाल जी कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री मदन लालः मैं आपको सिर्फ एक और बताता हूं आज इन्होंने माननीय मंत्री महोदय को कहा कि उनको कमेटी के सामने बुलाना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, अभी जब पीछे डिमोनेटाइजेशन हुआ तो वहां पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने बहुत लोगों को बुलाया। उसमें पीएम को सम्मन कर दिया। मैं आपको बता दूं बीजेपी की पूरी सत्ता ने उसका पुरजोर विरोध ही नहीं किया बल्कि उस कमेटी के चेयरमेन को हटवा दिया। ये बात, इस बात को दर्शाती है कि लोग ट्रांसपेरेन्सी पे नहीं हैं बल्कि इन लोगों को, जो देश हित की बात करना चाहते हैं, उनको पसंद नहीं करते और सबसे बड़ी अचरज की बात तो ये थी कि जेटली जी, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको पता ही नहीं था कि 14 लाख करोड़ रूपये के नोट रात को 8 बजे (दो चुटकी बजाना) ये ही इशारा था, ये हो जायेंगे।

मैं सर एक और बात कहना चाहता हूं अभी सर, थोड़ी देर पहले लीडर ऑफ अपोजिशन महोदय ने.... मैं बस दो मिनट लगाऊंगा, थैंक्यू।

अध्यक्ष महोदयः अंतिम है ये बस अंतिम।

श्री मदन लालः उन्होंने सर, मैं, जो उन्होंने कहा, केवल पढ़ना चाहता हूं।

अभी माननीय विजेन्द्र गुप्ता जी ने कानून की किताब का हवाला देते हुए तीन सेक्शन्स पढ़ी थी। मैं केवल उनको पढ़कर, उनको बता दूं कि उनका मतलब क्या है। इन्होंने कहा था The Lt. Governor may send message to the Assembly whether with respect to Bill,

... (व्यवधान)

श्री मदन लालः Sir please, Sir, please, bear with me. Wahan word hai. The Assembly shall with all communion despatch consider any matter

सर, जो कंसीडर उस मैटर है ना जी, कंसीडर का मतलब है उस पर चर्चा करेगी, ये आर्डर नहीं है, आर्डर नहीं हो सकता। कानून में कहावत है "However, high you may be, however high you may be, आप कितने ही बड़े हों कानून आपसे बड़ा है। The law is above you. Lieutenant Governor is not above the law and the law as this book says, you will consider it, consider is not dictative, despatch consider any matter required by the message to be taken into consideration. और सर इन्होंने इसके बाद और पढ़ा था, कोई बात नहीं।

अध्यक्ष महोदयः सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाए मेरी सदस्यों से प्रार्थना है।

श्री मदन लालः सर, सेक्शन–18 में Powers privilege etc. of members.' ये वहीं सेम वर्ड्स है जो एल.जी. साहब ने अपने लैटर में, पैराग्राफ नं.–दो में लिखे थे। वो तो केवल हमारी पॉवर बता रहे थे। ये पॉवर हमें एल.जी. साहब ने थोड़े ही दी है। ये तो इस किताब में पहले ही दे रखी है। न घटी न बढ़ी। ये पॉवर्स हैं जो हमें भी और जो बीजेपी

के इन महानुभावों को भी, सबको बराबर मिली हुई है। वो कहते हैं कि 'The other respects, the powers in other respects, the powers, privileges and immunities of the LegislativeAssembly and of the Members and the committees thereof shall be such, as are, for the time being, enjoyed by the House of People.' सर, उनका कहना था कि हमें पॉवर्स, प्रिविलेजिज सेम हैं और इम्यूनिटिज सेम हैं, जो पार्लियमैन्टेरिएन्स को है, वो तो हम भी मान रहे हैं। आपने अच्छा है, मना दी कि कम से कम आप ये मान रहे हो कि हम पॉवरफुल हैं, हम इम्युन भी हैं, हम प्रिविलेज्ड भी हैं; लाइक एमपीज। आपने अच्छा है, हमें बता दी। हमें तो ये पता ही नहीं था। कई बार आप ऐसे–ऐसे वहां से आर्डर पास करा लेते हो, ज्यादातर फाइलें एलजी साहब के दफ्तर पड़ी हैं। अरे! सैकड़ों फाइल्स! कई बार तो वो तो तब पता चलता था, शायद हमारी पॉवर ही नहीं है, शायद हम प्रिविलेज्ड ही नहीं हैं। आपने अच्छा है, बता दी। पर ऐसा इसमें क्या अंतर है? हम तो कह रहे हैं ही, केवल 33(1) को देख लेते, आपको दोबारा कहने की और यहां चिट्ठी लिखने की आवश्यकता न पड़ती। मैं आपको 41 पढ़कर बता देता हूं। आपको उसका हिन्दी में मतलब क्या है।

अध्यक्ष महोदयः मदन जी, अब कन्क्लूड करिए, प्लीज, जल्दी कन्क्लूड करिए।

श्री मदन लालः 41 पढ़ रहा हूं सर इन्हीं का।

अध्यक्ष महोदयः अब किसी को समय नहीं है, प्लीज। हां।

श्री मदन लालः सर सेक्शन 41, मेरे काबिल दोस्त ने पढ़ा, यहां हैः Matter in which Lieutenant Governor to act in his discretion. यहां ऑनरेबल एलजी साहब के डिस्क्रीशन की चर्चा की गई है। मैं इसका हिंदी

में भी मतलब समझाऊंगा और अंग्रेजी में भी।

अध्यक्ष महोदयः मदन लाल जी, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए।

श्री मदन लालः Lieutenant Government shall act in his discreation in a matter which fall outside the perview of the powers confined on the Legislative Assembly. जो लेजिस्लेटिव असेम्बली को पॉवर नहीं है, वहां किसी मैटर पर वो अपना डिस्क्रीशन अप्लाई करेंगे। But in respect of which powers of functions are entrusted or delegated to him by the president. यहां न तो कानून बनाने की कोई पॉवर एल.जी. को मिली है, न कोई रूल बनाने कि मिली, तो ये अप्लीकेबल नहीं होता और हमने ऐसा कोई मैटर नहीं है, जो इस विधान सभा को पॉवर नहीं है और कोई रूल बना दिया हो। आपको पावर है 33(1) में तो ये पहला जो सब पैरा–एक है, वो नहीं अप्लीकेबल है और दूसरा, In which he is required by or under any law to act in his discretion of to exercise any judicial fuction.

सर, जो पॉवर इस विधान सभा को हो, उसमें ज्यूडिशियल फंक्शन कौन सा होगा? एक्सरसाइज कहां हो गया किसी चीज को करने का? मैं बताऊं, कहां डिस्क्रिएशन की बात आती है। जब वहां clash of interest हो between the minister or the L.G. then L.G. mayApply his mind और जैसे उन्होंने बहुत सारी फाइल रख रखी हैं, केवल तभी रोक सकते हैं। इस रूल को बनाने के पीछे जो आपने बनाया। जहां आपने पॉवर दी, कमिटी एप्वाएंट की, उसमें ये विधान सभा आप पूरी तरह कम्पीटैण्ट है। इस कानून के मुताबिक आपको पॉवर है और ये इस किताब के रूल्स, स्टेटस का बिल्कुल न तो मतलब समझा गया, न माननीय विपक्ष के लीडर विजेन्द्र गुप्ता जी ने न तो समझने की कोशिश की, जैसे एल.जी. महोदय ने नहीं की। इसलिए मैं कहता हूं कि जो इन्होंने कहा, वो बिल्कुल सत्यता से परे है। इस हाउस

को पूरा अधिकार है उन रूल्स को बनाने का। वो रूल्स पब्लिक इन्ट्रेस्ट में हैं, लिहाजा मैं इस हाउस से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि जो रूल बनाए गए हैं, जो कमिटियां बनाई गई हैं, उन कमिटियों को सारे अधिकार जो आपने दिए हैं, उनका पालन करने की सक्षमता है।

इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदयः बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उप–मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी चर्चा का उत्तर देंगे।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अजय दत्त जी, देखिए, थोड़ा सा समझा करें चीज को। अजय दत्त जी, ऐसा नहीं होता है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, बैठिए आप प्लीज, बैठिए। माननीय मंत्री जी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अरे भई अजय दत्त जी, कमाल है! आप बैठिए प्लीज, बैठिए। बैठिए आप, बैठिए प्लीज। माननीय मंत्री जी खड़े हैं।

... (व्यवधान)

सुश्री अलका लाम्बाः दिल्ली विधान सभा स्पीकर को हाईकोर्ट का नोटिस। विधान सभा में क्यों दिया गया है ईवीएम का डेमो! ये साफ दिखाता है कि किस तरह से दिल्ली विधान सभा के स्पीकर की ताकत को ललकारा जा रहा है और कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।

... (व्यवधान)

उप मुख्यमंत्रीः कोई बात नहीं मुझे, सोमनाथ जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय अदालत का सम्मान करते हुए वहां अगर कोई नोटिस भी है तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। इस सदन की तरह से जवाब जाएगा। मैं समझता हूं ये सदन सक्षम है पूरे विवेक के साथ में। अध्यक्ष महोदय, आज जिस समय हम विधान सभा में बैठक कर रहे हैं और इसपे चर्चा कर रहे हैं कि समितियां बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। समितियों के पास क्या पॉवर होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। मैं सोच रहा था कि लोकतंत्र की समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति जो लोकतंत्र में यकीन रखता होगा, वो सोच रहा होगा कि हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि लोकतंत्र हो कि न हो। मतलब आज इस चर्चा का सारा मूल तो यही है कि ये समितियां हों। नहीं हो, का मतलब साफ साफ है कि हम क्वैश्चन पूछ रहे हैं अपने आप से कि लोकतंत्र हो कि नहीं हो। इस देश में ये सवाल आज पूछा जा रहा है विधान सभा में खड़े हो के कि लोकतंत्र हो कि न हो, इससे ज्यादा दिक्कत क्या होगी! बहुत ही दिक्कत वाली बात है। ये बहुत पेनफुल है और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो सोच, इस सवाल के पीछे जो सोच काम कर रही है, जैसा मदन लाल जी ने कहा कि ये पीएसी के प्रति प्रधानमंत्री को जवाबदेह तक नहीं मानते, ये क्या विधान सभाओं की इज्जत करेंगे! क्या विधान सभाओं में लोकतंत्र की इज्जत करेंगे! ये तो पीएसी के चेयरमैन को प्रीविलेज नोटिस दिलवा देते हैं कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर को सम्मन कर लें! इनकी किस संविधान में आस्था है! इनकी किस लोकतंत्र में आस्था है! तो कोई बड़ी चीज नहीं है। आज तक जो ये आपका सदन को हमको मैसेज मिला है, ऑनरेबल एलजी साहब से, ये 175 के तहत मिला है आर्टिकल 175 के तहत धारा 175 के तहत। इसी तरह का अधिकार, इसी तरह का मैसेज भेजने की पावर माननीय राष्ट्रपति महोदय को भी है 86(2) में और देश के इतिहास में आज तक

माननीय राष्ट्रपति महोदय की तरफ से संसद को एक भी संदेश नहीं गया है आज तक। जबकि संसद में हम सबने देखा है कि लोकतंत्र का किस तरह से और किस किस स्थिति तक जा के चीर हरण नहीं हुआ है, वहां नोटों की गड्डियां तक लहराई गई हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सदन चुने हुए लोगों का सदन उसकी पॉवर, उसकी गरिमा, उसको बनाए रखना, लोकतंत्र को बनाए रखना है, लोकतंत्र को बचाए रखना है। आज बड़ा आश्चर्य है कि इस देश में एक चुनी हुई विधान सभा में ये चर्चा हो रही है कि लोकतंत्र को बचाना है कि नहीं बचाना है! और आश्चर्य इस बात पर भी है कि कुछ लोग इस व्यू प्वाइंट के साथ खड़े हुए हैं कि लोकतंत्र को बचाने की जरूरत क्या है!

अध्यक्ष महोदय, यहां इस चर्चा में मूलरूप से तीन बिन्दु अभी तक निकल के आ रहे हैं एक तो इन कमेटी, जो कमिटियां बनी ये समितियां बनी डिपार्टमेंट्स की इनके पीछे की सोच क्या है, इसका पॉजिटिव क्या है? माननीय नेता प्रतिपक्ष उसके विरोध में जो बोल रहे हैं एल.जी. साहब ने जो लिखा, लगभग वो ही बोल रहे हैं। इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है कमिटीज का और तीसरी महत्वपूर्ण चीज, जिसको मैं और हाईलाइट करना चाहूंगा कि एल.जी. साहब के इस मैसेज की वैधता क्या है? ये एलजी साहब का ये मैसेज अपने आपमें वैध है या नहीं है और उससे पहले दो तीन चीजें इस सोच के बारे में क्योंकि मैंने कहा एक सोच के बारे में, एक लीगल प्वाइंट ऑफ दीज कमिटिज और तीसरा एलजी साहब का ये मैसेज अपने आपमें वैध है कि नहीं है, इसपे भी चर्चा होनी चाहिए। मैं कुछ इस पर, क्योंकि सोच की बात है भई, ये सोच लम्बे समय से चल रही है; अंग्रेजों के समय से। अंग्रेजों के समय में जब बात की तो महारानी का हुकुम था। महारानी की चलती थी वहां पे, महारानी के अफसरों की चलती थी। महारानी

के अफसर देश की सत्ता में भी बैठते थे। अफसर भी अधिकतर वही थे, वो ही एप्वाएंट करके भेजती थी, वो ही सिलेक्ट करके भेजती थी वहां से। तो लॉर्ड साहब भी अंग्रेज बनते थे और अफसर भी अंग्रेज बनते थे। अब उनका तो काम था कि राजशाही का हुकुम बजाएंगे हम। जनता की नहीं सुनेंगे, जनता के ऊपर हत्याचार करेंगे, जनता को लूटेंगे और जब देश आजाद हुआ तो इसलिए थोड़ी हुआ कि हुकुम बजाई इसी तरह से चलती रहे और काले अंग्रेजों की जगह गौरे अंग्रेज आ जाएं? इसलिए थोड़ी आजाद हुआ था देश। देश तो इसीलए आजाद किया गया था कि जनता की सुनी जाएगी। इसलिए थोड़ी आजाद किया गया था कि अंग्रेज लार्ड साहबों की जगह हिन्दुस्तानी लॉर्ड साहब बैठेंगे। अंग्रेज अफसरों की जगह हिन्दुस्तानी अफसर बैठेंगे, व्यवस्था वैसी की वैसी चलेगी। लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र के तहत इस सोच की बात कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र के तहत कुर्सी सबको चाहिए नेता वाली भी और अफसर वाली भी। लेकिन लोकतंत्र की जो मूल धारणा है कि लोकतंत्र का मतलब है लोक के प्रति जवाबदेही, वो किसी को नहीं चाहिए, उससे बचना चाहते हैं। आज पिछले चार घण्टे से हम इसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी पे चर्चा कर रहे हैं। मतलब अंग्रेज चले गए, लोकतंत्र आना चाहिए इस देश में। लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। इस देश में लोगों के प्रति जवाबदेह तंत्र होना चाहिए। वो तंत्र लोगों के प्रति जवाबदेह न हो, इसके पीछे कैसे कैसे तर्क दिए जा रहे हैं, कैसे कैसे बहाने गढ़े जा रहे हैं! वही लूट चलती रहे, वही मजा चलता रहे। ये कमिटीज क्या कर रही हैं? कमिटी कुल मिलाके अध्यक्ष महोदय, मैं बात कहूं तो वो इतना ही तो कर रही हैं कि अगर कोई आदमी अस्पताल में दवाई की लाइन में खड़ा होता है और दवाई की लाइन में खड़े हो के उसको जलालत झेलनी पड़ रही है तो ये कमिटियां उस जलालत की आवाज को जो आम आदमी को झेलनी पड़ रही है,

स्वास्थ्य विभाग के सबसे सीनियर अधिकारी तक लाने का काम कर रही हैं। ये कमिटियां क्या कर रही हैं, ये कमेटी, किसी गली में पानी नहीं पहुंच रहा, किसी गली में सीवर ओवरफ्लो हो रहा है तो दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ तक उस आवाज को उस तस्वीर को दिखाने की कोशिश कर रही हैं ये कमेटी! अगर अनॉथराइज कालोनीज में कहीं जगदीश प्रधान जी बात करते हैं अगर अनॉथराइज कालोनीज में कहीं सड़क की जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, सड़क नहीं बन रही तो ये कमेटी ये ही कर रही है कि भई अनॉथराइज कालोनी में देखो हालत क्या है, चलो वहां पे। अगर किसी गरीब आदमी को पेन्शन नहीं मिल रही है तो ये तो यही तो दिखा रही हैं कि पेन्शन के लिए कैसी–कैसी लाईनें लग रहीं हैं। अगर आम आदमी की आवाज को ये कमेटी सत्ता के कान तक लाने का काम कर रही है तो इससे अनकम्फर्टनेस किसको हो रही है? इससे असहजता क्यो हो रही है? इससे प्रॉब्लम किसी को क्यों हो रही है।? इन कमिटीज से प्रॉब्लम हो रही है अध्यक्ष महोदय, गैर लोकतांत्रिक सोच को। जो जनता में यकीन नहीं करते। जिसको लाट साहब ही चाहिए। जिसको लाट साहब ही जैसा व्यवहार चाहिए। उन तमाम लोगों को इस कमेटी से प्राब्लम हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, अभी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये संसदीय कमेटी बनाम विधान सभा की कमेटी, मैं पूछना चाहता हूं, मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि क्या देश की संसद को ये पॉवर नहीं है क्या कि अगर कहीं किसी अस्पताल में कोई आदमी इलाज के अभाव में मर रहा होगा तो संसद उसको संज्ञान में ले सके, संसद उसके अफसरों को तलब कर सके, संसद जवाबदेही तय कर सके, ये संसद के अधिकार क्षेत्र, ये तो संसद का अपमान है। अगर संसद के पास में इतना अधिकार नहीं है। संसद को हम बहुत छोटा करके आंक रहे हैं। संसदीय समितियों को बहुत छोटा करके आंक रहे हैं हम! अगर हम ये सोचते हैं कि देश की संसद को इतना भी अधिकार

नहीं है कि अगर किसी मोहल्ले में, किसी गांव में पानी नहीं पहुंचा और देश की संसद ये नहीं पूछ सकेगी कि क्या... ये कह रहे है कि संसद की कमिटियों के पास भी ये पॉवर नहीं है। संसद, मंत्री से बड़ी है। विधान सभा मंत्री से बड़ी है। लोकतंत्र में यकीन रखिए और लोकतंत्र को समझिए। लोकतंत्र को समझिए। लोकतंत्र में विधान सभा मंत्री से बड़ी होती है। ये ऐसे हाथ हिलाने से मंत्री बड़ा नहीं हो जाता है। ऐसे हाथ हिलाने से प्रधानमंत्री बड़ा नहीं हो जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रियों से संसद बड़ी है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों से विधान सभा बड़ी है। अगर लोकतंत्र की इतनी भी समझ नहीं है तो लोकतंत्र के तहत चुनाव लड़ना छोड़ देना चाहिए। अगर इन लोगों को लोकतंत्र की इतनी भी समझ नहीं है कि संसद और विधान सभा, मंत्रियों से, सरकारों से बड़ी होती है तो इसका मतलब इनको लोकतंत्र में यकीन नहीं है और ये हैं ही गैर–लोकतांत्रिक। इनकी सोच गैर–लोकतांत्रिक है।

अध्यक्ष महोदय, ये कमिटियां कितनी महत्वपूर्ण हैं... देखिए, आपकी बात ध्यान से सुनी थी, सुनिए... ये कमिटी कितनी महत्वपूर्ण हैं, कितनी नियमबद्ध है। इसमें एल.जी. का सन्देश क्या है, कैसे है, इसके बारे में काफी चर्चा साथियों ने की। मदनलाल जी ने, सोमनाथ जी ने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे 49 डेज की सरकार में कैसे लोगों को एक ये था कि भई, ईमानदारी हुई। ईमानदारी का मतलब क्या था? ईमानदारी का मतलब सिर्फ ये था कि कोई अफसर किसी से सर्टिफिकेट बनवाने के लिए रिश्वत नहीं मांगने की हिम्मत कर रहा था। कोई किसी व्यापारी के ट्रक को पकड़ने से पहले चार बार सोचता था। अब ऐसी सरकार है जो तुमको जेल में डाल देगी। वो सिस्टम लागू हुआ था, 49 डेज में और वही सिस्टम जब ढ़ाई साल पहले सरकार बनी थी लागू कर दिया गया था, लेकिन ए.सी.

बी., सब सोमनाथ भाई ने जिक्र किया। मैं दोहराना नहीं चाहता कि किस तरह से ए.सी.बी. से लेकर सर्विसेज तक की कहानी है लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अपने उस मूल मुद्दे पर आने से पहले जिसमें मैं एल.जी. साहब के इस इस लैटर को डिसकस करूंगा कि जनता सरकार चुने। जनता पैसे दे। अगर चुनी हुई सरकार काम करे तो इनको प्रॉब्लम है कि जी,कि बिजली कम क्यों कर दी? पानी कम क्यों कर दिया? अभी आया है एक स्टेटमेन्ट। अभी स्टेटमेन्ट आया है, बिजली सस्ती क्यों मिलनी चाहिए? मेट्रो सस्ती क्यों होनी चाहिए? हर चीज में प्रॉब्लम, अगर सरकार काम करे तो। अगर चुनी हुई सरकार अफसरों की जवाबदेही तय करे तो इनको प्रॉब्लम है। विधान सभा की कमिटी अगर किसी की जवाबदेही तय करे तो इनको प्रॉब्लम है। कमिटी ने यही किया कि कमिटी ने सरकार को, विपक्ष बनिए, मिस्टर प्रॉब्लम मत बनिए, मिस्टर बिजेन्द्र गुप्ता जी। मिस्टर प्रॉब्लम मत बनिए।

अध्यक्ष महोदय, सरकार से कमिटी ने यही तो किया कि सरकार से जवाबदेही तय करी। अगर विधान सभा की कमिटी सरकार से जवाबदेही तय कर रही है, सरकार से कह रही है कि ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं तो इसमें विपक्ष को क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है! पहला विपक्ष देखा है जो सरकार की जवाबदेही से चिनचिनाए घूमता है। आप तो प्रधानमंत्री को बुलाने पर, चेयरमैन को नोटिस दो। लोक सभा की कमिटियों में भी... आप थोड़ा बहुत सामान्य ज्ञान बढ़ा लीजिए। लोक सभा की कमेटियों में भी अफसरों को खूब बुलाया जाता है और आपके यहां से प्रधानमंत्री को बुलाने पर नोटिस जारी हुआ है, चेयरमैन को। अध्यक्ष महोदय, जब जरूरत पड़ेगी। मैं कह रहा हूं मंत्री हूं, जरूरत पड़ेगी, हम लोकतंत्र में यकीन रखते हैं जिस दिन कमेटी बुलाना चाहेगी, हम दौड़ के

आएंगे। हम अवमानना नहीं करेंगे। हम कमिटी का सम्मान करते हैं और जरूरत पड़ेगी तो नेता विपक्ष को भी बुलाएंगे और उनको भी आना पड़ेगा कमिटी में। अध्यक्ष महोदय, हम...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई ओमप्रकाश जी, बीच में मत डिस्टर्ब करिए, प्लीज।

उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हम जवाबदेही से नहीं डरते। लोकतंत्र में चुनके आए हैं हम जवाबदेही से नहीं डरते। लेकिन ये जवाबदेही से क्यों डरते हैं? हम कमिटीज से नहीं डरते क्योंकि हम चोरी नहीं करते। कमिटी से क्यों डरते हैं क्योंकि हमें लगता है ओर आज जिस तरह से आप नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी सरकार में बैठे हुए अफसरों के लिए दरियादिली दिखा रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं सांठ–गांठ होके कुछ नम्बर दो का काम चल रहा है। इसका मतलब सांठगांठ होके कुछ नम्बर दो का काम चल रहा है। जब ये विधान सभा बजट देती है। जब ये विधान सभा तनख्वाह देती है तो इस विधान सभा को पूरा हक है अफसरों से और मंत्रियों से ये पूछने का कि इस पैसे का क्या कर रहे हो? कहां खर्च कर रहे हो इस पैसे को? कैसे खर्च कर रहे हो? कहां इसमें गड़बड़ी हो रही है। पूरा हक है, लोक सभा में भी कमिटीज को है, यहां भी है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सन्देह हो।

अध्यक्ष महोदय, सवाल ये है नहीं कि कमिटी के पास पॉवर होना सवाल तो ये है कि जनता की चुनी हुई, जनता के पैसे से चल रही है और जनता की जो सरकार है, वो जनता के प्रति जवाबदेह हो। कमिटी तो एक माध्यम है। जनता के प्रति जवाबदेह हो या न हो इस पर बहस चल रही है। एक लोकतंत्र की सोच का, जिसका मैंने पहले कई बार जिक्र

किया है। आधी–अधूरी बचकानी सोच लोकतंत्र की चलती है कई लोगों के मन में कि पांच साल में अपना राजा चुनो और अगले पांच साल तक उसके सामने गिड़गिड़ाते रहो। ये कमिटियां उस अवधारणा को तोड़ रही हैं और उस सोच को बचाने की कोशिश की जा रही है कि लोकतंत्र का मतलब है पांच साल में एक बार अपना राजा चुनो और अगले पांच साल उसके सामने गिडगिड़ाते रहो। हम कह रहे है कि लोकतंत्र में जनता राजा है। रोज पूछो... रोज पूछो... हर वक्त पूछो.... क्या फर्क पड़ रहा है? एम.एल.ए. को पता चले वो भी पूछे। मंत्री को पता चले वो भी पूछे। जनता सीधे आके पूछे। इसमें इनको प्राब्लम हो रही है? तो ये जो सोच है अध्यक्ष महोदय। उसी सोच से ड्रिवन होके एक लैटर इन समितियों के खिलाफ, समितियों के पंख काटने के लिए आपको मिला।

मैं अब थोड़ा सा उस लैटर की वैधता के बारे में आपसे जिक्र करना चाहता हूं, सदन के समक्ष रखना चाहता हूं और आपकी अनुमति चाहता हूं कि कुछ पेपर्स मैंने यहां उनको दिये हैं जो आपके आई.टी. डिपार्टमेन्ट के लोग हैं। एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, वो आपकी अनुमति हो तो यहां डिसप्ले कर दिया जाएगा। अगर आपकी अनुमति होगी तो। उसका मैं जिक्र यहां करना चाहूंगा क्योंकि ये जो लैटर आया है, मेरी राय में ये संविधान का उल्लंघन के तहत आया है। संविधान का उल्लंघन करते हुए आया है और ये मैं नहीं कर रहा हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण जजमैण्ट दिया है। ये जजमैण्ट 13 जुलाई, 2016 को दिया गया है। नबम् रेबिया वर्सेज डिप्टी स्पीकर्स एण्ड अदर्स के केस में।

ये अरूणाचल का जो अभी बहुत चर्चित केस था उसके सम्बन्ध में है। इसमें, ये उसका फर्स्ट पेज है। आपकी अनुमति है इसके लिए?

अध्यक्ष महोदयः हां, अनुमति है, करिए।

(अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आदेश पत्र टी. वी. पर डिस्प्ले किया गया)

उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ये केस है। इसको, यही रोक लीजिए। इसमें आप देखेंगे लास्ट टू लाईन्स में। लास्ट की लाईन In its support the governor issued a message लास्ट की लाईन है। In its support the governor issued a message एक ही लाईन पढ़ने के लिए है यहां। In its support the governor issued a message on 9.12.2015.

9 दिसम्बर, 2015 को अरूणाचल के माननीय राज्यपाल महोदय ने... मेल करवाएंगे सबको, आप चिन्ता मत करो। सबका मेल करवाएंगा। मेल भी करवाएंगे और फीमेल भी करवाएंगे, चिन्ता मत करो।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई दो मिनट। इश्यू आ रहा है इसको पूरा होने दीजिए।

उपमुख्यमंत्रीः एसेम्बली को ऑनरेबल गवर्नर अरूणाचल प्रदेश ने एक मेसेज भेजा। उस मेसेज को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। उस मेसेज को चुनौती देते हुए, अब आगे इसका पेज–टू कर दीजिए। हां, इसके आगे का, क्योंकि काफी 300–400 पेज का यह, बस ऊपर रखिये इसको, हां, ठीक है। 158 दिखा दीजिए इसमें... थोड़ा नीचे करके। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पैरा 158 कहता है कि इसमें, क्योंकि उसमें और बहुत सारे क्वेश्चन थे, सदन बुलाया जा सकता था कि नहीं बुलाया जा सकता था, क्या नहीं हो सकता था, मैं उन क्वेश्चंस में नहीं जा रहा। सिर्फ मैसेज भेजने की वैधानिकता किस तरह से इस संविधान का उल्लंघन हुआ है, इस मैसेज

को भेजने में, इसको मैं बताना चाहता हूं। 158 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, तीसरी लाइन में The question which arises for our consideration तीसरी लाइन में however, पे यह अदर क्वेश्चंस हैं, फिर whether message addressed by this… whether the governor could address a message to the assembly in his own discretion without seeking the aid and advise of the chief minister and his council of Ministers.'

क्या कोई राज्यपाल महोदय राज्य के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट से aid and advise लिए बिना असेम्बली को कोई मैसेज भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं; इसकी वैधता पर यह केस बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट देता है अध्यक्ष महोदय। कोर्ट ने इस क्वैश्चन को कंसीडर किया है वहां। आगे कोर्ट कहता है 159 में कि Section 63 of the Govt. of India act which was pre-cursor to Article 175 क्योंकि आर्टिकल 175 में गवर्नर के पास पावर है, यह संदेश भेजने की। section 63 of Govt. of India act जो था 63 of Govt. of India act कहता है 63(2) the Governor may in his discretion send message to the chamber of उस वक्त चैम्बर थे provincial legislature तो गवर्नर in his discretion can send लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया। persual of section 63 of the Govt. of India act reveals that sub-section two thereof had the word in his discretion incorporated. अंग्रेजों के समय में बनाये गए उस वक्त गवर्नर्स की पावर में यह लिखा गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 में कि गवर्नर के पास में यह पॉवर होगी कि वो हाउसेस को मैसेज भेज सकेंगे in his discretion लेकिन जब भारतीय संविधान बनाया संविधान निर्माताओं ने तो उन्होंने जान–बूझकर इसमें से वो शब्द हटाया in his discretion कोर्ट observe करते हैं। यह अंग्रेजों के बनाये हुए कानूनों से देश नहीं चल रहा। बाबा साहेब के बनाये हुए संविधान से देश चल रहा है इस वक्त, बाबा साहेब के बनाये हुए संविधान से। और

बाबा साहेब ने जब संविधान बनाया तो लाट साहबों के लाट साहबी से पद his discretion का शब्द इस संविधान में रखने से मना कर दिया। अध्यक्ष महोदय, यह मेरा नहीं है। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का आब्जर्वेशन है....

... (व्यवधान)

उप मुख्यमंत्रीः आ रहा हूं दिल्ली पर, जब जजमेंट पढ़े जाते हैं तो ऐसे ही देश के संदर्भ में पढ़े जाते हैं। आगे यह जजमेंट कहता है it is therefore apparent that under the govt. of India act 1935 the discretion to send messages to legislature was clearly and precisely bestowed on the governor, as he may consider appropriate in his own wisdom, but Article 175 has no such or similar expression. It is important therefore, that the framers of the constitution did not intent to follow the regime which was prevalent under section 63 of the Govt. of India Act 1935. 1935 के अंग्रेजी राज के समय में in his discretion को इंटेन्शनली हटाया गया। संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि गवर्नर के पास में डिस्क्रिशन हो

... (व्यवधान)

उप मुख्यमंत्रीः सर जी, कानून कहता है संविधान सुप्रीम होता है।

... (व्यवधान)

उप मुख्यमंत्रीः एक्ट बना है, एक्ट पर आ रहा हूं। एक्ट हमेशा संविधान का पार्ट होता है, संविधान को ओवरराइड नहीं करता है।

... (व्यवधान)

उप मुख्यमंत्रीः हाँ, उसकी लाइट में ही आ रहा हूँ और यह सुप्रीम कोर्ट

का आदेश संविधान की व्याख्या के लिए उसके बाद में आया है, आप सुन लीजिए। आप थोड़ा धैर्य रख कर सुन लीजिए, अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं.

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः देखिये, मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, माननीय उप मुख्यमंत्री जो विषय रख रहे हैं, वो हमारा ज्ञानवर्धन भी कर रहा है और बहुत गम्भीर विषय है। इसको जरा गम्भीरता से लें।

उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, कोई बहुत बड़े खिलाड़ी, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, क्रिकेट के काफी शौकीन लोग मुझसे ज्यादा इस सभा में बैठे हैं...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः समय आधा घंटा और सदन का बढ़ाया जाए, मैं इसकी प्रार्थना कर रहा हूं।

उप मुख्यमंत्रीः बहुत बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी को उसके मैच के प्रदर्शन के लिए जनता के बीच बुलाया गया। मुझे याद नहीं आ रहा किसका जिक्र है वो, रेफरेंस है, अब जनता आई, बहुत बढ़िया खेलता था उसने खेलना शुरू किया पहली बॉल पर बेचारा आउट हो गया। अम्पायर ने उंगली दिखा दी तो उस खिलाड़ी ने कहा देखो अम्पायर साहब, यह जनता मेरा खेल देखने आई है, तुम्हारी उंगली देखने नहीं आई, इस उंगली को नीचे रखो, मैं खेलूंगा अभी। जनता ने हमें चुनकर भेजा, जनता के लिए काम करो, ये थोड़ी–थोड़ी देर बाद में एक कागज का दुमछल्ला निकाल लाते हैं, ये देखो... ये देखो... मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, देश और लोगों की जिंदगी कागजों से नहीं चलती। देश कानूनों के लिए नहीं है कानून देश के लिए हैं। यह ध्यान रखियेगा और देश की जरूरतों से जब–जब जरूरत

पड़ती है कानून बदले भी जाते हैं और बदले जाते रहेंगे। कानूनों की जब–जब जरूरत पड़ी है कानूनों की व्याख्या हुई है और आगे भी होती रहेगी। इन कानूनों के बहाने इस देश को लूटने का गोरखधंधा यह विधान सभा नहीं चलने देगी, जो ये चलता रहा है। इसलिए आज मैं यह बात कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय। जिन दुमछल्लों को लेकर घूम रहे हो उन दुमछल्लों की हकीकत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हवा में उड़ा रखी है। अध्यक्ष महोदय, यह ऑर्डर कहता है:

*it must have been the above reasons that the Constituent Assembly framed Article 175. 63 का वो अमेंडमेंट था 63(2), जिसमें इन हिज़ डिस्क्रीशन लिखा हुआ था 175 उसी का replica है लेकिन उसमें से in his discretion शब्द हटाया गया है। had it been otherwise, the pharse in 'his discretion' would have been retained by the Constituent Assembly in Article 175. अगर चाहते तो 175 वो रखते, जान–बूझकर उसको हटाया गया था। It was also the contention on behalf of the वो appellant का आगे जिक्र आता है। आगे यह कहता है, सर, अब कोर्ट का देखिये, 'In our considered view, the governors connectivity to the house in the matter of sending messages must be deemed to be limited to the extent considered appropriate by the council of ministers headed by the chief minister.'

In fact it is not possible for us to conclude otherwise because article 175 does not expressly provide in consonance with Article 163(1) that the governor will exercise his above functions in his discretion.

Thus viewed, we have no hesitation in concluding that messages addressed by the governor to the houses have to be in concensess with

the aid and advise tendered to him. आगे जाकर, पेज 5 लगा दीजिए, पैरा–टू 'the message of governor dated 9è12è2015, directing the manner or conducting proceedings during the 6th session ofArunachal Pradesh Assembly, from 16.12.2015 to 18.12.2015, is violative ofArticle 163 read with Article 175.' Now what is 163, it is important. 163 says राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। वहां राज्यपाल और मंत्रिपरिषद का संबंध व्याख्यायित किया गया है। 163 में जो भाषा लिखी गई है राज्यों और राज्यपाल के संबंध में वही 239ए (4) में एलजी और दिल्ली के मंत्रियों के संबंध में लिखी गई है। So 175 cannot be read alone 175 इस पर्टिक्युलर केस में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट read with 163 पढ़ रहे हों In case of Delhi 163 का intent 239एए (4) में आता है, बिल्कुल ditto, वही भाषा लिखी हुई है, कहीं कोई भाषा में बदलाव नहीं है तो अगर हम उसी भाषा को आर्टिकल 239एए read with Article 175 कर दे, उसके बाद में कहीं कोई गुंजाइश नहीं बचती। क्योंकि आर्टिकल 239एए (4) और 163 एक ही बात कह रहे हैं with respect to Delhi, And with respect to other states.

तो अध्यक्ष महोदय, यह संविधान है, जिस संविधान की शपथ लेकर हम सरकार में बैठते हैं। इसी के तहत चुने जाकर हम विधानसभा में आते हैं और इस संविधान की पहली लाइन में ही लिखा हुआ है कि 'We the people of India.' अगर हम इसका मजाक उड़ाएंगे और जबरदस्ती ऐसी कमेटीज जो संविधान के तहत बनी हुई है, जो आम जनता को फायदा पहुंचा रही हों, उन कमेटीज की पॉवर को लिमिटेड करने की कोशिश करेंगे और वो भी एक असंवैधानिक पत्र द्वारा राज्यपाल महोदय माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद माननीय उपराज्यपाल महोदय का ये पत्र पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसकी कोई legal sanctity नहीं है। असंवैधानिक है ये

एकदम। इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती। मुझे उम्मीद है कि आपने, मैं उसका सम्मान करता हूं कि आपने जब माननीय उपराज्यपाल महोदय का पत्र आपको प्राप्त हुआ, एक असंवैधानिक रूप से लिखे गये पत्र को आपने उनके संज्ञान में लाया कि उनकी discretions उनके कुछ view point आपने observe किये, मुझे नहीं पता कि आपके संज्ञान में ये इश्यू था कि नहीं था कि ये उपराज्यपाल महोदय ने... क्योंकि किसी भी राज्यपाल या उपराज्यपाल को ये अधिकार ही नहीं है कि वो मंत्रीमंडल से Aid and Advise लिए बिना असेंबली को कोई मैसेज दे सके, सुप्रीमकोर्ट का आदेश कहता है। अगर सुप्रीमकोर्ट के इस आदेश के बावजूद ये कोई मानने के लिए जिद करता रहे, तो फिर करता रहे फिर तो सुप्रीमकोर्ट की भी अवमानना है, इस संविधान की भी अवमानना है।

अभी सत्येन्द्र जी ने मुझे ध्यान दिलाया कि माननीय एलजी साहब का जो अभिभाषण आता है विधानसभा में, जो अभिभाषण वो पढ़ने आते हैं। एलजी साहब का असेंबली से रिलेशन क्या है, वो भी संविधान में लिखा हुआ है। किन किन मसलों पर कितना लिमिटेड है वो भी लिखा हुआ है। उनके रिलेशन ये ही हैं कि वो इस तरह के मैसेज भेज सकते हैं या वो अभिभाषण पढ़ने के लिए आ सकते हैं। इस तरह के मैसेज भेजने में जब उनका अभिभाषण पढ़ने आता है, वो भी Aid and Advise of cabinet से ही आता है, वो भी चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल के बाद ही आता है यहां। एलजी साहब को ये भी पॉवर नहीं है कि वो अपना अभिभाषण अपने आप तैयार करके ला सकें, इतना भी हक इस संविधान ने एलजी साहब को नहीं दिया है तो ये हक उनको कहां से मिल गया कि वो मैसेज दे सकें। एलजी साहब के पास में मैसेज भेजने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि वो कैबिनेट से, चीफ मिनिस्टर से उसको अप्रूवल न कराएं, उसको Aid

and Advise, अप्रूवल शब्द शायद गलत होगा उसके Aid and Advise न लें उस पर।

तो मैं समझता हूं उसके बाद तो इस पर चर्चा करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है लेकिन क्योंकि इस सदन ने आज इस पर खूब चर्चा की है तो जैसा भी सदन उचित समझे क्योंकि ये सरकार से मतलब, मैं मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं कि ये सरकार के दायरे का विषय नहीं है, ये इस सदन के दायरे का विषय है। मैंने इसकी लीगल पोजीशन आपके सामने रखी अपनी इमेज legal knowledge के आधार पर और इससे आगे भी इस पर लीगल चर्चा की हो सकता है जरूरत हो, आगे भी और चर्चा की जरूरत हो, जैसा ये सदन समझे उचित कार्यवाई करे, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदयः सौरभ जी, हो गया अब मंत्री जी बोल चुके हैं। मंत्री जी के बाद बोलना!

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, आपके पत्र से सिर्फ जो लास्ट पैराग्राफ है उसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और मैंने पहले भी कहा था कि आपने एलजी साहब को बड़ी इज्जत बख्शी और उनको सचेत किया कि आप ये जो काम कर रहे हो मैसेज भेजके ये गलत काम है और आपने आखिरी पैराग्राफ में उनको सब कुछ समझाते हुए पूरी इज्जत बख्शते हुए आपने पांचवे पैराग्राफ में लिखाः "I Am of the considered view Hon'ble sir, that this that it is highly desirable that this matter is revisited by your goodself with the help of true constitutional experts. True constitutional experts. का मतलब है असली संविधान विशेषज्ञों की मदद लेकर आप अपने इस निर्णय को रिविजिट कीजिए मगर उन्होंने अपनी एरोगेंस के अंदर इसको बिना विजिट किए सिर्फ एक.... और स्पीकर साहब

मेरा ये मानना है कि आपके आफिस से जब ये पत्र गया होगा उनको ये पता चल गया होगा कि वो जो constitutional expert हैं, जिनकी राय वो ले रहे हैं, वो संजय जैन जी हैं और कितना मतलब की उनका दबदबा है constitutional law के अंदर। एक और अध्यक्ष जी मैं बात बोलना चाहता हूं एक चीज बड़ी अच्छी है कि जिस कोर्ट का जिक्र किया है सुप्रीमकोर्ट के जिस वर्डिक्ट का जिनके किया है, वो अरूणाचल प्रदेश के विषय में है। अरूणाचल प्रदेश और उत्तराखंड दो ऐसे विषय हैं पिछले साल के, जिसके अंदर केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए राज्यपालों ने चुनी हुई सरकारों को बर्खाश्त करने की या कठपुतली सरकारों को लगाने की कोशिश की संविधान के नाम पर और सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट ने इनका एक एक, इनके जो राज्यपाल थे उनका एक एक कपड़ा उतार लिया अपने जजमेंट से। ऐसे जजमेंट अगर किसी और के बारे में आ जाते तो वो लोग खुद रिजाइन करके चले जाते और अच्छी बात ये है, और मजेदार बात ये है कि अरूणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल थे, वो थे राजखोवा जी, पुराने ब्यूरोक्रेट जो पूरी जिंदगी संविधान के बारे में लिख लिखकर फाइल पर नोटिंग करते रहे। दूसरे जो उत्तराखंड के थे वो भी फॉर्मर ब्यूरोक्रेट के के. पाल जी जिन्होंने पूरी जिंदगी संविधान के नाम पर फाइल नोटिंग चलाई और हमारे यहां जो एलजी साहब हैं, वो भी एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं और इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि हमारे जो अपोजीशन के मित्र हैं ब्यूरोक्रेट्स और फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स की वकालत के अंदर किस तरह तरह से खड़े हो रहे हैं, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यगण।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अभी समय दूंगा। मैं अपना संदेश पढ़ लूं उसके बाद

आपको समय भी मिलेगा। माननीय सदस्यगण मैं माननीय उपराज्यपाल के साथ इस संबंध में हुए अपने पत्र व्यवहार के बारे में कुछ सूचनाएं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। संदेश प्राप्त होने के कुछ दिन बाद मुझे यह जानकर अत्यंत हैरानी हुई कि माननीय उपराज्यपाल के कार्यालय से इस संदेश को मीडिया में लीक किया गया। एक पत्रकार ने इस मामले में मेरी राय जानने के लिए मुझे फोन किया। माननीय राज्यपाल द्वारा भेजे गये पूरे संदेश की एक प्रति उन्होंने मुझे शेयर की। पत्रकार को इस गोपनीय संदेश को पब्लिक न करने की सलाह दी गई जो कि विशेषकर सदन के लिए है और संदेश को सार्वजनिक करना विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का मामला है। मुझे पता चला कि जब ये सलाह माननीय उपराज्यपाल के कार्यालय की जानकारी में लाई गई, ये जरा ध्यान से समझ लें सब, तो उक्त कार्यालय ने गृह सचिव भारत सरकार को पिछली तिथि का एक पत्र लिखा, फिर दोहरा रहा हूं उपराज्यपाल के कार्यालय की जानकारी में लाई गई तो उक्त कार्यालय ने गृह सचिव भारत सरकार को पिछली तिथि में एक पत्र लिखा जिसमें इस संदेश का पाठ भी दिया गया ताकी मीडिया द्वारा इसे उद्धृत किया जा सके। दुर्भाग्यवश जल्दबाजी में माननीय उपराज्यपाल के सचिवालय के अधिकारियों ने गलती से यह पत्र सेवानिवृत्त रिटायर्ड गृह सचिव के नाम लिख डाला, नकल भी करना नहीं आया, मैं टिप्पणी कर रहा हूं। माननीय उपराज्यपाल को लिखे अपने पत्र में मैंने आश्चर्य व्यक्त किया कि इस संदेश की प्रतियां मुख्य सचिव और प्रधान सचिव, विधि को भेजने का क्या कारण है। विजेन्द्र गुप्ता जी ने जो पूछा कि आपने पत्र क्यों लिखा, मैंने पत्र इसलिए लिखा कि वो भी संवैधानिक पद है और ये भी संवैधानिक पद है, दोनों संवैधानिक पदों की मर्यादाएं जितना दायित्व मेरा है, रखने का उतना ही दायित्व माननीय उपराज्यपाल का है। इसलिए मुझे पत्र लिखना पड़ा। नही तो मुझे पत्र लिखने की कोई आवश्यकता

नहीं थी और ये बड़ा मजाक है सदन का, संविधान का। इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया गया। माननीय उपराज्यपाल ने जवाब दिया कि उन्होंने संदेश शेयर नहीं किया है बल्कि केवल फॉरवर्डिंग लैटर की कापी भेजी है। मुझे ये समझ नहीं आया कि केवल फॉरवर्डिंग लेटर की प्रति भेजने की क्या आवश्यकता थी! यहां मैं फिर टिप्पणी कर रहा हूं इसका अर्थ; एलजी साहब ने ये स्वीकार किया कि मुझे नहीं भेजना चाहिए था, उस पर पर्दा डाला कि मैंने तो फॉरवर्डिंग लेटर की कापी भेजी थी और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ तथा इसकी उन अधिकारियों के लिए क्या उपयोगिता होगी फिर भी मुझे खुशी हुई कि ये साफतौर पर साबित करता है कि अधिकारी संदेश लीक करने में सम्मिलित नहीं थे और इसमें कोई संदेह नहीं है कि असली दोषी कौन है। मैं, माननीय उप–मुख्य मंत्री जी ने जो पढा, जो बताया, मैं तो ये समझ कर चल रहा था कि ये सारी चीजें, ये सारी क्रियाएं उप–राज्यपाल ने भेजा है तो उनको पूरा किया होगा सवैंधानिक क्रियाओं को। उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी अध्ययन किया होगा। मुझे नहीं मालूम कि सरकार और एलजी के बीच में क्या पत्र व्यवहार हुआ। मुझे जानकारी नही। न मुझे जानकारी रखने की आवश्यकता। मेरे पास आया और मैने तो ये समझा कि सारे पहलू उन्होने क्लीयर किये होंगे। मेरे पास काफी तथ्य और वक्तव्य हैं जो कि साबित करते हैं कि यह संदेश श्री विजय कुमार, माननीय उपराज्यपाल के प्रधान सचिव द्वारा लीक किया गया, इसका कारण भी सिर्फ वही जानते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी और अपने पूरे अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं श्री विजय कुमार और ऐसे अन्य सभी अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देता हूँ कि वे विधान सभा से जुड़े मामलों में अत्यन्त सावधानी बरतें।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय उपराज्यपाल को अपने अधिकारियों

की इस शरारतपूर्ण कृत्य की जानकारी नहीं होगी और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे मामले में दखल देते हुए ऐसे अधिकारियों को चेतावनी दें जिन्हें विधान सभा की शक्तियों, विशेषाधिकारों, स्वायत्तता और विधायिका के अधिकारों की जानकारी तक नहीं है, धन्यवाद। श्री सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ नाथः Hon'ble speaker sir, through you I seek permission of the house to move the following motion.

अध्यक्ष महोदयः अब श्री सोमनाथ भारती, माननीय उप–राज्यपाल महोदय के संदेश के संबंध में प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति मांगेगे।

श्री सोमनाथ भारतीः Hon'ble speaker sir, I seek your permission to move this motion.

अध्यक्ष महोदयः यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

माननीय सदस्य को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

श्री सोमनाथ भारतीः Sir, This house agrees that a Special Committee be constituted to look into the concerns raised by Hon'ble Lieutenant Governor in his Message dated 13 September, 2017 to the House;

That the Committee shall consist of the following Members:

1. Shri Sanjeev Jha

2. Shri Adarsh Shastri

3. Shri Amanatullah Khan

4. Ms.Alka Lamba

5. Shri Vishesh Ravi

6. Shri Sahi Ram

7. Shri Saurabh Bharadwaj

8. Shri Rituraj Govind; and

9. Shri Jagdish Pradhan

That the Hon'ble Speaker shall appoint one of the Members of the Committee as its Chairperson;

That the terms of reference of the Committee shall be:

1. To look into the judiciousness or otherwise of the concerns raised by Hon'ble Lt. Governor vide his Message dated 13 September, 2017 regarding the Rules governing the functioning of the Department Related Standing Committees of the Legislative Assembly of NCT of Delhi;

2. To examine if there was any unconstitutionality/illegality perpetrated by Hon'ble Lt. Governor in sending the said Message without the Aid And Advise of the Council of Ministers to the House;

3. To make a comprehensive study of all aspects connected thereto; and

4. To present a report to the House so as to enable the House to formulate a holistic view to be conveyed to the Hon'ble Lt. Governor as its response to the Message.

That the Committee is free to decide its own procedure to fulfil the mandate given by the House;

That the Committee is free to enlarge the scope of the study, if needed, subject to approval of Hon'ble Speaker;

That the committee shall exercise all powers and immunities available to the existing Committees of the Legislative Assembly; and

That the Committee shall submit its report to Hon'ble Speaker before the commencement of the Seventh Session of the Sixth Legislative Assembly".

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मेरा ये कहना है कि पार्टियामेंट की कमेटीज के ऊपर पॉवर दी जा रही है और 18(3) का वॉयलेशन हो रहा है। इस लिए कमेटी आप एक तरफ तो डिस्कशन कर रहे हो और एक तरफ उसको पेंडिग कर रहे हो इश्यू को। तो यानी कि आप भी समझ रहे हो कि... दो नावों पर पैर मत रखिए। या तो आप कहिए कि हम नहीं मानते या फिर आप मानिए लेकिन ये जो पेंडिग करने का जो तरीका निकाला है आपने...

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी जो सोमनाथ जी ने कहा है...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः वो एक पेंडिग करने का तरीका है।

अध्यक्ष महोदयः नहीं। ऐसा नहीं है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः लिंगर ऑन करना, पेंडिग करना मीन ह्वाइल आप तो आप ऐसा करिए कि जब...

अध्यक्ष महोदयः आज तक इन्होंने कोई चीज पेंडिग नहीं की।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः तक वो रिपोर्ट नहीं आती तब तक ये जो 244 (ए) (बी) (सी) में जो भी है, उसको रोका जाए।

अध्यक्ष महोदयः नहीं ऐसा कुछ नही है। नथिंग लाइक दैट।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अगर आप उसको भी चालू रखते हो और कमेटी बना रहे हो मतलब आप मान नहीं रहे है। हम इस रेजूलेशन के फेवर में नहीं है। ये एक तरह का डिस्ओबे है।

अध्यक्ष महोदयः फिर आप कहें कि आप सरकार की तरफ बोल रहे हैं। आप पेंडिग करवाकर अधिकारियों को बचाना चाहते हैं क्या? आप पेंडिग करवाकर अधिकारियों को क्यों बचाना चाहते हैं?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः उनको आप ऑन मत रखिए। ये क्या मतलब जो वॉयलेशन है, उसको ऑन करके रखना चाहते हैं आप।

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ भारती जी का जो प्रस्ताव है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः .... और कुछ नहीं है। हम इस प्रस्ताव का...

अध्यक्ष महोदयः एक सैकेंड सुन लीजिए विजेन्द्र जी, मैं आग्रह कर रहा हूं एक सैकेंड सुन लीजिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं घुमा नहीं रहा हूं। सोमनाथ जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें नौ नाम जो सुझाएं हैं, उसमें एक नाम जगदीश प्रधान जी का सुझाया है। मैं इसमें आपको स्वतन्त्रता दे रहा हूं जिसका आप नेता विपक्ष है, ये लोकतंत्र से चल रहा है। उसमें से जो भी आप नाम रखना चाहें तीनों से चारें में से वो सुझा दीजिए, उसमें हम एमेंडमेंड करेंगे। आप बताइए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हम विरोध में हैं।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है, बहुत–बहुत धन्यवाद।

अब माननीय सदस्य सोमनाथ भारती जी के प्रस्ताव के....

यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

इस सदन में जितनी भी समितियां गठित की गई हैं, वे सभी यथावत विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अनुसार कार्य करती रहेंगी। उप–राज्यपाल महोदय के संदेश का उन समितियों की कार्य प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। माननीय सदस्य गण अगला सप्ताह दिवाली व भैया दूज के पर्व का है। मैं इस पर्व पर आपको अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस सदन के माध्यम से दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील करता हूं

कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिवाली पर आतिशबाजी से दूर रहें ओर रोशनी के इस त्यौहार को दीपक चला कर मनाएं।

इससे पहले कि मैं सदन को अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित करूं, स्वस्थ संसदीय परम्पराओं का निर्वाह करते हुए सदन के नेता एवं माननीय मुख्य मंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया, सभी मंत्रीगण, श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।

इसके अलावा विधान सभा सचिव तथा सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ–साथ दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव व उनके समस्त अधिकारियों, दिल्ली पुलिस, खुफिया एजेंसियों, सी.आर.पी.एफ.बटालियन–55 तथा लोक निर्माण विभाग के सिविल, इलैक्ट्रिकल व हार्टिकल्चर डिवीजन, अग्निषमन विभाग आदि द्वारा किये गये सराहनीय कार्य के लिये भी उनका धन्यवाद करता हूँ।

विधान सभा की कार्यवाही को मीडिया के माध्यम से जन–जन तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाने वाले सभी पत्रकार साथियों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।

अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे राष्ट्र गान के लिए खड़े हों।

(राष्ट्र गान : जन–गण–मन)

अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है।

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।